सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part I -- Proceedings with Questions and Answers)

Thursday, August 2, 2018/Shravana 11, 1940 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, August 2, 2018/Shravana 11, 1940 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

OBITIUARY REFERENCES	1-2
……	3
ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 221- 223)	3A-39
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 224-240)	40-56
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 2531-2760)	57-286

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, August 2, 2018/ Shravana 11, 1940 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, August 2, 2018/Shravana 11, 1940 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**287**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**288-304**
STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL	**305**
42nd to 46th Reports	
COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE	**306**
20th and 21st Reports	
STATEMENT RE: CORRECTING ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 1596 DATED 26.07.2018 REGARDING PRODUCTION OF RENEWABLE ENERGY	**306**
Shri R.K. Singh	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 45TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY – LAID	**307**
Col. Rajyavardhan Rathore	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 20TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES – LAID	**308**
Col. Rajyavardhan Rathore	
STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 28TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT – LAID	**309**
Shri Ram Kripal Yadav	

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 19TH AND 28TH REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL – LAID	**309**
Shri Haribhai Chaudhary	
SPECIAL MENTIONS	**310-348**
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**349-373**
Shri Kamakhya Prasad Tasa	**350**
Shri Pratap Simha	**351**
Shri Janak Ram	**352**
Shri Ram Tahal Choudhary	**353**
Shri Vikram Usendi	**354**
Shri Ravindra Kumar Ray	**355**
Shri Kamalbhan Singh Marabi	**356**
Shri Pralhad Joshi	**357**
Shri Bharat Singh	**358**
Shri Janardan Mishra	**359**
Shrimati Poonam Mahajan	**360**
Shri Satish Kumar Gautam	**361**
Shri Arjunlal Meena	**362**
Shri Gurjeet Singh Aujla	**363**
Shri S.P. Muddahanume Gowda	**364**
Dr. Raghu Sharma	**365**
Shri A. Anwhar Raajhaa	**366-67**
Shri P. R. Sundaram	**368-69**
Shrimati Rita Tarai	**370**
Shri Gajanan Kirtikar	**371-72**
Shri Kunwar Haribansh Singh	**373**

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL-Contd.-concluded	**374-557**
Motion for Consideration	**374**
Shri Thaawarchand Gehlot	**374-75**
	525-541
Shri Kalyan Banerjee	**376-79**
Shri A. Arunamozhithevan	**380-84**
Shri Bhartruhari Mahtab	**385-93**
…	**394**
Shri Arvind Sawant	**395-99**
Shri Boora Narsaiah Goud	**400-08**
…	**409-11**
Shri Rammohan Naidu	**412-19**
Shri P. Karunakaran	**420-26**
Shri Nityanand Rai	**427-32**
Shrimati Kothapali Geetha	**433-37**
Shri Tamradhwaj Sahu	**438-43**
Shri Prahlad Patel	**444-49**
Shri Dharmendra Yadav	**450-56**
Shri Madhukar Kukde	**457-60**
Shri Pankaj Chaudhary	**461-63**
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	**464-66**
Shri Prem Singh Chandumajra	**467-69**

Shri Rajesh Verma	**470-73**
Shri Ram Kumar Sharma	**474-75**
Shrimati Anupriya Patel	**476-79**
Shri Ram Tahal Choudhary	**480-82**
Shri Dushyant Chautala	**483-85**
Shri Santosh Kumar	**486-89**
Shri Rodmal Nagar	**490-92**
Shri E.T. Mohammed Basheer	**493-94**
Shri Ramvilas Paswan	**495-501**
$Shri Asaduddin Owaisi	**502-04**
Shri N.K. Premachandran	**505-08**
Shri Lakhan Lal Sahu	**509-10**
Shri Prem Das Rai	**511-12**
Shri Birender Kumar Chaudhary	**513-14**
@Shri Sunil Kumar Mandal	**515A-B**
Shri Ramesh Bidhuri	**516-19**

$ For Persian script of the speech made by Shri Asaduddin Owaisi in Urdu please see the supplement

@ For English translation of the speech made by Shri Sunil Kumar Mandal in Bengali Pl. see the supplement

Shri H.D. Devegowda 520-22

Shri Rajesh Ranjan 523-24

Motion for Consideration – Adopted 525

Hon'ble Speaker 541-42

ANNOUNCEMENT RE: OPERATION OF AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM 543-44

Consideration of Clauses 545-57

Motion to Pass 557

XXXXX

LOK SABHA DEBATES

PART II –PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, August 02, 2018/ Shravana 11, 1940 (Saka)

S U P P L E M E N T

CONTENTS PAGES

XXX XXX XXX XXX

Xxx xxx xxx xxx
Xxx xxx xxx xxx
Xxx xxx xxx xxx

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL	**504A-04B** **515A-15B**

xxx xxx xxx xxx

Shri Asaduddin Owaisi	**504A-04B**

xxx xxx xxx xxx

Shri Sunil Kumar Mandal	**515A-15B**

xxx xxx xxx xxx

(1100/RV/RBN)

1101 बजे

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

...(व्यवधान)

निधन संबंधी उल्लेख

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री सैदैया कोटा के दु:खद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है, जो आंध्र प्रदेश के नरसरावपेट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

वह कृषि संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य थे।

श्री सैदैया कोटा का निधन 10 जून, 2018 को 82 वर्ष की आयु में गुंटूर, आंध्र प्रदेश में हुआ।

हम श्री सैदैया कोटा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। यह सभा शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

माननीय सदस्यगण, 28 जुलाई, 2018 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक बस के गहरी खाई में गिरने से 33 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कई अन्य व्यक्तियों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

सभा इस दु:खद घटना पर, जिससे शोकाकुल परिवारों को दु:ख और पीड़ा पहुंची है, यह सभा गहरा दु:ख व्यक्त करती है। ये सभी लोग वहां की कृषि यूनिवर्सिटी के कर्मचारी थे। जो घायल हुए हैं। उनमें सिर्फ एक ही व्यक्ति घायल है, यह सभा उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़ी रहेगी।

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: These matters will be taken up after Question Hour, not now.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Question No. 221.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: अभी कुछ नहीं, आप लोग बैठिए।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: वह बात जब आएगी, तब उस पर बोलना। अभी क्यों चिल्ला रहे हैं? बैठिए।

…(व्यवधान)

(प्रश्न 221)

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार ने जो खनन नीति बनाई है और पहले से जो खनन नीति थी, उसमें वर्ष 2015 में संशोधन किया गया, इसके कारण खनन नीति में पारदर्शिता आई है और हमारी सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।...(व्यवधान) वहीं पर जो खनिज हमारे देश के विभिन्न हिस्से में हैं, उनका सही ढंग से दोहन भी हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं अभी कुछ भी एलाऊ नहीं करूंगी, आप क्यों गला सुखा रहे हैं?

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only question and answer will go on record.

...(Interruptions)... (Not recorded)

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में सोलह प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनका खनन चल रहा है।...(व्यवधान) इसमें आदिवासी क्षेत्र से तीन राज्यों, जिनमें छत्तीसगढ़, झारखण्ड और ओडिशा हैं, उन्हें मिलाकर कोयले की जो स्थिति है, उसमें 70 प्रतिशत कोयला इन्हीं क्षेत्रों से आता है, जबकि लौह के मामले में यह 80 प्रतिशत है।...(व्यवधान)

(1105/MY/RBN)

मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वनाच्छादित क्षेत्र है, वहां आदिवासी ज्यादा मात्रा में हैं।...(व्यवधान) सरकार ने पुनर्वास की जो नीति बनाई है, उस पुनर्वास नीति के माध्यम से खनन विस्तार का कार्य हुआ है। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों के जो निवासी है उनको किस प्रकार से इस अद्यतन प्रचलित पुनर्वास नीति से फायदा हुआ है और उनके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, इस बारे में मैं मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लौह अयस्क की जो माइंस हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का भूमि अधिग्रहण नहीं हुआ है। वह लगभग शासकीय और वन-भूमि है। जहां तक कोल का विषय है, तो निश्चित रूप से कोल माइंस के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ है और हमारे मिनरल कंसेशन नियम 52 में भू-मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे का भी प्रावधान है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने क्वेश्चयन ऑवर के बाद बोलने के लिए बोला है, लेकिन आप भी नहीं मान रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: ...(व्यवधान) नियम 12 में रोज़गार के विषय का प्रावधान है। जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, अभी तक वहाँ कोल के लिए कुल 15,681.763 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पारित अवार्ड की जो स्थिति है, उसमें परिवारों की संख्या 26,787 है और पारित मुआवज़ा राशि 5,034 रुपये दे दी गई है।

अवार्ड के विरूद्ध वितरण की स्थिति में परिवारों की संख्या 19,894 है। जो मुआवज़ा वितरित हुआ है, वह 35,048 है। वितरण की जो स्थिति है, उसमें परिवारों की संख्या 4,172 है। वितरण हेतु जो शेष राशि है, वह 15,080 लाख रुपये है। पुनर्वास किए गए परिवारों की संख्या 7,728 हैं। जिनको रोज़गार प्रदान किया गया है, उनकी संख्या 10,556 है। रोज़गार हेतु जो लंबित प्रकरण हैं, उनकी संख्या 3,162 है। इस पर राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई प्रचलित है।…(व्यवधान)

1107 बजे

(इस समय श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

HON. SPEAKER: I have already told you that these matters will be taken up after Question Hour and not now.

… (*Interruptions*)

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): …(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने विस्तार से बताया कि वहाँ प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है, जिनकी भूमि अधिग्रहण हुई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि आज भी ऐसे प्रकरण हैं। एससीसीएल का मुख्यालय बिलासपुर में है।…(व्यवधान) पूर्व में जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वे आए दिन वहाँ जाकर अपनी भूमि के मुआवजे की माँग करते रहते हैं। उनकी माँग समय-समय पर पूरी भी हो रही है।…(व्यवधान) हमारे मंत्री जी ने इसका जवाब काफी विस्तार से दिया है, लेकिन जिस प्रकार से एमएमडीआर अधिनियम 1997 की धारा 9(ख) में खनन से संबंधित जो

प्रभावित व्यक्ति या क्षेत्र हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन स्थापित किया गया है।...(व्यवधान) आज की स्थिति में, मैं पूरे देश की बात करूँ तो लगभग 550 जिलों में इस खनिज न्यास का निर्माण हो चुका है और उसके माध्यम से बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। जिसमें स्वास्थ्य एवं पेयजल के दृष्टिकोण से काफी काम हो रहा है।...(व्यवधान) वहां सड़क, शिक्षा की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार की आधारभूत संरचना की भी जरुरत है। जब मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो वहां 27 जिलों में डीएमएफ फंड की स्थापना की गई है।...(व्यवधान) जून 2018 तक 2,900 करोड़ रुपये की राशि दी भी जा चुकी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार 3,654 करोड़ रुपये की लागत से 29,229 परियोजनाओं को संचालित कर रही है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में खनिज का उत्पादन हो रहा है, वर्ष 2015 के बाद कानून में जो संशोधन हुआ है, नीलामी के लिए जो खनिज क्षेत्र हैं, उनमें हमको रॉयल्टी 30 परसेंट मिलता है, जब कि नीलामी से आवंटित रॉयल्टी 10 प्रतिशत कर दी गई है। कुछ ऐसे खनिज क्षेत्र हैं, जहां नियम में संशोधन होने के पूर्व से गैर-नीलामी पद्धति से प्रचालन हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों के लिए मैं निवेदन करूँगा, इस पर भी हमारी सरकार ने संबंधित मंत्रालय/विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।...(व्यवधान) उस पर भी पूर्व की तरह अभी अन्य क्षेत्रों में 30 प्रतिशत लागू है। उसे 30 प्रतिशत रॉयल्टी दी जाए। आज के समय में पूरे देश के अंदर इस न्यास के माध्यम से कार्य हो रहा है। मेरा निवदेन है कि इस बारे में मंत्री जी जवाब देने का कष्ट करें।...(व्यवधान)

(1110/CP/SM)

… (*Interruptions*)

1110 hours

(*At this stage, Prof. Saugata Roy, Dr. Ravindra Babu and some other hon. Members came and stood near the Table.*)

… (*Interruptions*)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदया, सदस्य की चिंता बहुत ही वाज़िब है और उन्होंने बहुत ही सकारात्मक दृष्टि से अपने प्रश्न को रखा है। …(व्यवधान) आपको ध्यान है कि जब एमएमडीआर एक्ट में सरकार ने अमेंड किया, तो उस समय यह प्रावधान किया था कि जो गरीब लोग खनन की प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं या जो क्षेत्र खनन की प्रक्रिया से प्रभावित होता है, उनके बारे में सोचा जाए।…(व्यवधान) इसलिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का उस समय प्रावधान किया गया था। …(व्यवधान) मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में अभी तक पूरे देश भर में 19,954 करोड़ रुपये एकत्रित हुए हैं।…(व्यवधान) प्रधान मंत्री खनिज कल्याण योजना के अंतर्गत 71,665 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 17,520 प्रोजेक्ट्स का काम पूरा हुआ है और अभी तक 4,019 करोड़ रुपये इसमें खर्च हुए हैं।…(व्यवधान)

मैं यह बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का और प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का बहुत अच्छे से क्रियान्वयन किया है। छत्तीसगढ़ में 2,902 करोड़ रुपये इस योजना में एकत्रित हुए हैं। कोल से 1,655

करोड़ रुपये, नॉन कोल 1,165 करोड़ रुपये और गौड़ खनिज से 82 करोड़ रुपये एकत्रित हुए हैं। …(व्यवधान) मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आगामी 3 वर्षों की छत्तीसगढ़ सरकार ने विस्तार से योजना बनाई है और उसके अंतर्गत 4,200 करोड़ रुपये लागत का काम अनुमोदित किया है।…(व्यवधान) जो अनुमोदित काम हैं, उनकी संख्या 53,186 है। …(व्यवधान) मुझे प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट गरीब लोगों के हित में बहुत अच्छी तरह से इस योजना के माध्यम से कार्य कर रही है। …(व्यवधान) गरीब और आदिवासियों के जीवन स्तर में बहुत बदलाव आ रहा है।…(व्यवधान) प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है। उसकी सोच का परिणाम है - प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, सौगत राय जी, आप दोनों को मैंने बोला था। मैंने कोई भी मुद्दा उठाने के लिए मना नहीं किया है। केवल इतना कहा था कि after Question Hour I will allow you. मैं मुद्दा उठाने का अवसर दूंगी। मुझे मालूम है कि एससी, एसटी से संबंधित है। I am not denying you. मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसे क्यों आग्रही हो रहे हैं? मैंने खड़गे जी को भी बोला है। कल भी मैंने सबको मौका दिया। मैं किसी को विषय रखने से मना नहीं करती। After Question Hour, I will allow you, but not now. I cannot understand this. I am sorry.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, we do agree with that. But I am only questioning the intention of the Government.

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं, सब कुछ बाद में बोलिएगा।

…(व्यवधान)

1113 hours

(At this stage, Prof. Saugata Roy, Dr. Ravindra Babu, Shri Deepender Singh Hooda and some other hon. Members went back to their seats.)

प्रो. ए. एस. आर. नायक (महबूबाबाद): महोदया, आपके जरिए मैं मंत्री जी से एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि जो भी माइनिंग्स के प्रोजेक्ट होते हैं, most of the mining projects are located in tribal areas. ट्राइबल एरियाज में आदिवासी लोग रहते हैं। वे वहां आरओएफआर के अंडर रहते हैं, उनके पास कोई पट्टा नहीं होता है। प्रोजैक्ट्स का काम चल रहा है। सरकार को उसके जरिए कुछ न कुछ नाम प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वहां पर जितनी भी डिसप्लेस्ड फैमिलीज हैं, उनको आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। थोड़ी सी फैमिलीज कोर्ट को एप्रोच कर रही हैं। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि जो भी आदिवासी आरओएफआर के अंडर हैं, क्या आप उनको समय पर कुछ देंगे? मैं मिनिस्टर साहब से एश्योरेंस चाह रहा हूं।

(1115/NK/AK)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, सामान्य तौर पर जो अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया है, इसे राज्य सरकार संचालित करती है। इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्रवाई करती रहती है। मैं माननीय सांसद जी से कहना चाहता हूं कि अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजैक्ट उनके ध्यान में है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पुनर्वास नहीं हुआ है, अगर वह इसे मेरे संज्ञान में लाएंगे तो मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि उस कार्रवाई को जल्दी करें।

डॉ. बंशीलाल महतो (कोरबा): महोदया, आपने प्रश्न काल में बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं कोयला क्षेत्र में रहता हूं। एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान 'गेवरा प्रोजैक्ट' मेरे क्षेत्र में है। वहां विस्थापितों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यद्यपि कोयला मंत्री वहां तीन साल पहले दौरे पर गए थे। उनके सामने सारे प्रश्न लगा दिए गए थे, उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रकार से निर्देशित किया था। लेकिन अधिकारियों का रवैया विस्थापितों के पुनर्व्यवस्थापन ठीक से न होने के कारण और मुआवजे का वितरण ठीक से नहीं होने के कारण दस-पन्द्रह वर्षों से भूमि अधिगृहित कर ली गई हैं और वहां खदान कार्य शुरू नहीं हुआ है। इससे लोगों की शादी-ब्याह रुक रही है, मरण-हरण में भी परेशानी आ रही है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनका व्यवस्थापन ठीक से हो। मंत्री जी ने नौकरी के संबंध में जवाब दिया कि चार हजार प्रकरण लंबित हैं लेकिन मात्र 184 लोगों को नौकरी देना अत्यंत आवश्यक है। मैं इस संबंध में कोयला मंत्री जी से प्रतिनिधिमंडल के साथ मिला था। मैं मंत्री जी से संतोषजनक उत्तर चाहता हूं। उनको ठीक से नौकरी दे दी जाए,

व्यवस्थापन अच्छा हो, पानी की व्यवस्था हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, स्कूल की व्यवस्था हो। उनका जीवन अपाहिजों जैसा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि उन गरीब आदिवासियों का जीवन स्तर कैसे उठे, डीएमएफ फंड से सबसे ज्यादा फायदा यदि कहीं हुआ है तो कोरबा जिले को हुआ है। एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिली है, जिसके कारण बहुत सारा डेवलपमेंट का कार्य हुआ है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे व्यवस्थापन और नौकरी के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करें।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद महोदय के क्षेत्र में जो भूमि का अधिग्रहण हुआ है, उसमें उनके पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था के मामले में लगातार कारवाई चल रही है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी शेष संख्या नहीं है। मैं बाकी पूरी जानकारी उनको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन जहां तक उनके जीवन स्तर में बदलाव का विषय है। माननीय सदस्य ने स्वयं भी इस बात को कहा कि डीएमएफ का फायदा कोरबा क्षेत्र में हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है और उन क्षेत्रों में भी हो रहा है, जो मिनरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जहां तक विस्थापन की कार्रवाई है, उसमें लगातार कार्रवाई प्रचलित है तथा राज्य सरकार उन प्रकरणों का निराकरण कर रही है। अगर उनके संज्ञान में कोई विषय हो तो वे मुझे दे सकते हैं।

(ends)

(Q. 222)

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Thank you, Madam, for giving me the wonderful opportunity.

I have just gone through the Minister's reply. There is a lack of awareness among women to take shipping as a career. There are specific challenges facing female seafarers. The women seafarers are not getting placement in the shipping industry. Unfortunately, there is a bias towards female cadets with regard to safety issues. Several companies have a 'no-female cadet policy' to protect themselves from claims in case of harassment.

Will the Government take steps for placement of women seafarers in the country?

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, सम्माननीय सदस्य ने महिलाओं को सी-फेरर्स में प्राथमिकता देने की बात कही है। इसमें अभी तक देश में एक लाख साठ हजार सी-फेरर्स हैं, इसी फेरर्स में से एक लाख बीस हजार सी-फेरर्स विदेशों में काम करते हैं।

(1120/SK/SPR)

बाकी भारत में हैं। वैसे सरकार ने इसके बारे में 478 एजेंसियों को रिकोग्निशन दी है और इमीग्रेशन के साथ इसे जोड़ दिया है। कुछ लोगों को इस प्रकार की समस्याएं आई कि सीफैरर्स यहां से चले गए और वहां उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का

सामना करना पड़ा, कुछ प्राब्लम्स खड़ी हुईं। अब सरकार ने नियम बनाया है कि अगर इम्मीग्रेशन रिकोग्नाइज एजेंसी डायरेक्टर ऑफ शिपिंग की ओर से होगी तो ही उसे वीज़ा मिलेगा, तभी वह आगे जाएगा, वैसे नहीं जा पाएगा।

माननीय सदस्य ने कहा है कि इसमें विशेष रूप से महिलाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अभी तक इसमें पहल नहीं की गई है। यह काम विदेश में जाने का है जो कि कठिन काम है। हमारे यहां 157 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। माननीय सदस्य की बात पर सरकार पोजीटिवली विचार करेगी और महिलाओं को प्रोत्साहन देने की कोशिश करेगी।

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Madam, it has been found that some agencies recruit Indian seafarers and abandon them, leaving them in distress without any proper means. Is there any data on such abandoned Indian seafarers? Will the Government take strict action against erring agencies recruiting Indian seafarers?

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश में महिला सीफैरर्स की संख्या लगभग 4,000 है। हमने विशेषकर 479 एजेंसियों को रिकोग्नाइज किया था। इससे पहले कुछ अनआथोराइज्ड एजेंसियां काम करती थीं, उन पर कार्रवाई की गई है। वर्ष 2017-18 में 30 एजेंसियों का लाइसेंस इरेगुलेरिटीज़ के कारण कैंसल कर दिया है। इस संबंध में विशेष रूप से विदेशों में जाकर बहुत अड़चनें आती हैं, जब लोग इल्लीगली

चले जाते हैं। एजेंसी ऐसे लोगों को ले जाती हैं, लेकिन बाद में इन लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।

इसके बारे में विदेश मंत्री जी ने हमसे अनुरोध किया था, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं से उनके लिए भी समस्याएं खड़ी होती हैं। 479 रिकोग्नाइज एजेंट्स हैं, अगर ये थोड़ा भी वाएलेशन करते हैं तो हम उनका लाइसेंस कैंसल कर देते हैं। हमने 31 एजेंट्स का लाइसेंस कैंसल किया है। इसके बाद भी हम कोशिश करते हैं कि सीफैरर्स की संख्या बढ़े, ट्रेन्ड लोगों को विदेशों में रोजगार मिले और महिलाओं को प्रधानता मिले। इसमें किसी को अगर चीट करके बाहर भेजा जाता है तो वहां उसकी नौकरी चली जाती है, रहने और खाने-पीने की समस्या भी खड़ी हो जाती है। इस तरह की समस्याएं सामने न आएं, इसके लिए हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से नियमों में सुधार किया है। इसमें लगातार संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है। वर्ष 2015 से 2017 के बीच 4300 सीफैरर्स ट्रेन्ड हुए हैं और आईएमओ द्वारा वर्ष 2017 के हिसाब से शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक महिला है, जिसका नाम राधिका मेनन है और वह कैप्टन है। मैंने उनका नाम स्वीकार किया है। वह विदेश में जहाज चलाती हैं। यह हमारे लिए बहुत अभिमान का विषय है।

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): Madam, hon. Minister has given an elaborate reply on the issue of seafarers. However, I would like to know from the Government, through you, Madam, whether the Government is reconsidering its decision of

making SSC qualification mandatory for the purpose of CDC because from my State, Goa, many seafarers are working abroad. Having made the SSC qualification mandatory, it is causing a lot of concern for the seafarers. In view of the same, is the Government making it mandatory or reconsidering its decision in this regard?

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। माननीय सदस्य ने मुझसे यह बात बहुत बार कही है। इसमें दो व्यूज़ हैं। कुछ लोग अपने काम में ट्रेन्ड हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन उनके पास एसएससी सर्टिफिकेट नहीं है। यह टेक्नीकल प्रकार का काम है। कुछ लोगों का कहना है कि उनको एलाऊ करना चाहिए और कुछ लोगों का कहना है कि एसएससी मेनडेटरी करना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस में यही समस्या आई। ट्रक ड्राईवर अच्छा ट्रक चलाता है, उसकी ड्राइविंग सही है लेकिन वह एसएससी पास नहीं है। मेरे पास लोग आए कि एसएससी वाली बात निकाल दीजिए। इसमें दोनों प्रकार के मत चल रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हम एक बार फिर से इसे टेक्नीकली जांचेंगे, क्योंकि इसमें दोनों प्वाइंट्स हैं। यह टेक्नीकल काम है लेकिन केवल एसएससी सर्टिफिकेट नहीं है और अगर इसे मेनडेटरी कर दिया तो पुराने लोगों की जॉब चली जाएगी। नए वालों के लिए एसएससी मेनडेटरी करने की बात आई है, पुराने लोगों के लिए एसएससी कम्पलसरी नहीं करेंगे, उनकी जॉब नहीं छीनेंगे, लेकिन नए वालों के लिए विचार करेंगे।

(1125/SK/KMR)

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, we had discussions on the issue of seafarers earlier also in this august House. I would like to express my sincere thanks to hon. Minister Shri Nitin Gadkari-ji because he has taken interest and accepted our feelings also.

Madam Speaker, anybody can start a recruitment agency by depositing an amount of Rs.5 lakh and opening an office, and the DG (Shipping) gives the licence. There have been incidents of Indian seafarers being dumped in other countries. A report has come recently about Halani Shipping Company of Mumbai. That company dumped 150 Indians in Nigeria. They were to be paid salaries for periods between six months to two years.

Violation of the provisions under Section 97 of the Merchant Shipping Act attracts a fine Rs.100 only. That means, anybody can go into the business of recruitment of seafarers. It is a matter of life and death. This is one of the most hazardous jobs. Will the hon. Minister be kind enough to look into these matters and ensure that

the salaries of seafarers are paid as per the norms, the rules and the laws?

We are a part and parcel of the International Labour Organisation Convention. Many clauses of the ILO Convention are yet to be implemented. The hon. Minister has stated in his reply that we have more than 90,000 odd seafarers working abroad. But there are 30,000 retired seafarers in the country who are given a meagre pension of Rs.200 per month. The present position is that nobody gets pension. Not a single paisa is given as pension; it has been stopped. There is a fund of Rs.470 crore. Will the hon. Minister be kind enough to provide adequate pension to the retired seafarers as they have served this nation and they were engaged in the most hazardous jobs?

श्री नितिन गडकरी: माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सच है कि इसमें फाइन बहुत कम है। एमएस बिल में इम्प्रिजनमेंट और पांच लाख रुपए का फाइन को प्रपोज किया है। माननीय सदस्य ने हलानी शिपिंग कंपनी की बात की है, यह बैंकरप्ट है। बैंकरप्ट होने के कारण स्वाभाविक रूप से समस्या खड़ी हुई है। इसमें प्राब्लम यह है कि कुछ नॉन रिकोग्नाइज्ड एजेंसीज़, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ने इल्लीगल तरीके से सीफैरर्स को भेजा है। यहां से लोग फिटट्र या प्लम्बर बनकर जाते हैं और दुबई से जहाज में

चढ़ जाते हैं। इसमें बहुत प्रकार की इरैगुलेरिटीज़ हैं। अभी हमने 478 एजेंसियों को रिकोग्नाइज किया है और इसकी लिंकिंग इम्मीग्रेशन के साथ की है। जब ये एयरपोर्ट जाते हैं, अगर इम्मीग्रेशन के साथ रिकोग्नाइज एजेंसी का कनैक्शन नहीं होगा तो वहीं से रिजैक्ट करके वापस भेज दिए जाते हैं।

हमने सीफैरर्स के वैलफेयर के लिए बहुत सी बातें की हैं। माननीय सदस्य पेंशन की बात कह रहे हैं, यह संभव नहीं है। सरकार इसे नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें बहुत कठिनाइयां हैं। ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं, जिनके तहत पेंशन स्कीम में कन्ट्रीब्यूट करके फायदा उठा सकते हैं। सीफैरर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, गोवा में उसका हैडक्वार्टर है। मैं वहां गया था। उन लोगों ने अपने फंड का उपयोग करके सीफैरर्स को ऐसी स्कीम्स में लाकर मदद की है। हम सरकार की ओर से पेंशन के लिए कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं और मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

(1130/MK/RSG)

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, इस समय सबसे ज्यादा शिपिंग कंपनियां मुम्बई में है।

माननीय अध्यक्ष: इसलिए तो आपको बोलने का मौका दिया है।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): मेरे मूलभूत तीन छोटे-छोटे प्रश्न हैं। इनमें जो अनरेस्ट हैं, वह इसलिए हैं क्योंकि अभी मेरे सहयोगी सदस्य ने आई.एल.ओ. यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा था। जो एम.एल.सी. हैं उनकी वर्ष 2006 में वेज एग्रीमेंट हुई, जो आपके गजेट में भी लिखा हुआ है। It says: “The wages including

the collective bargaining agreement or the seafarers employment agreement shall be in accordance with the guidelines laid down in the Maritime Labour Convention.” अब लेबर कन्वेंशन कहता है कि 614 डॉलर देना चाहिए। हम लोग 105 डॉलर यानी सात हजार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, उनमें यह एक बहुत बड़ा अनरेस्ट है। दूसरा, आपने एक काम और अच्छा किया था, लेकिन उसके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं। पहले सी-फैरर्स को ट्रेनिंग देते थे। इसके लिए प्राइवेट इंस्टिट्यूट्शन्स शुरू हुए। वे लोग उसमें तीन-तीन लाख रुपये फीस लेते हैं। अभी ऐसा हो गया है कि एक वर्ष में 15 हजार बच्चे ट्रेनिंग करके आ जाते हैं, जबकि नौकरियां सिर्फ पाँच हजार लोगों को ही मिलती है और उसमें उनको तनख्वाह भी सिर्फ पांच हजार रुपये ही मिलती है। इस ओर भी आपको ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। ये दो चीजें हैं, जहां उनकी अनरेस्ट ज्यादा है। तनख्वाह और खासकर जो अभी रिक्रूट हो गये हैं, आपने अभी उनके कोर्स को थोड़ा कन्साइज कर दिए हैं। उनके कोर्स को छह महीने से कम कर दिया है, जिसके कारण बच्चे ज्यादा जा रहे हैं। जब वे पास आउट होकर निकलते हैं, तो वैकेन्सी नहीं है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या कदम उठा रहे हैं? उनको आई.एल.ओ. की तरह ही तनख्वाह मिलनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): हाल ही में उन्होंने आपको हड़ताल की नोटिस दी थी। आप इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010 में हमारे देश में सी-फेरर्स की संख्या 62 हजार 214 थी। वर्ष 2017 में यह 1 लाख 54 हजार 350 हो गई है। वर्ष 2014 के बाद सीफैरर्स के 35 हजार नए लोग इसमें ऐड हुए हैं। हमारे देश में ट्रेनिंग इंस्टिट्यूशन्स 157 हैं और उसकी कैपेसिटी यूटलाइजेशन 70 परसेंट है। इसमें इंजीनियर्स भी हैं, नॉटिकल ट्रेन्ड लोगों की भी संख्या है। एक बात जरूर है कि आई.एल.ओ. के वेज़ गाइडलाइन को अनेक शिपिंग कंपनियां पालन नहीं करती हैं और जब पालन नहीं करती हैं, तो उनके ऊपर हम कार्रवाई भी करते हैं और उसमें निगोसिएशन्स होते हैं। एक बात सच है कि लोग बहुत बार रोजगार के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि कितना रोजगार क्रिएट हुआ? हमारी सरकार आने के बाद इस क्षेत्र में काफी बड़े पैमाने पर जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड में पैसा कमाते हैं, वैसे ही सी-फेरर्स के क्षेत्र में इंडिया डोमिनेट कर रहा है। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। हमें ट्रेनिंग में भी सुधार करना होगा। चेन्नई में मैरीटाम यूनिवर्सिटीज़ है। मैंने उन्हें कहा कि इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड के साथ बेल्जियम के रॉटर्डम का जो पोर्ट है और बाकी जगह हमने ट्रेनिंग फैसिलिटी शुरू की है। यदि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्स और पैरामीटर्स पूरा करेंगे तो हमारी मैन पॉवर को फॉरेन फ्लैग में भी इम्प्लायमेंट मिलेगा।

मुझे एक बात कहते हुए दु:ख हो रहा है कि विश्व में शिपिंग इंडस्ट्री की हालत बहुत खस्ता है। हमारे देश में भी इसकी हालत बहुत खस्ता है। अब अरविंद सावंत जी जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां से वेस्टर्न रीजन में सभी बड़े शिपयार्ड बंद होने के कगार पर हैं। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री को लगातार कहता रहा हूं कि आने वाले दस साल में जो आर्डर

है, उसको निकालिए। शिप इंडस्ट्री की हालत बहुत खराब है। आज इस पर एक प्रश्न भी आया है। भारतीय बैंकों के करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये शिप इंडस्ट्रीज में फंसे हुए हैं। शिप इंडस्ट्री की हालत ठीक नहीं है। अब हमने क्रूज टूरिज्म शुरू किया है। 80 क्रूज आ गये हैं। हम 1 अक्टूबर से आपके संसदीय क्षेत्र में मुम्बई से गोवा तक क्रूज सेवा शुरू कर रहे हैं। एक क्रूज में चार-पांच हजार लोगों को रोजगार मिलता है। हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी उसमें उतनी सफलता नहीं मिली है। रिवर ट्रांसपोर्ट भी चालू किया है, टूरिज्म भी चालू किया है, फिर भी शिप इंडस्ट्री की हालत अच्छी नहीं है। इसको सपोर्ट करने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट्स भी दिया है, फिर भी इसकी हालत अच्छी नहीं है। मैं भी चिंतित हूं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें से मार्ग निकालें कि कैसे नए इम्प्लाएमेंट खड़ा हो। यह इंडस्ट्री लैंड, वाटरवेज, समुद्र, डेवलपमेंट एक्टिविटिज़ और मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर में प्रोत्साहन मिले। इससे आगे कुछ परिस्थिति बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

(ends)

(1135/RPS/RK)

(प्रश्न 223)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्र में 500 की आबादी तक और पहाड़ी इलाकों में 250 की आबादी तक सड़कों का निर्माण होना था। मेरा मूल प्रश्न है कि आज भी उसमें कुछ खामियां रह गई हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस ग्राम की आबादी 1000 या 1500 है, लेकिन जनगणना में अगर उसकी आबादी गलती से 200 या 300 लिख दी गई है, तो वे गांववासी सड़क से नहीं जुड़े हैं। कुछ ऐसे भी गांव हैं जो सड़क से जुड़ चुके हैं, लेकिन बीच में एक किलोमीटर दूरी रह गई है। क्या उसको बनाने के बारे में सरकार कोई विचार रखती है? मैं बिहार से आता हूं, वहां सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पहाड़ी इलाकों में 250 की आबादी वाली बसावटों तक सड़कें बन चुकी हैं? मेरा मूल प्रश्न यही है कि जो भी 500 की आबादी वाली बसावटें हैं, क्या उनको सड़क से जोड़ा चुका है?

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने बिल्कुल सही कहा है। सड़कों का निर्माण राज्यों का विषय है, लेकिन जब माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने राज्यों की हालत को देखते हुए यह निर्णय लिया कि केन्द्र सरकार के माध्यम

से भी हम सड़कों के निर्माण में सहयोग करेंगे। उसी समय उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की परिकल्पना की और वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर एक मानक तय किया गया कि 500 से 1000 की आबादी वाली बसावटों को इसमें लेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में 250 की आबादी तक और नक्सल प्रभावित इलाके में 100 की आबादी वाली बसावटों को इसमें लेंगे। इस तरह से एक योजना बनी। उस योजना के अनुसार यह तय किया गया था कि वर्ष 2008 तक इन सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से पूरा कर लेंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली गई, यूपीए की सरकार आई और वर्ष 2008 तक का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्ष 2008 तक जो लक्ष्य पूरा होना था, आज वर्ष 2018 तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। विगत वर्षों में जब हमारी सरकार आई। …(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए।…(व्यवधान) जब वर्तमान सरकार वर्ष 2014 में बनी, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी की जो चिन्ता है – गांव, गरीब और किसान, उसे देखते हुए पूववर्ती सरकार ने जिस राशि को बहुत कम कर दिया था, हमने उस राशि को बढ़ाने का काम किया। पहले जहां यूपीए की सरकार में इस पर 8,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे, हमने उसे 19,000 करोड़ रुपये तक ले जाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूववर्ती सरकार ने जो लक्ष्य रखा था कि इन सड़कों का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा करेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम एक मिशन मोड के तहत काम करेंगे और गांव, गरीब और किसान के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता है, हमने वर्ष

2019 तक उन सभी बसावटों को जोड़ने का निर्णय लिया है।...(व्यवधान) मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि हम आज उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं बताना चाहूंगा कि पात्र बसावटों की संख्या 1,78,184 थी, जिनमें से 1,64,913 को स्वीकृत कर दिया गया है। इस तरह से लगभग 92.55 प्रतिशत बसावटों को स्वीकृति दे दी गई है। इसमें राज्यों ने भी सहयोग किया है। जहां तक बिहार का संबंध है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार भी निश्चित तौर पर ढंग से काम कर रही है। बिहार में पात्र बसावटों की संख्या 34,813 थी, जिनमें से 31,427 को स्वीकृत किया गया है।

(1140/ASA/PS)

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत आज तक 26257 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। मैं समझता हूं कि जो 500 के करीब बची हुई बसावटें हैं, उनके लिए वर्ष 2019 तक पूरा करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि न सिर्फ बिहार में, बल्कि देश की जितनी सड़कें हैं, वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर जो कुल बसावटें हैं, हम 2019 तक उन लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे। हम फेज वन पूरा कर ही रहे हैं। हम फेज टू को भी पूरा करने का काम कर रहे हैं। हमने फेज टू में निर्णय लिया है कि हम 50,000 कि.मी. सड़कों का निर्माण कराएंगे। धनराशि की कोई कमी नहीं है। मैं आपको प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पूरे तौर पर ...(व्यवधान) सैकेंड फेज में हमने 20,000 कि.मी. निर्माण कार्य पूरा कर लिया

है। 32,000 कि.मी. सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी है और शेष निर्माण हम समय-सीमा के अंदर पूरा कर लेंगे।

बिहार का कोटा 2465 कि.मी. है। मैं समझता हूं कि 90 प्रतिशत हमने बिहार की बसावटों के लिए स्वीकृति दे दी है। जैसे ही बिहार उनका काम पूरा कर लेगा, हम दूसरे फेज में भी आबंटन करने पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि तत्काल अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है। मैं समझता हूं कि वर्ष 2019 तक देश का कोई गांव सड़क से अछूता नहीं रहेगा। यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है। …(व्यवधान) जितने भी पैसे की जरूरत होगी, वह पैसा हमारे पास तैयार है, हम प्रधान मंत्री जी के निर्देश पर वह राशि देंगे और गांवों के जो वर्षों के अधूरे सपने हैं, उनको पूरा करने का काम करेंगे क्योंकि प्रधान मंत्री जी की प्रतिबद्धता है- गांव, गरीब और किसान।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से पी.एम.जी.एस.वाई. सड़कों के निर्माण में सरकार 60 प्रतिशत राशि देती है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो सड़क बन जाती है, क्या उसके मेनटेनेंस के लिए सरकार 60 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को देना चाहती है ?

श्री रामकृपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2001 में जब यह पी.एम.जी.एस.वाई. प्रारम्भ हुई तो वन टाइम सड़क के निर्माण की नीति बनाई गई थी और हमने उसमें यह भी कहा था कि निर्माण के बाद पांच साल तक हम मेनटेनेंस का

काम करेंगे। पांच साल के बाद राज्य उनका मेनटेनेंस करेंगे, यह एक नीतिगत फैसला लिया गया था।

मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि राज्य सरकारों ने इस पर सकारात्मक पहल की और कुल मिलाकर आज जो राज्यों की संख्या है, 26 राज्यों ने सड़कों के मेनटेनेंस की पॉलिसी एडॉप्ट कर ली है। वे इस पी.एम.जी.एस.वाई. के तहत सड़कों का निर्माण करा रहे हैं। इसमें केन्द्र सरकार कंट्रिब्यूट कर रही है। जो राज्य सरकार अच्छे ढंग से सड़कों का निर्माण कर रही है, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको धनराशि भी दे रहे हैं। इंसेंटिव मनी भी दे रहे हैं, जैसे कि वर्ष 2016-2017 में 1076 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। वर्ष 2017-2018 में 882 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई थी। बिहार को भी 75 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। मैं समझता हूं कि प्रोत्साहन राशि के रूप में जो राशि हम दे रहे हैं, सड़कों के निर्माण के बाद राज्यों का ही यह दायित्व बनता है कि वे उन सड़कों की मेनटेनेंस करने का काम करें।

(1145/ASA/RC)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया है। सबसे पहले मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी जो आपने जनगणना का जिक्र किया है, अभी आपकी सरकार जनगणना लाई नहीं है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर आप काम कर रहे हैं। आप जनगणना लाइए तब पता चलेगा कि आदिवासी, दलित और एस.सी,एस.टी. की क्या स्थिति है?

दूसरे, विशेष श्रेणी में किस तरह से आप राज्यों को मापदंड में रखते हैं क्योंकि दुनिया में बिहार सबसे गरीबी रेखा से नीचे आता है। उसकी विशेष श्रेणी क्या है? मैं बिना किसी राजनीति के आपसे सीधा आग्रह करना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में 2029 तक मापदंड रखा है। आपने वर्ष 2020 तक क्रान्ति करने की तैयारी कर ली है और आप जवाब कुछ देते हैं। वर्ष 2013-2014 में 31600 करोड़ रुपये, वर्ष 2014 में 36192 करोड़ रुपये, वर्ष 2015-2016 में 37000 करोड़ रुपये, 2016-2017 में 66000 करोड़ रुपये है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब वर्ष 2016-2017 में 33000 करोड़ रुपये है, वर्ष 2017-2018 में 15000 करोड़ रुपये है और वर्ष 2016-2017 में मात्र 889 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 2018 में 1257 करोड़ रुपये है। आप छोटे राज्यों को देख लीजिए। झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान इत्यादि राज्यों में आपने तीन गुना पैसा दिया है और बिहार में आपने उसका एक तिहाई पैसा दिया है। यह आपके जवाब में है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपने टाल, दियरा, बाढ़ से प्रभावित इलाकों, पहाड़ी और मरुभूमि इलाकों जैसे मगध और नक्सली इलाके जो गया और ज़हानाबाद हैं, आप उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। बिहार के टाल और दियरा इलाके जो बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हैं, बिहार का तीन हिस्सा बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है, लेकिन उस पर भी आप चर्चा नहीं कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सीधा सवाल है कि वर्ष 2014 से 2018 तक प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत कुल कितनी कि.मी. सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास बिहार ने भेजा है? यह प्रस्ताव जब आपके

पास आया हुआ है तो कमीशनखोरी के कारण गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। ...(व्यवधान) क्या सरकार केन्द्रीय जांच एजेंसी को बिहार राज्य के तहत, क्योंकि आप ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को बार-बार टेंडर देते हैं। ...(व्यवधान) वह नेता, भतीजा और पदाधिकारी लोग होते हैं। आपने अभी दिशा कमेटी का जिक्र किया है।

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए। क्या आपका कोई प्रश्न नहीं है? भाषण नहीं चलता। आप प्रश्न पूछिए। आग्रह नहीं, प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपसे आग्रह है कि जो बिहार में कम राशि दी गई है और टाल और दियरा के लिए नहीं, बल्कि इसके साथ ही आप जो ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को बार-बार टेंडर देते हैं और बिहार में कोई काम नहीं कर रहे हैं और आप झूठा भाषण कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप दिशा कमेटी को और मजबूत कीजिये। इसके साथ ही आप जांच एजेंसी को भेजिये जिससे कमीशनखोरी को रोका जा सके। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप दियरा और मरूभूमि को मत भूलिये।

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने आग्रह किया है, उसको मान लीजिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजेश जी, आप बैठिये। आपस में बात क्यों कर रहे हैं? राजेश जी, आप बैठिये। आज आपका अधिकार था, पूरा दे दिया है। अब आप शांति से बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री रामकृपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने एक साथ कई प्रश्न कर दिये हैं। मेरे पास इनका सही उत्तर देने की क्षमता है। सबसे पहली बात यह है कि मांग के आधार पर सड़कों का निर्माण होता है। मैंने कहा कि बिहार की मांग के अनुसार राशि भी दी जा रही है। राशि की कोई कमी नहीं है। मानक के आधार पर जितना प्रस्ताव था, सभी को हमने स्वीकृत करने का काम किया है। हमने राशि भी आबंटित कर दी है।

बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, करीब 5 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। उन पर हम विशेष ध्यान देने का काम कर रहे हैं। नक्सलप्रभावी इलाकों से जो प्रस्ताव आए हैं, कुल मिलाकर 4134 ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण करना है। हम विशेष तौर पर अभियान चला रहे हैं। न सिर्फ बिहार में ही बल्कि पूरे देश के पैमाने पर हम यह अभियान चला रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जहां तक जो कुछ भ्रष्टाचार की बात माननीय सदस्य ने कही है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक नयी तकनीक को इस्तेमाल के लिए जनमानस में रखने का काम किया है।

(1150/RAJ/SNB)

'मेरी सड़क ऐप', जिस पर कहीं से कोई भी, आम आदमी भी उसकी हालात की जानकारी दे सकता है, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं, उसकी लगातार मॉनिटरिंग करने का काम कर सकते हैं। माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों की बात की है। माननीय सदस्य ने इस तरह की शिकायत हमें दी है। मैंने उसे कार्रवाई

के लिए अग्रसर कर दिया है। अगर इस तरह की कोई और बात है तो माननीय मंत्री जी ऑफिस में बैठेंगे, उनसे संपर्क करके आप शिकायत की जानकारी देंगे तो हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे।

पारदर्शिता, हमारी प्रतिबद्धता है, मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। हम भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। हम ने भ्रष्टाचार से न कोई समझौता किया है और न ही करने वाले हैं। अभी समय का अभाव है, मैं आपको बता सकता हूं कि किस तरह से हम ने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, न सिर्फ 'प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना' के अंतर्गत बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न योजनाओं, जैसे – मनरेगा और आवास, सभी को नियंत्रित करने का काम किया है। हम ने नई तकनीक का उपयोग करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने वाली है। मैं यह कह देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने पूरी तरह से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए काम किया है और लिकेज को बंद करने का काम किया है। ...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अध्यक्ष महोदया, सवाल बिहार से संबंधित है। अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 544 सड़कों का निर्माण किया जाना है। अगर आप हमें इसकी सूची उपलब्ध करा दें तो बहुत अच्छा होगा। सभी माननीय सदस्य बिहार से संबंधित विषय उठा रहे हैं। यह हमें एक विषय को ठीक से नहीं समझा पाए हैं।

मैडम, अभी बिहार में फेज-वन का काम चल रहा है जब कि अन्य राज्यों में यह काम फेज-वन, फेज-टू और फेज-थ्री तक पहुंच चुका है। अभी बिहार में फेज-वन का काम पूरा नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि मंत्री जी से कागज मंगा कर बात कर लें। इन्होंने कहा है कि फेज-टू काम के लिए उन्होंने बिहार में पूरी स्वीकृति दे दी है। बिहार में फेज-टू के काम का कागज ही शुरू नहीं हुआ है। यह आप आपस में बुला कर पूछ लें कि हमारी जानकारी में है या नहीं है।

अध्यक्ष महोदया, बिहार में कोर नेटवर्क वर्ष 2001 के सेन्सस पर बना था। कोर नेटवर्क में ही बिहार के मेजॉरिटी गांवों की सूची छोड़ दी गई, जिसके कारण बिहार के सभी माननीय सदस्यों को आज मेजर प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई संशोधन करना है तो भारत सरकार के अधिकारियों के पास जाने पर वे कहते हैं कि हम गुगल से नाप लेते हैं। कोर नेटवर्क पर जो नक्शा है, हम उसी पर रोड बनाएंगे और बाकी का नक्शा नहीं है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कोर नेटवर्क में छूटी हुए सड़कों जिनका फेज-वन में निर्माण नहीं हुआ है, क्या उनका निर्माण कराएंगे? अगर आप फेज-टू के निर्माण में फेज-वन की छूटी हुई सड़कों को ले लेंगे तो शायद बिहार की इस समस्या का निराकरण हो सकेगा? यह हमारी मांग है।

श्री राम कृपाल यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं सबसे पहले माननीय सदस्य से आग्रह करना चाहूंगा कि वे मेरे जवाब को देख भी लें। मैंने ऐसा नहीं कहा है कि हम ने सेकेंड फेज स्कीकृत किया है। …(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): अभी आपने बोला है। …(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : दूसरी बात यह है कि मैंने बिहार के संदर्भ में नहीं कहा है। …(व्यवधान) जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भी पहले कोर नेटवर्क के हिसाब से कुल मिला कर पहले फेज में 544 कार्य बचे हुए हैं और तीन हजार चार सौ ब्यालीस किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। चूंकि राज्य सरकार एजेंसी है, राज्य सरकार ने मुझे एश्योरेंस दिया है कि वर्ष 2019 तक जो टारगेट फिक्स है, हम उसे पूरा करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2019 तक यह टारगेट पूरा होगा। निश्चित तौर पर, हम लोग इसकी पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टारगेट को पूरा करने के लिए अधिकारी स्तर पर इसका अनुश्रवण करने का कार्य किया जा रहा है। , 90 प्रतिशत की स्वीकृति मिल गई है और निश्चित तौर पर 83 प्रतिशत टारगेट की पूर्ति हो गई है। जो सड़क छूटी हुई हैं, जिनका निर्माण नहीं हो पाया है, उनको वर्ष 2019 से पहले पूरा कराने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, मैं चाहूंगी की बिहार की तरफ विशेष ध्यान दें।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया, मंत्री जी की बात सुनिए। आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): अध्यक्ष महोदया, स्टेट एमपीज को बुला कर मीटिंग की जाए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए, वह बोल रहे हैं।

...(<u>व्यवधान</u>)

(1155/IND/RU)

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा खान मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): अध्यक्ष महोदया, बिहार के बारे में चर्चा हुई है, तो मुझे लगा कि मैं अपनी बात सदन के सामने रखूं। जब वर्ष 2001 में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनी, उस समय कोर-नेटवर्क बनाया गया और उसमें देश की 1,78,000 बसावटें शामिल की थीं। सबसे पहले लक्ष्य इन बसावटों को सड़क से जोड़ना था। चूंकि शुरुआती दौर में यह प्रश्न बिहार से संबंधित था, इसलिए मैं बिहार में इस योजना की स्थिति के बारे में बता रहा हूं। इस योजना के पहले पांच साल के अंदर बिहार में जो प्रगति होनी चाहिए थी और देश के साथ बिहार को जैसे चलना चाहिए था, वह वर्ष 2001 से वर्ष 2004-05 तक नहीं हो सका। इस वजह से बिहार निश्चित रूप से इस दौड़ में थोड़ा पिछड़ गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज बिहार सरकार बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। अब सिर्फ 544 बसावटें बची हैं, जिन्हें इस नेटवर्क से जोड़ना बाकी है और इसके भिन्न-भिन्न कारण हैं। अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग परिस्थिति है। बिहार में भूमि की कमी है। हमारे मध्य प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सभी लोग सड़क के लिए जमीन दे देते हैं, बल्कि सड़क बनाने के लिए लोग खेतों के बीच में से ऐसे ही जमीन दे देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : इसी वजह से मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा काम हुआ है।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : जी हाँ। चूंकि बिहार में भूमि की कमी है और शुरुआती दौर में कांट्रेक्टर्स द्वारा ठीक से काम न किए जाने के कारण इस योजना में विलम्ब हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को पूरा हिस्सा दिया जा रहा है और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए बिहार सरकार के पास जो भी प्रस्ताव आएगा, उसे बिलकुल भी रोका नहीं जाएगा और बिहार सरकार की जितनी पात्रता है, उतनी सड़क बिहार सरकार बनाए, हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं।

महोदया, एक-दो माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि कोर-नेटवर्क को रिवाइज करना चाहिए। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कोर-नेटवर्क की पहले 1,78,000 सड़कें बन जाएं, उसके बाद वे राज्य प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे फेज के लिए एलीजिबल होंगे, उस समय उन्हें शामिल किया जा सकता है। पिछले बजट के दौरान आपके ध्यान में होगा कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा फेज भी एनाउंस किया है और उसके लिए कार्यवाही चल रही है। उसके अंतर्गत हम एक लाख किलोमीटर सड़क बनाने वाले हैं। गांव स्कूल से जुड़ें, कालेज से जुड़ें, अस्पताल से जुड़ें, तहसील से जुड़ें, इसके लिए हम एक लाख किलोमीटर सड़क बनाने वाले हैं।

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Madam, earlier, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana used to be a 100 per cent Central Government-funded Scheme but for the last one-and-a-half years, we are seeing that a substantial or a significant amount is being contributed by the States as well.

The current Government at the Centre or the hon. Prime Minister talk about cooperative federalism but apparently, we see that the works happening on the ground say something else. It seems that they are promoting fake federalism. When the States are already burdened, why do you have to burden and bottleneck the States again? I have seen that it is leading to the bottleneck of the States which are already burdened as far as implementation of various projects is concerned. What steps are taken by the hon. Minister or the honourable representative at the Centre to ensure smooth implementation of the projects?

Secondly, in the reply which has been laid on the Table of the House by the hon. Minister, it is said that PMGSY is a one-time special intervention of the Union Government to provide rural connectivity, by way of single all-weather road to the eligible unconnected habitations in the core network. We talk about the poor and the marginalised people, and you cannot just cite lame reasons and extend the time framework till 2022 or 2025 and so on and so forth. The people of the country have chosen the Government for a

specific period of five years. This Government has been at the helm of affairs and in power for the last four-and-a-half years.

(1200/NKL/VB)

So, I would specifically like to know as to what the plan of action is till January, 2019?

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछें। Complete it.

… (*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): Madam, I am here to register my protest.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I also have to see the time.

… (*Interruptions*)

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): I am asking the question, Madam. If I am to only ask the question and expect an answer, I could have done it in the Central Hall of the Parliament also.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: In the Question Hour, this will only happen. You ask the question, please. I do not understand why are you not asking the question.

SHRI ABHISHEK BANERJEE (DIAMOND HARBOUR): What is the plan of action till January, 2019? What are you thinking about the rural people? It is because we talk about the rural people; we talk about the tribal people; we talk about the SCs; we talk about the STs and there has been no implementation.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: That is all. Please sit down.

श्री नरेन्द्र तोमर : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने 60:40 रेशियो के विषय में बात उठाई है। 13वें वित्त आयोग में राज्यों को 32 प्रतिशत धनराशि मिलती थी। मोदी जी की सरकार ने उसे बढ़ाकर 42 प्रतिशत किया। स्वाभाविक रूप से राज्यों के पास धनराशि बढ़ी है। इसलिए दुबारा मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी और उस कमेटी ने डिसाइड किया कि 60:40 के रेशियो पर विभिन्न योजनाओं को करना चाहिए और 90:10 के रेशियो पर इन-इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए। इस लिहाज से, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं।

जहाँ तक माननीय सदस्य ने पिछड़े और गरीब तबके की बात की है, उसके बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कैसा परफॉर्मेंस है, पहले वे उसे देख लें। मैं समझता हूँ कि वहाँ काफी काम हो रहे हैं। उसे देखने के बाद बात करेंगे, तो ठीक रहेगा। कुल मिलाकर यदि भाषण होगा, तो भाषण का जवाब तो भाषण ही हो सकता है और प्रश्न होगा, तो प्रश्न का जवाब उत्तर हो सकता है।…(व्यवधान)

(ends)

HON. SPEAKER: Question Hour is over. I am sorry.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इस पर चर्चा माँग लेना, हम उसकी अनुमति दे देंगे। इस प्रकार से शोर नहीं होता है।

…(व्यवधान)

QUESTION HOUR OVER

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION

HON. SPEAKER: Members, I have received notices of Adjournment Motion from some Members on different issues. The matters, though important, do not warrant interruption of the Business of the day. Matters can be raised through other opportunities. I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.… (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1202 hours

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): Madam, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Delhi, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, for the year 2016-2017.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the National Film Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2016-2017.

(ii) Annual Report of the National Film Development Corporation Limited, Mumbai, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अपने सहयोगी श्री राजकुमार सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उपधारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण (अभिहित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा संरक्षण सन्नियम और मानक, प्रारूप, स्कीम की तैयार और कार्यान्वयन की समयावधि और रीति, ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए तथा खपत की गई ऊर्जा के समकक्ष तेल का प्रति मिट्रिक टन मूल्य) संशोधन नियम, 2018 जो 27 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 409(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table a copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the Kamarajar Port Limited and the Ministry of Shipping for the year 2018-2019.

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) नेशनल एल्युमीनियम कंपनी मिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2018 जो 27 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 289 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा०का०नि० 389(अ) जो 23 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ ओडिशा मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) सा०का०नि० 255(अ) जो 21 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ओडिशा राज्य के कोरापुट जिले के पोटंगी तालुक में मैसर्स नाल्को के माध्यम से बॉक्साइट निक्षेपों के संबंध में पूर्वेक्षण करने या खनन संक्रियाओं के लिए 697.979 हेक्टेयर क्षेत्र को 26 अप्रैल, 2022 तक के लिए आरक्षित रखा गया है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Airports Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Airports Economic Regulatory Authority of India, New Delhi, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Polavaram Project Authority, Hyderabad, for the year 2016-2017,.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Polavaram Project Authority, Hyderabad, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) एनटीसी लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-2019 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का०आ० 4081 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 27 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का०आ० 126 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का०आ० 1024(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 9 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 14 जनवरी, 2016 की अधिसूचना संख्या का०आ० 126 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 10 of the National Highways Act, 1956

1. S.O.1322(E) published in Gazette of India dated the 22nd March, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 125 (Sitarganj-Tanakpur Section) in the State of Uttarakhand excluding Khatima Bypass section on EPC mode.
2. S.O.1533(E) published in Gazette of India dated the 6th April, 2018, regarding rounding off user fee to nearest Rs.5/- in nearly 42 old BOT (Toll) projects.
3. S.O.2009(E) published in Gazette of India dated the 21st May, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No.7 (Madurai-Tirunelveli-Panagudi-Kanyakumari Section) in the State of Tamil Nadu.

4. S.O.2010(E) published in Gazette of India dated the 21st May, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 3 (Shivpuri-Guna Section) in the State of Madhya Pradesh.

5. S.O.2299(E) published in Gazette of India dated the 6th June, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of Six-Lane Eastern Peripheral Expressway (NH No. NE-II) in the States of Haryana and Uttar Pradesh.

6. S.O.2940(E) published in Gazette of India dated the 18th June, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway Nos., mentioned therein.

7. S.O.3162(E) published in Gazette of India dated the 29th June, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway No. 16 (Old NH 5) (Vijayawada to Visakhapatnam Section) in the State of Andhra Pradesh.

8. S.O.3163(E) published in Gazette of India dated the 29th June, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway 15 (Jaisalmer-Barmer-Sanchor-Gujarat Border (upto Gandhav Bridge Section) in the State of Rajasthan.

9. S.O.3164(E) published in Gazette of India dated the 29th June, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway 5 (Vijayawada to Visakhapatnam Section) in the State of Andhra Pradesh.

10. S.O.3165(E) published in Gazette of India dated the 29th June, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway 76 (Swaroopganj-Pindwara-Rajasthan/Gujarat Border Section) in the State of Rajasthan.

11. S.O.3166(E) published in Gazette of India dated the 29th June, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway 16 (Old NH 5) (Vijayawada to Visakhapatnam Section) in the State of Andhra Pradesh.

12. S.O.3167(E) published in Gazette of India dated the 29th June, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway 8A (Bamanbore to Samakhyali to Gandhidham Section) in the State of Gujarat.

13. S.O.3168(E) published in Gazette of India dated the 29th June, 2018, regarding rates of fees to be recovered from the users of National Highway 8A (Bamanbore to Samakhyali to Gandhidham Section) in the State of Gujarat.

14. S.O.1842(E) published in Gazette of India dated 8th May, 2018, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

15. S.O.1819(E) published in Gazette of India dated 4th May, 2018, regarding acquisition of land for building, maintenance, management and operation of National Highway No. 24B (Lucknow-Raibareilly-Allahabad Section) in the State of Uttar Pradesh.

16. S.O.1466(E) published in Gazette of India dated 3rd April, 2018, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

17. S.O.1385(E) published in Gazette of India dated 27th March, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

18. S.O.1357(E) published in Gazette of India dated 26th March, 2018, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

19. S.O.1117(E) published in Gazette of India dated 13th March, 2018, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

20. S.O.995(E) published in Gazette of India dated 6th March, 2018, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

21. S.O.993(E) and S.O.994(E) published in Gazette of India dated 6th March, 2018, making certain amendments in Notification No. S.O.689(E) dated 4th April, 2011.

22. S.O.2025(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

23. S.O.2027(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

24. S.O.2024(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2018, containing corrigendum to the Notification No. S.O. No.3202(E) dated 29th September, 2017.

25. S.O.2023(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2018, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

26. S.O.1970(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

27. S.O.2943(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2018, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

28. S.O.2944(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2018, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

29. S.O.2945(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

30. S.O.2969(E) published in Gazette of India dated 20th June, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

31. S.O.2971(E) published in Gazette of India dated 20th June, 2018, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

32. S.O.3031(E) published in Gazette of India dated 22nd June, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

33. S.O.3251(E) published in Gazette of India dated 5th July, 2018, making certain amendments in Notification No. S.O.689(E) dated 2nd March, 2017.

34. S.O.3252(E) published in Gazette of India dated 5th July, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

35. S.O.3255(E) published in Gazette of India dated 5th July, 2018, declaring highways, mentioned therein, as new National Highways.

36. S.O.1519(E) published in Gazette of India dated 6th April, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.1096(E) dated 4th August, 2005.

37. S.O.1358(E) published in Gazette of India dated 26th March, 2018, making certain amendments in the Notification No. S.O.689(E) dated 4th April, 2011.

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 11 of the National Highways Act, 1988:-

1. S.O.1518(E) published in Gazette of India dated 6th April, 2018, entrusting the stretches of National Highway Nos., mentioned therein, to National Highways Authority of India in the State of Maharashtra.
2. S.O.2026(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2018, entrusting the stretches of National Highway No. 32 (Jharkhand/West Bengal Border to Detiya Section) to National Highways Authority of India in the State of West Bengal.
3. S.O.2028(E) published in Gazette of India dated 22nd May, 2018, entrusting the stretches of National Highway No. 131A (Narenpur-Purnea Section) to National Highways Authority of India in the State of Bihar.
4. S.O.2946(E) published in Gazette of India dated 19th June, 2018, entrusting the stretches of National Highway No. 30 (Ara-Mohania Section) to National Highways Authority of India in the State of Bihar.
5. S.O.2970(E) published in Gazette of India dated 20th June, 2018, entrusting the stretches of National Highway No. 161BB (Madnur-Rudrur-Bodhan Section) to National Highways Authority of India in the State of Telangana.

6. S.O.3030(E) published in Gazette of India dated 22nd June, 2018, entrusting the stretches of National Highway No. 111 (New NH. 130) (Bilaspur-Partharpali Section) to National Highways Authority of India in the State of Chhattisgarh.
7. S.O.3032(E) published in Gazette of India dated 22nd June, 2018, entrusting the stretches of National Highway Nos, mentioned therein, to National Highways Authority of India in the State of Uttar Pradesh.
8. S.O.3254(E) published in Gazette of India dated 5th July, 2018, entrusting the stretches of National Highway Nos, mentioned therein, to National Highways Authority of India in the State of Gujarat.
9. S.O.1969(E) published in Gazette of India dated 22nd June, 2018, entrusting the stretches of National Highway No. 161 (Sangareddy-Telangana/Maharashtra Border Section) to National Highways Authority of India in the State of Telangana.
10. S.O.1386(E) published in Gazette of India dated 27th March, 2018, entrusting the stretches of National Highway Nos,

mentioned therein, to National Highways Authority of India in the State of Gujarat.

(3) A copy of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.427(E) in Gazette of India dated the 7th May, 2018 under Section 9 of the National Highways Act, 1956.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (DR. SATYA PAL SINGH): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Mission for Clean Ganga, New Delhi, for the year 2016-2017.

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति
42वाँ से 46वाँ प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयले का उत्पादन, विपणन और वितरण' के विषय के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 42वाँ प्रतिवेदन।

(2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'एसएआईएल और मैकोन लिमिटेड का वास्तविक और वित्तीय कार्य-निष्पादन' विषय के बारे में समिति के 37वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वाँ प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में समिति के 38वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 44वाँ प्रतिवेदन।

(4) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों' के बारे में समिति के 39वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 45वाँ प्रतिवेदन।

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2018-2019)' के बारे में समिति के 40वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वाँ प्रतिवेदन।

(1205/KSP/PC)

COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE
20th and 21st Reports

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Madam, I beg to present the Twentieth and Twenty-first Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Papers Laid on the Table (2017-2018).

STATEMENT CORRECTING THE ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO. 1596 DATED 26TH JULY, 2018 RE: PRODUCTION OF RENEWABLE ENERGY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, on behalf of Shri R.K. Singh, I beg to make a statement correcting the reply (Hindi and English versions) given on 26 July, 2018 to Unstarred Question No. 1596 by Dr. P.K. Biju regarding “Production of Renewable Energy’.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 45th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON INFORMATION TECHNOLOGY - LAID

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 45th Report of the Standing Committee on Information Technology on Demands for Grants (2018-19), pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 20th REPORT OF STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Water Resources on Demands for Grants (2018-19), pertaining to the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation.

STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS CONTAINED IN 28TH REPORT OF STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT – LAID

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव) : अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं।

STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS IN 19th AND 28th REPORTS OF STANDING COMMITTEE ON COAL AND STEEL – LAID

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI HARIBHAI CHAUDHARY): Madam, I beg to lay the following statements regarding:-

1. the status of implementation of the recommendations contained in the 19th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2016-17), pertaining to the Ministry of Mines.
2. the status of implementation of the recommendations contained in the 28th Report of the Standing Committee on Coal and Steel on Demands for Grants (2017-18), pertaining to the Ministry of Mines.

विशेष उल्लेख

1208 बजे

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : स्पीकर मैडम, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ...(व्यवधान) सर्वोच्च न्यायालय ने 20 मार्च, 2018 को दिए अपने आदेश में कहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत आरोपियों की गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है और जांच और संबंधित अधिकारों की अनुमति के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है। ...(व्यवधान) सुप्रीम कोर्ट का यह जो आदेश निकला, इसमें एस.सी., एस.टी. के सारे केसिज़, जिनमें उनके खिलाफ अत्याचार होते थे, उस वक्त एफ.आई.आर. कर के डायरैक्टली अक्यूज़्ड को अरेस्ट किया जाता था। ...(व्यवधान) लेकिन यह जजमेंट आने के बाद पहले का वह कानून, जिसे इस सदन ने वर्ष 1989 में बनाया था, जिसे राजीव गांधी जी ने तैयार किया था और वह पास भी हुआ था, उसके बाद वह कानून आगे चलता रहा। ...(व्यवधान) लो मैं आपको तारीख भी बताता हूं, मुझे मालूम था कि आप यह बात कहेंगे। ...(व्यवधान) The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 was passed on 12th September, 1989. The tenure of Shri Rajiv Gandhi as Prime Minister was from 31st October, 1984 to 2nd December, 1989.

(1210/SPS-KKD)

Shri V.P. Singh's tenure as Prime Minister was from 2nd December, 1989 to 10th November, 1990.इस बात को याद रखना चाहिए। …(व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): यह मामला वी.पी. सिंह जी के समय का वर्ष 1967 का है।

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, आप सामने देखकर बोलते रहिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): हमने पास किया था। क्यों गलत क्रेडिट लेते हो? जिन्होंने किया है आप उनको बोलिए। आपने जो किया आप उसका क्रेडिट लीजिए।

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी आप बोलते जाइये, आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है।

…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : वह तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपने ले लिया उनको। यही तो कॉन्स्पीरेंसी थी। …(व्यवधान) यह राफेल डील नहीं है। …(व्यवधान) ऐसा मत बोलिए …(व्यवधान) तुम्हारी बहुत बातें हमारे पास हैं। मैडम स्पीकर, मैंनें इसीलिए यह क्लेरिफाई किया है और मुझे मालूम था कि यह सदन में उठेगा, इसलिए मैं इसकी तैयारी से आया हूँ। दूसरी चीज, यह जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है यह बहुत ही खतरनाक जजमेंट एस.सी./एस.टी. के लिए है। यह जजमेंट आने के बाद हम सभी पार्टी के नेताओं ने, एक ही पार्टी नहीं कम से कम सत्रह पार्टी के नेता और एम.पीज., राज्यसभा के मेम्बर्स और लोकसभा के मेम्बर्स 27 मार्च 2018 को प्रेसीडेंट से मिले। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात बोलिए, जीरो आवर में लम्बी बात नहीं, फिर आपको लगेगा कि आपको बात उठाने नहीं दी गयी।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, इस मेमोरेण्डम पर सबके सिग्नेचर हैं।

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, जीरो आवर में जीरो जितनी ही बात होती है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : हम उनसे मिले। मिलने के बाद हमने उनसे रिक्वेस्ट की और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि यह जो जजमेंट है इसको नल्लिफाई किया जाये। यह डाइलूशन होकर आया है। इसकी वजह से एस.सी./एस.टी. के जो अधिकार थे वे सब अधिकार चले गये हैं तथा अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ कदम नहीं उठाया है। चार महीने हो गये हैं। इससे पहले श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक लैटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा था।

माननीय अध्यक्ष: हाँ ठीक है, आपने बहुत बार यह मामला उठाया है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : उसमें उन्होंने कहा कि अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस कानून को आप रिस्टोर कर दीजिए और इसके लिए कदम उठाइये। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपकी बात रिकार्ड में आ गयी है। क्या कर रहे हो, क्या नाम है इनका? आप बैठ जाइए। क्या आप मिनिस्टर हैं जो बोल रहे हैं? आपके मिनिस्टर बोलने वाले हैं। आप मिनिस्टर नहीं, आप बैठ जाइए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, 27 मार्च 2018 को हमने दिया।

माननीय अध्यक्ष: बस ठीक है। आप अपनी बात रखिये, इतना लम्बा-चौड़ा भाषण मत दीजिए। जीरो आवर में आपने बात उठाई। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है?

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I am sorry. Yes, the hon. Minister is ready to reply.

… (*Interruptions*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, पच्चीस फीसदी लोगों के लिए कानून बनाया गया था, लेकिन चार महीने हो गये हैं इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप कम से कम छ: ऑर्डिनेंस ऐसे लाये जो जनता के हित में है, लेकिन इससे महत्व का विषय कोई नहीं हो सकता था। आप कॉर्पोरेट बैंक को मदद करने के लिए लाये, आप दूसरे छोटे-छोटे विश्वविद्यालय बनाने के लिए लाये, इन्सोलवेंसी एण्ड बैंक्रप्टसी के लिए ऑर्डिनेंस लाये, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए लाये, होम्योपैथी सेन्ट्रल कॉउन्सिल के लिए लाये, कॉमर्शियल कोर्ट्स के लिए ऑर्डिनेंस लाये, फ्यूजिटिव इकॉनोमिक ऑफेण्डर्स के लिए लाये, क्रिमिनल लॉ के लिए लाये। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है आप समर्थन ले लीजिए, लेकिन ऐसे विषय में आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं जिस विषय में, मैडम आप उधर देख रही हैं……

माननीय अध्यक्ष: मैं आपकी बात सुन रही हूँ। आपको बोलने का पूरा समय दे रही हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : आप ऐसे विषयों पर ऑर्डिनेंस लाये, लेकिन एस.सी./एस.टी. प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस क्यों नहीं लाये?

(1215/RCP/MM)

यह मैं जानना चाहता हूं? Why is it so important?.... (*Interruptions*) हजारों लोग रोज़ मर रहे हैं। हर 15 मिनट में एक अत्याचार होता है। आज तक 47 हजार अत्याचार और अन्याय हो चुके हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इसके लिए जल्द से जल्द ऑर्डिनेंस लाना चाहिए था, जिसको इग्नोर कर दिया गया। आप कम से कम इसका बिल कल सदन में पेश कीजिए, हम सब मिलकर उसको पास कर देंगे। यही मेरी डिमांड है। आप ऐसे हाथ मत जोड़िए।

माननीय अध्यक्ष : आप मिनिस्टर को बोलने दीजिए। मैं आपको कम्प्लीट करने के लिए धन्यवाद दे रही हूं।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : खाने के एक दांत और दिखाने के लिए दूसरे दांत, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसलिए इनको एक्शन लेना चाहिए, यही मैं विनती करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपको थोड़े में बोलना सीखना चाहिए। आप जैसा व्यक्ति ज़ीरो ऑवर को नहीं मानेगा तो मैं कैसे सदन को संचालित करूंगी? इसलिए आपको नमस्कार कर रही थी।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री आर० ध्रुवनारायण, श्री पी०के० बिजू और एडवोकेट जाएस जॉर्ज को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, सदन के सम्मानित सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के संबंध में प्रश्न खड़ा किया है। मुझे इससे आश्चर्य हुआ है कि इस मुद्दे को इस समय सदन में उठाने का क्या औचित्य था? शायद इनको इस बात की जानकारी हो चुकी है कि कल श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की केबिनेट ने एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ बिल को अप्रूव कर दिया है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग क्या सुनने का धैर्य भी नहीं रखेंगे?

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बहुत समझदार हैं। आप सुनने का धैर्य भी रखिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : महोदया, सारा देश इस बात से अवगत है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणामस्वरूप इस एक्ट में महसूस किया जा रहा था कि डाइलूशन हुआ है। उसके तत्काल बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि हम इसी प्रकार का बिल लाएंगे और जरूरत पड़ी तो इससे भी कड़ा बिल लेकर आएंगे। यह उनका कमिटमेंट था। उन्होंने कहा था कि इसमें इफ़ और बट या कोमा में कोई चैंज होगा और न ही कोई फुलस्टॉप में चैंज होगा। यह वायदा हमारे प्रधानमंत्री जी

ने देश के साथ किया था। उसी वादे के अनुरूप ही केबिनेट ने कल एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ बिल को अपना अप्रूवल दे दिया है और हम इसी सत्र में उस बिल को पारित कराना चाहेंगे और एक्ट के रूप में उसे लागू करेंगे।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, मैं एक क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, जब बिल चर्चा के लिए आएगा तब आप पूछिएगा।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record now. Only Saugata Roy *ji* is allowed to speak.

... (*Interruptions*) ... *(Not recorded)*

HON. SPEAKER: Saugata Roy *ji,* every day, you are raising this matter. Still I am allowing you. Please be brief, then. You raise it every day; I have no objection.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I will be very brief. Thank you for allowing me. We have been agitating on the issue of the published NRC register for the last few days. Even for today, we have given notices of Adjournment Motion on this issue. As we have

already mentioned, in the list of 40 lakh people whose names are left out on the NRC, not only the names of Bengali Hindus and Bengali Muslims, the names of Biharis, people from UP, Gujarat, Tamil Nadu have also been removed. Also, six lakh Scheduled Caste people who are called matuas, their names have also been removed. The matuas are blockading rails in West Bengal in protest.… (*Interruptions*)

(1220/SMN/MM)

Our Chief Minister has already said that this would lead to a bloodbath and to a civil war. She has also asked whether the Union Government is following a divide and rule policy?… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Such words are not to be used.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Does the *… (Not recorded)* want that anybody who is not a *… (Not recorded)* will be left out of the list?… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No allegations are to be made. You can have your point. Yesterday also, I had allowed you. Every day, I cannot allow you.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, I am asking a question. Does the … *(Not recorded)* want that anybody who is not a … *(Not recorded)* supporter will be left out of the list? This should not happen. Four of our Lok Sabha Members have gone to Assam. The Home Minister should go to Assam immediately. Four of our Members have gone to Assam.

HON. SPEAKER: If leaders like you do not know how to raise the matters in 'Zero Hour', then, I am really sorry. How will the newcomers understand the things?

DR. ANBUMANI RAMADOSS (DHARMAPURI): I would like to bring to the notice of this House a very important issue pertaining to NEET exam. Madam, NEET exam was introduced in this country for the reasons given by the Government saying that there should be decommercialization of education and we should produce quality doctors. Today, both the reasons are completely defeated. Today, a student who has failed in physics, who got minus four marks in physics, who has failed in chemistry, who got minus two marks in chemistry and got a few marks in biology is studying MBBS. Is this the quality that the Government wants?

Madam, when NEET was conceptualised in 2011-12, it was said that the student had to pass in each subject separately like in physics, the minimum qualifying mark is 90 out of 180; in chemistry, the minimum qualifying mark is 90 out of 180; and in biology, the minimum mark is 180 out of 360. A student should have got 360 out of 720, that is, 50 per cent.

Madam, do you know the lowest mark of eligibility for NEET? It is 96 marks and in percentage-wise, it comes to 13.3 per cent. Nowhere in the world by getting 13.3 per cent, one becomes a doctor. Is this the quality that the Government wants? Is this the quality of doctors we want to produce in this country? There are 65000 MBBS seats in the country. There are 30000 dental seats. There are 25000 AYUSH seats. Totally, there are above 1,20,000 medical seats. But this year, 7,13,000 students have been eligible for NEET. If you have hundred mangoes, you call 120 people to distribute them. Why are you calling 700 people for 100 mangoes? It is because to support the private medical colleges. Education should be knowledge-based. It should be skill-based, vocational-based and talent-based. Now education has become tutorial centre-based. If you have money, you can study.

In Maharashtra, there was a study where all these years, the girl students used to outnumber boy students in MBBS. This year, the boys were outnumbering girls. It is because the girls were not allowed to go to tutorial centres for safety reasons and monetary reasons. The parents did not want to invest in these girls. Is this the disparity that you are creating in the country? … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri P.R. Sundaram, Shri Rabindra Kumar Jena, Dr. P.K. Biju, Adv. Joice George, Smt. K. Geetha, Smt. K. Kavitha, Smt. B. Renuka, Smt. Jyoti Dhurve, Smt. Jayshreeben Patel, Shri Maheish Girri and Shri Dhananjay Mahadik are permitted to associate with the issue raised by Dr. Anbumani Ramadoss.

*DR. DHARAM VIRA GANDHI (PATIALA): I thank you, Hon. Madam Speaker for giving me the opportunity to speak on an important subject.

Hon. Madam, I request you to kindly give me five minutes today.

---

* Original in Punjabi

Hon. Madam Speaker, I am going to raise an important subject today that is going to be the central issue of Indian politics. It is the centre-state relations. Ours is a federal country. We have a union list, a state list and a concurrent list. But, in the last 70 years, all the Central Governments have encroached upon the rights of the states by either amending the constitution or by using unfair methods. Thus, the centre has become all-powerful whereas the states find themselves in a weak position vis-à-vis the centre.

Hon. Madam Speaker, all natural resources in this country lie in the states. The states generate all the resources. States generate all the G.D.P. But, the Union Government at the centre has all the financial powers. This centralization has led to an anomaly and imbalance. The states find themselves in the condition of beggars.

Madam, Punjab finds itself neck-deep under loans worth 2.25 lakh crores. Punjab has to pay 28,000 crores every year as interest on this gargantuan loan amount. Unemployment among youth is rampant in Punjab. Drug-abuse is common in Punjab. Agriculture is in ruins in Punjab….

(1225/CS/MMN)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, अभी देश में जो एनआरसी का मुद्दा और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा हुआ है, मैं आपके माध्यम से उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं भी इस मुद्दे का एक फरीख हूँ। देश में इस मुद्दे को भूलने की बीमारी है। कोनराड एल्स्ट एक बड़ी अच्छी किताब निहिलिज्म इन इंडिया लिखी। वर्ष 1905 में ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का विभाजन हुआ। बिहार उस वक्त वेस्ट बंगाल का पार्ट था। इस कारण से वर्ष 1905 का जो दर्द है, बिहार से बंटवारा होने के बाद झारखंड बना, जो पूरी डेमोग्राफी बदली है, उस मुद्दे को मैं सदन में उठाना चाहता हूँ। वर्ष 1905 में यह डिविजन हुआ और इसके बाद लगातार ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल में माइग्रेशन होता रहा। असम के मिस्टर गोगोई यहाँ बैठे हुए हैं, गोपीनाथ बोरदोलोई ने एक बड़ा ऐजिटेशन किया और उन्होंने कहा कि ईस्ट बंगाल के लोग वेस्ट बंगाल में बस रहे हैं और खासकर असम में श्यालेट जगह पर बस रहे हैं। कांग्रेस ने जब वर्ष 1949 में गोपीनाथ बोरदोलोई का इस्तीफा दिलाया और जब सइदुल्लाह असम के मुख्य मंत्री बने, तो उन्होंने एक लाख एकड़ जमीन ईस्ट बंगाल के… (अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) को बसने के लिए दे दी, जिसके कारण यह समस्या बढ़ गई।…(व्यवधान) इसके बाद इसी कांग्रेस के मुख्य मंत्री चलिहा बने।…(व्यवधान) आप इन बातों को सुनिए।…(व्यवधान) इतिहास बदला नहीं जा सकता है।…(व्यवधान) जो चलिहा थे, उन्होंने इसके खिलाफ एक बड़ा आन्दोलन किया।…(व्यवधान) मैं

आपको बताऊँ कि वर्ष 1964 में असम में एक Prevention of Infiltration from Pakistan, PIP Act 1964 बना।…(व्यवधान) यही कारण था कि उस एक्ट को उस वक्त के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने लागू नहीं होने दिया।…(व्यवधान) आज स्थिति यह है कि वर्ष 1931 के पॉपुलेशन सेंसस के बाद यह सिचुएशन डेवलप हुई कि धीरे-धीरे मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई।…(व्यवधान) लगातार कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी वेस्ट बंगाल में ये चीजें बढ़ती रहीं।…(व्यवधान) मैं आपको बताता हूँ कि वर्ष 1981 में असम में सेंसस नहीं हो पाया।…(व्यवधान) आपने लगातार चार मुख्य मंत्री बदले।…(व्यवधान) आज डीलिमिटेशन के कारण, जहाँ से मैं सांसद बना हूँ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे।

निशिकान्त जी, आपकी बात पूरी हो गई है।

…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि झारखंड में सेंसस नहीं हो पाया, नॉर्थ-ईस्ट में नहीं हो पाया, डीलिमिटेशन नहीं हो पाया, जम्मू-कश्मीर में नहीं हो पाया और इसी कारण से यह आबादी बढ़ रही है।…(व्यवधान)

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को बचाइए।…(व्यवधान) जिस तरह से असम में आई.एम.डी.टी. एक्ट के नाते कांग्रेस ने तंग किया।…(व्यवधान)

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे।

…(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : महोदया, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ…(व्यवधान) पूरे देश में एनआरसी लागू कीजिए और खासकर वेस्ट बंगाल के पुराने इलाके में।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती किरण खेर, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री शिवकुमार उदासि, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, डॉ. संजय जायसवाल, श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री भरौं प्रसाद मिश्र, श्री रोड़मल नागर, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री जॉर्ज बेकर, श्री रवीन्द्र कुमार राय, श्री सुनील कुमार सिंह, श्री विद्युत वरण महतो, श्री विष्णु दयाल राम, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्री निशिकान्त दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी आप बोलना शुरू कीजिए।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, यह रिकॉर्ड में नहीं जाना चाहिए।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: I will see it. I will go through it and delete it.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं रिकॉर्ड को देखूँगी और डिलीट करूँगी।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Let me go through it.

… (*Interruptions*)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।…(व्यवधान)

महोदया, आज मैं एक बहुत प्रमुख समस्या बेरोजगारी की तरफ इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।…(व्यवधान) आज देश में बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या के तौर पर उभरी है।…(व्यवधान) मुझे माननीय प्रधान मंत्री जी की वर्ष 2014 की बात याद आती है कि उन्होंने उस समय कहा था कि हर साल दो करोड़ रोजगार दिए जाएंगे।…(व्यवधान) आज साढ़े चार साल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि उसके मुताबिक आज तक नौ करोड़ जॉब लोगों को मिल जाने चाहिए थे।…(व्यवधान) आज Center for Monitoring Indian Economy के अनुसार तीन करोड़ से ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। नेस्काम की रिपोर्ट के अनुसार हर साल तीस लाख से भी ज्यादा स्नातक, स्नातकोत्तर जॉब मॉर्केट में आते हैं, लेकिन केवल 25 प्रतिशत युवाओं को रोजगार हासिल करने में कामयाबी मिलती है। जो युवा बीच में पढ़ाई छोड़कर रोजगार तलाश करने लगते हैं, उनका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार हर साल 1.5 करोड़ भारतीय जॉब मॉर्केट में आते हैं। हमारे रोजगार कार्यालय रोजगार देने में लगातार असफल रहे हैं।

महोदया, आज देश भर के रोजगार कार्यालयों में करीब पाँच करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना नाम दर्ज करवा रखा है। लोक सभा में रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 2015 में लिखित रूप में यह जवाब दिया है कि इन कार्यालयों के जरिए केवल शून्य प्रतिशत, मात्र 56 लोगों को ही रोजगार मिला है।

महोदया, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज स्नातक, स्नातकोत्तर, यहाँ कि पी.एच.डी. और एम.बी.ए. की डिग्री लेने वाले युवा भी ओहदे से कम ओहदे वाले काम करने के लिए तैयार हैं।

(1230/MY/VR)

मैडम स्पीकर, हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में प्यून, ड्राइवर तथा वाचमैन के 738 पोस्ट्स के लिए भर्ती प्रक्रिया की गई। इसके लिए दो लाख से भी ज्यादा लोगों ने अर्जी की, जिसमें कई सिविल इंजीनियर्स भी थे।

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, हमें भी मालूम है। आप थोड़े समय में ही अपनी बात रखिए। अपनी बात लंबे समय में मत कहिए, क्योंकि सभी को समय देना है।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): मैडम, आँकड़े देना भी जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष: सभी को आँकड़े मालूम है। अपनी बात समाप्त कीजिए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): मैडम, यह बेरोज़गारी की समस्या है। सरकार ने इसका डेटा देना ही बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जुलाई महीने में एक मैगजीन में दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि सरकार ने जॉब दिया है, लेकिन सरकार के पास जॉब का डेटा नहीं है। पर-कैपिटा एनर्जी कंजम्प्शन भी विकास का एक मानक है। आज अन्य देशों के मुकाबले में हिन्दुस्तान सबसे निचले स्थान पर है। आज जो इंडस्ट्रीयल डिमांड ग्रोथ है, वह 5.9 प्रतिशत से कम होकर 3.1 प्रतिशत हो गई है। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ में ज्यादा डिमांड नहीं है, इसलिए इंडस्ट्रीज़ कहां से जॉब देगी। लेबर ब्यूरो का भी यही आँकड़ा है।

मैडम स्पीकर, आज बेरोज़गारी की समस्या इस हद तक बढ़ गई है कि लोग मॉब लिचिंग पर उतर आए हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि आज लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग मॉब लिचिंग कर रहे हैं। सरकार से मेरा दरख्वास्त है, चूंकि बेरोज़गारी एक गंभीर विषय है, इसलिए सरकार इसे गंभीरता से लें और ज्यादा से ज्यादा रोज़गार जेनरेट करें।

माननीय अध्यक्ष: आप लोग किसी-किसी का बातें करते रहते हैं। गलत नहीं बोलना चाहिए। आप सभी थोड़ा बोलना सीखो।

श्री अरविंद सावंत, श्री प्रतापराव जाधव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री राहुल शेवाले, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र तथा श्री रवीन्द्र कुमार जेना को डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। आपने मुझे आज़ाद भारत की सबसे बड़ी समस्या – जनसंख्या के ऊपर शून्य काल में बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

मैडम, मैं ढ़ाई मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं जानता हूं कि शून्य काल सदस्यों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, भले ही बीच-बीच में बोलने वाले कुछ सदस्य उस समय को खराब करते हैं।

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि पिछली सरकारों के गलत नीतियों के कारण इस देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आज सड़कों की समस्या

है, हम सिंगल-लेन से टू-लेन, फोर-लेन तथा सिक्स-लेन हो रहे हैं; फिर भी सड़कों पर जगह नहीं मिल रहा है। हम रेलवे ट्रैक को लगातार बढ़ा रहे हैं, फिर भी समस्या बनी हुई है। प्लेटफार्मों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसके उपयोग करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस देश में ट्रैफिक की समस्या हो, सड़कों पर चलने के लिए स्थान न हो, जॉब के लिए क्राइसिस हो, जहां खेती की ज़मीन घट रही हो और हम पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण इन चीजों को छोड़ दें, यह उचित नहीं है। चीन में हम से ज्यादा भूमि है, फिर भी उसने जनसंख्या-नियंत्रण पर काम किया। यहां तक बांग्लादेश ने भी जनसंख्या को रोकने के लिए चिंता की। लेकिन हिन्दुस्तान में जहां ट्रेनों में जगह नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, नौज़वान जॉब्स के लिए पलायन कर रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस देश के नागरिक कम से कम खुले में ऑक्सीजन ले सकें, इसके लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है।…(व्यवधान)

माननीय मोदी जी जिस प्रकार से डिमोनेटाइजेशन कर सकते हैं, जीएसटी ला सकते हैं, उनके जैसा नेतृत्व ही इस देश में जनसंख्या पर कानून बनाने का काम कर सकता है।…(व्यवधान) इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में धर्म, जाति तथा संप्रदाय से ऊपर उठकर एक कानून बने; दो बच्चों का कानून देश के सभी नागरिकों पर लागू हो।…(व्यवधान) जो इस कानून का उल्लंघन करें, उनको सरकारी नौकरियों से वंचित किया जाएं, मताधिकार के प्रयोग से उन्हें

वंचित किया जाएं ताकि हिन्दुस्तान में लोग पर्याप्त सुविधाओं का सही लाभ ले सकें।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अरविंद सावंत, श्री प्रतापराव जाधव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़, श्री दुष्यंत चौटाला, श्री राहुल शेवाले, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री शरद त्रिपाठी, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री ए.टी.नाना पाटील, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री निशिकान्त दुबे, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री शिवकुमार उदासि, डॉ. संजय जायसवाल तथा श्री देवजी एम. पटेल को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI TOKHEHO (NAGALAND): Hon. Madam Speaker, thank you for giving me this opportunity to raise an important issue regarding Nagaland State.

Madam, in Nagaland, there has been heavy rains with thunder storm since April 2018. Due to this, the normal life has been disrupted since 26th July this year. Since then, the Capital of Nagaland, Kohima along with other districts have completely cut off. There is a severe crisis because of continuous raining in the State. On 27th July last month, 6 people were washed away, of which 5 were students. Till date, bodies of 3 victims could not be recovered.

Madam, as you know, the State of Nagaland does not have railways, airlines and waterways.

(1235/RBN/CP)

I want to request the hon. Home Minister to kindly send the officers concerned to see all that is taking place in Nagaland. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri George Baker, Shri Rameshwar Teli, Shri Kamakhya Prasad Tasa and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are allowed to associate with the matter raised by Shri Tokheho.

SHRI V. ELUMALAI (ARANI): The villages of Thadagam, Pothuvai, Sethavarai, Sapettai, Nallanpillaipetral under Gingee Taulk in Villupuram District, Tamil Nadu are deprived of communication facilities. There are 25 village panchayats with more than one lakh population. There is no mobile tower for the benefit of the villagers. One BSNL telephone exchange is existing in Nallanpillaipetral Village, but it is not used either for landline or for mobile connectivity. This does not work due to signal and connectivity problems.

These villages are located in the hilly area and the villagers are mainly farmers. There is no telephone connectivity. These farmers

are not able to take advantage of various information being passed on to the farmers through mobile phones.

These villagers are struggling to make contact in cases of emergency. Moreover, these villages come under my constituency, Arani. So, I am personally aware of the problems being faced byu the villagers.

Therefore, it is very necessary to install a 3G tower at Thadagam village, which is at the top of the hill. Though we are speaking of 5G services, still there are many villages in our country, including my constituency, which do not have proper 3G connectivity.

Therefore, I urge upon the hon. Minister to look into this matter and direct the authority concerned to install a 3G tower at Thadagam at the earliest. Thank you Madam.

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली): महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने दिशा कमेटी बनाई, जिसकी वजह से हमें राज्यों की स्थिति का अवलोकन करने का मौका मिलता है। कई ऐसी गम्भीर बातें उस मीटिंग में मेरे सामने आईं। मैंने एक सर्वे के लिए आग्रह किया। उसमें यह गम्भीर बात सामने आई।

मैडम, परिवारों में जो भी मां-बहन, मातायें गर्भवती होती हैं, उसके बाद नेचुरल तौर पर उनकी डिलेवरी होती है। धीरे-धीरे प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी बढ़ती जा रही

है। मैं सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा देख रहा था, तो उसके बाद मैंने प्राइवेट अस्पतालों के भी आंकड़े मंगवाने शुरू किए। यह बहुत गम्भीर बात है कि सरकारी अस्पतालों के आंकड़े 10 से 12 प्रतिशत के आसपास हैं। प्राइवेट अस्पतालों के 10-12 प्रतिशत ज्यादा होने चाहिए, पर आज यह गम्भीर रूप से 32, 34, 35 प्रतिशत तक आगे बढ़ चुके हैं और ये धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि सर्जरी के द्वारा स्वाभाविक है कि महिला, माता, बहन को यदि कोई कठिनाई हो, तो एक जीवनदान भी उससे मिलता है। यह जीवनदायिनी तकनीकी है। आजकल एक फैशन हो गया है कि आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार हो या बड़े-बड़े अस्पताल हों, अगर प्राकृतिक रूप से डिलेवरी हो भी रही हो तो भी, परिवारों को इतना पता नहीं होता है, पर उन्हें सर्जरी के लिए बता दिया जाता है और उनकी सर्जरी होती है। वहीं अगर गांवों की बात करें, तो गांवों का रेश्यो बहुत कम है। उसके मुकाबले शहरों में बहुत ज्यादा रेश्यो है, जहां बड़े-बड़े अस्पताल हैं। एनएफएचएस-4 के अनुसार प्राइवेट अस्पतालों में यह संख्या 35 प्रतिशत तक सरकारी अस्पतालों के हिसाब से आगे बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक देश के अंदर 10 से 15 प्रसव के मामले सर्जरी द्वारा होना ठीक है। भारत में वर्ष 2010 तक यह 8.5 प्रतिशत था, लेकिन पिछले दशक में यह बहुत ज्यादा बढ़ा है। कई राज्य ऐसे हैं, जहां यह 40 से 45 प्रतिशत तक बढ़ा है।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि सर्जरी द्वारा प्रसव के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी होते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि इस विषय पर सरकार गम्भीरता से ध्यान दे, क्योंकि कई गरीब परिवार भी इसके शिकार होते हैं।

HON. SPEAKER: Shri Sharad Tripathi, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. Manoj Rajoria, Shri Harish Meena, and Shri Bhairon Prasad Mishra are allowed to associate with the matter raised by Shri Maheish Girri.

(1240/SM/NK)

श्री जुगल किशोर (जम्मू): अध्यक्ष महोदया जी, मुझे आपने जम्मू, अख्नूर, सुन्दरवनी, नौशेरा, राजौरी और पूंछ क्षेत्र के लोगों की मांग उठाने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं, वहां के लोगों की सत्तर सालों से एक डिमांड थी कि जम्मू से पूंछ तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाए, वहां रेल लाइन बिछे और रेल पहुंचे। पूंछ और राजौरी के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है, वह भी न हो, आर्मी को भी इसकी जरूरत है। अब सर्वे कम्पलीट हो चुका है, जम्मू से पूंछ तक सर्वे कम्पलीट है। अब उस पर काम लगाने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जम्मू से पूंछ तक रेल लाइन बिछाने का शुरू किया जाए। इसके लिए फंड उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जुगल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Hon. Speaker Madam, I would like to bring an urgent public issue regarding non-providing insurance coverage to Domestic LPG user.

It is a pity that there are several incidents of blast of LPG cylinders have happened in the country. Many human lives along with properties have also been lost. But in the last 25 years, no consumer has been provided with any insurance coverage. No consumer comes forward for insurance claims due to lack of awareness.

The oil companies and dealers need to make subscription of insurance coverage for the benefit of LPG users. But, till date, neither the oil companies nor the dealers of Gas agencies are providing subscription and thereby common public are denied of the benefits. The provision for providing insurance claims is also in vogue. According to this, an LPG consumer should inform the dealer within 30 minutes of the accident. How is it possible? The officials of oil companies do not know the rule of insurance claims.

So, I urge upon the hon. Minister to bring out a white paper on insurance coverage provided to LPG users so that the claims made so far are brought to the knowledge of common public.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती वी.सत्यबामा, भैरों प्रसाद मिश्र और श्री पी.आर. सुन्दरम को श्री सी.गोपालकृष्णन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): I thank you very much, Madam, for giving me an opportunity to raise an important issue of my constituency. The Jawahar Navodaya Vidyalaya situated at Rahama in my Parliamentary Constituency, Jagatsinghpur was established in 2006. Even after 12 years, it is running with a lot of difficulties due to inadequate infrastructure.

It is a matter of concern that the construction work of school building, hostel building, road as well as other infrastructural work in the premise has been stopped. The drainage system in and around the school has not been done and it has been put in such a place that an immediate intervention is required.

Due to heavy rain during monsoon season, the school premises along with playground gets submerged and very often poisonous snakes come out of their holes. In the premises, snake-biting is a common phenomenon.

As the campus has not been properly equipped with lights, the whole campus remains under looming dark during night posing a threat to safety and security of students as well as staff residing in the premises.

Madam, recently, three teachers of different subjects who were doing their best for the students as well as the school have been transferred. So, their retention and continuance in the school may please be considered.

In this regard, I, on behalf of the students, staff and principal of the school, request the Ministry of Human Resource Development to take appropriate steps to provide basic infrastructure facilities in the school premises at the earliest so that the school can provide quality education along with safety and in the premises.

(1245/SK/AK)

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना 1995 के कल्याण एवं मानसिक यंत्रणा आर्थिक हानि के साथ समाज में अपमान एवं हंसी के पात्र होने के कारण उक्त योजना में संशोधन हेतु तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। ईपीएस-95 में मिलने वाला लाभ पेंशन न होकर अंशदान का ब्याज है। यह पेंशन मूल्य सूचनांक पर आधारित होनी चाहिए। जैसे कि अन्य सरकारी पेंशन में व्यवस्था होती है।

ईपीएस-95 दोहरा मापदंड रखती है। सरकारी पेंशन योजना में कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् आश्रित की पेंशन आधी हो जाती है। अंशदायी पेंशन योजना में इसे आधा करना अनुचित है क्योंकि इस योजना में अंशदान कर्मचारी से किया जाता है। यह अतार्किक है। यदि कर्मचारी इस पेंशन योजना के स्थान पर स्वयं किसी अन्य

योजना में उतनी धनराशि लगाता है तो उसे उतनी ही धनराशि प्राप्त होती है, जितनी उसे इस योजना से प्राप्त होती है। सरकारी पेंशनरों को सीजीएचएस के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है जबकि ईपीएस-95 में नहीं है। ईपीएस-95 के तहत पालघाट में अधिकांश कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत के वास्तविक अंशदान के आधार पर पेंशन का लाभ कोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मुख्य भविष्य निधि आयुक्त द्वारा 23.03.2017 का एक परिपत्र 31 मार्च, 2017 को पुन: सीपीएफसी द्वारा आया जिसमें अपने ही आदेश को काटते हुए एग्जेम्प्टिड और अनएग्जेम्प्टिड श्रेणी को पेंशन के लाभ से वंचित कर दिया, जो कि सर्वथा अनुचित है।

कर्मचारी की उपरोक्त श्रेणी भविष्य निधि की है, न कि पेंशन की। पेंशन में उपरोक्त दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों का समान अंशदान जाता रहा है। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि सीपीएफसी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 के परिपत्र को निरस्त करके समस्त कर्मचारियों को वास्तविक पेंशन का लाभ दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री शरद त्रिपाठी को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजेश पाण्डेय (कुशीनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनके आशीर्वाद और निदेश से कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना हो रही है। इसमें योगी आदित्यनाथ

जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस मायने में राजनाथ सिंह जी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में इसकी नींव पड़ी थी।

मैं मनोज सिन्हा जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कुशीनगर को रेल लाइन से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की है। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के कारण आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या लगभग दस लाख से ऊपर हो जाएगी। समय आने पर प्यास लगने पर कुंआ खोदने की व्यवस्था अक्सर सरकारों में होती है, यह न होने पाए। यहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खुलने और देश को रेल लाइन से जुड़ने के कारण कुशीनगर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इस लिहाज से यहां मल्टी स्पेशिएलिटी अस्पताल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाया जाए ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, डॉ. ममताज़ संघमिता और श्री शरद त्रिपाठी को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरीडीह) : माननीय अध्यक्ष जी, झारखंड प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थय मिशन, एनआरएचएम के तहत वर्ष 2006-07 में लगभग 1000 की आबादी पर एक सहिया का चयन किया गया था तथा 15-20 सहिया पर एक सहिया साथी का चयन हुआ था। राज्य भर में ऐसे सहिया, सहिया साथी एवं बीटीटी की संख्या लगभग 25,000 है। इनका मुख्य कार्य अपने क्षेत्रों में सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवाओं को आम जनों तक पहुंचाने का है जिसमें ये लोग निरंतर लगे रहते हैं। ये लोग शिशु टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, एनएसबी महिला बंध्याकरण,

मलेरिया, फाइलेरिया, पल्स पोलियो, टीबी एवं कुष्ठ रोगियों हेतु 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। इनके प्रयास से राज्यभर में मातृ एवं शिशु मृत्युदर में काफी गिरावट आयी है। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाए एवं इस कार्य में निरंतर लगे रहने के बावजूद सरकार की ओर से मात्र 1000 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है जो कि काफी कम है।

मेरा सरकार से आग्रह है कि इनको कम से कम 15,000 रुपए मासिक दिए जाएं। इनको ड्रैस कोड मिले और इनके लिए छुट्टी का भी प्रावधान किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. कुलमणि सामल को श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(1250/MK/SPR)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): अध्यक्ष महोदय, पिछले सप्ताह एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने कहा था कि सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं महाराष्ट्र में हुई हैं। सरकार किसी की भी हो, लेकिन एक किसान की भी आत्महत्या होगी, तो यह हम सबके लिए शर्म और चिंताजनक बात है। महाराष्ट्र का रिकॉर्ड बताता है कि पिछले दो वर्षों में महाराष्ट्र में 11 हजार 950 आत्महत्याएं हुई हैं। मेरी सरकार से यह विनती है कि जो आत्महत्याएं हो रही हैं, उनमें सी-2 फार्मूला की मांग को कंसीडर किया जाए, जैसा कि पिछले सप्ताह माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा था कि सी.सी.पी.ए का जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होती है, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आधारित होती है। महाराष्ट्र सरकार ने धान के लिए 3,250 रुपये की मांग की थी, लेकिन केंद्र

सरकार ने 1,550 दिए थे। कपास के लिए 7,204 रुपये की मांग थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 4,500 हजार रुपये ही दिये। गेहूं की भी 3,223 रुपये की मांग थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मैंने सिर्फ तीन ही उदाहरण दिए हैं। मेरी सरकार से विनती है कि सी-2 फार्मूला, जो स्वामिनाथन कमीशन की रिक्मेंडेशन है, और महाराष्ट्र सरकार की भी मांग है, उसको कंसीडर किया जाए। क्योंकि आज किसान बहुत अड़चन में है।

अध्यक्ष महोदय : मोहम्मद फैज़ल, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्रीरंग आप्पा बारणे, डॉ.ए.सम्पत, श्री राजीव सातव, डॉ. कुलमणि सामल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रेखा वर्मा (धौरहरा): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरा संसदीय क्षेत्र एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधान सभाएं जैसे सांसद आदर्श ग्राम- ढखौरा, विकास खंड-जसगवां, ग्राम-मूडी विकास खंड-ईसानगर, टाउन एरिया-बरवट के आसपास के गांव नकटी, मकसूदपूर, दुल्हापुर, किसान, भौनापुर, गदनापुर आदि दर्जनों गांवों में भारत संचार निगम लिमिटेड सेवाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इस कारण मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे संसदीय क्षेत्र की जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए संचार संबंधी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कदम उठाएं, ताकि जनता संचार माध्यमों से अपने कार्यों को सुचारु रूप से कर सके।

अध्यक्ष महोदय : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रेखा वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा): अध्यक्ष महोदय, जनक नंदनी जानकी माता सीता मिथिला की बेटी थीं। 90 प्रतिशत उत्तर बिहार का क्षेत्र मिथिला का है। अनेकों ऋषि-महर्षि वहां पर पैदा हुए। सांख्यिकी और मिमांसा भी वहीं की देन है। मिथिला कृषि, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। आज वह विपन्नता के दौर में है। चीनी मिल, जुट, पेपर, खाद, सूत, खादी भंडार, सिल्क मिल जैसे सैंकड़ों रोजगार उद्योग आज की तारीख में बंद हो चुके हैं। बाढ़-सुखाड़ एवं विपदाओं ने मिथिला को पिछड़े और बैकवर्ड स्तर पर ले जा चुकी है। बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी निदान सरकार के पास नहीं है। पलायन यहां की मजबूरी बन चुकी है। राज्य सरकार मिथिला के विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है। केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाओं का लाभ भी दूसरे दर्जे पर मिथिला को मिल रहा है। मिथिला की भाषा सांस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार हेतु भी कोई प्रभावशाली योजना सरकार के पास नहीं है। मिथिला की जनता कई सालों से अपने विकास हेतु मिथिला राज्य की मांग कर रही है। जो भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर संवैधानिक रूप से न्यायसंगत है। अत: सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि सरकार मिथिला के विकास के लिए अतिशीघ्र मिथिला राज्य के निर्माण पर विचार करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : डॉ. कुलमणि सामल को श्री कीर्ति आजाद द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Madam, I would like to quote just three lines from the letter written by our hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik to the hon. Prime Minister of India on the issue of Hockey.

This is the first line. In 1948, as a new born nation, India witnessed the glory in London when the National Hockey Team won the Olympics Gold Medal. A nation of 33 crore rejoiced as the Gold Medal was won by India in London by defeating the Great Britain.

This is the second line. Prior to 1947, the Great Britain avoided playing against India for many years fearing embarrassment to lose against its colony in India.

The last line of the letter is this. I am not going to read the entire letter. As you know, the next Hockey World Cup will be held in Odisha in November 2018. Hockey truly deserves to be notified as our national game.

(1255/KMR/RPS)

Madam Speaker, many of us did not know till we saw the letter of hon. Chief Minister of Odisha that hockey has so far not been declared as the national game. This was further corroborated when an RTI application was filed and the Union Sports Ministry had stated

that it is more of a national sentiment. When we can have a national bird, when we can have a national animal, why cannot we have a national game?

I would like to say how Odisha is replacing Sahara in promoting and sponsoring men's and women's hockey in India for the next five years. It is the first time that a State has come forward after Independence to have association with a sports body in order to promote youth, to promote sports and more particularly hockey in the country.

Madam Speaker, I would like to personally invite you as well as all the hon. Members of this House to come to Bhubaneswar in November 2018 and see for yourselves the World Cup Hockey and see how Odisha is moving ahead on all fronts under the dynamic leadership of Mr. Naveen Patnaik.

Before I conclude I would request you, Madam Speaker, to kindly give a direction to the concerned Ministry to declare hockey as the national game. Thank you.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. कुलमणि सामल को श्री रवीन्द्र कुमार जेना द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ (उस्मानाबाद): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में पिछले एक महीने से मराठा आरक्षण के लिए बहुत बड़ा आन्दोलन चल रहा है। पिछले एक साल में शांतिपूर्वक 58 आन्दोलन मराठा समाज ने महाराष्ट्र में किए, जिसकी प्रशंसा पूरे जग ने की, लेकिन तब भी स्टेट गवर्नमेंट ने उस समाज की मांगों की तरफे देखा तक नहीं। आज परिस्थिति यह है कि एक महीने से जो आन्दोलन चल रहा है, वह बेकाबू हो गया है। पहले मराठा क्रान्ति मोर्चा का 'मूक आन्दोलन' चल रहा था और अभी 'ठोक आन्दोलन' चालू है। उसके ऊपर कोई नेता भी नहीं है। अगर कोई नेता अन्दर गए तो पब्लिक, जो बेरोजगार लोग हैं, जो मराठा समाज के लोग हैं, वे सुनने को भी तैयार नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार हतबल हो चुकी है, महाराष्ट्र की सभी पार्टियां हतबल हो चुकी हैं, महाराष्ट्र में सोशल वर्क करने वाले सभी नेता लोग हतबल हो चुके हैं और यह आन्दोलन अब किसी के हाथ में नहीं रहा। इसके लिए मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि केन्द्र सरकार को उसमें दखल देना चाहिए। आरक्षण किसलिए देना है? आरक्षण उनका सामाजिक-आर्थिक स्तर ऊपर उठाने के लिए आरक्षण देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर है, ऐसा आप बोलते हैं, लेकिन जैसे-जैसे जमाना बदलता है, वैसे-वैसे इसमें कुछ बदलाव करने की, एकाध उपबन्ध जोड़ने की आवश्यकता होती है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए जो आरक्षण है, उसे सीमित रखते हुए, इनको कैसे आरक्षण दिया जाए, इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। यह काम लोक सभा और राज्य सभा के अलावा किसी अन्य के द्वारा नहीं हो सकता है। मेरी आपसे विनती है कि जो हो सकता है, वह करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, एक अत्यंत महत्व का मुद्दा है। आज तक जिन-जिन लोगों को, जिन-जिन कास्ट्स को आरक्षण दिया गया है, उसमें बाप को आरक्षण मिला, बच्चे को आरक्षण और उसके बच्चे को आरक्षण मिल रहा है। अब उनका सामाजिक स्तर बहुत बढ़ गया है। उनको जितने प्रतिशत आरक्षण मिला है, उसमें कटौती कीजिए और बाकी लोगों को भी दीजिए। सभी समाज में गरीब लोग हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आपकी बात आ गई है। बैठ जाइए।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़ द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी): अध्यक्ष महोदया, मैं शून्य काल में आपके माध्यम से सदन को एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बताना चाहता हूं। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए देश में, विशेषकर महाराष्ट्र की कई सामान्य जातियों के छात्र अनुसूचित जनजाति में परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण कोटे के अंतर्गत नौकरी प्राप्त कर सकें। यह गोरखधन्धा पिछले कई सालों से हो रहा है। इसके कारण कोटे का लाभ असली अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाएगा। पहले

से ही राजनीति के दबाव में कई जातियों को राज्य सरकार की अनुशंसा पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा रहा है। इस संबंध में जब कोई सवाल सदन में उठाया जाता है तो केवल यह कहकर टाल दिया जाता है कि राज्यों की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार उन जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे रही है। यह अनुसूचित जनजातियों के साथ अन्याय है और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में बाधक है।

(1300/gm/asa)

सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान बनाया है जिसका फायदा जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को न मिलकर कुछ अन्य जातियों और अनुसूचित जातियों में शामिल होने वाली जातियों को मिल रहा है। मैं इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के तरोडा गांव के एक स्कूल में प्रकाश किनगे जो कि वहां स्कूल के हैड मास्टर हैं, उन्होंने प्रैस में स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं 1985 से उस गांव में टीचर था। कुछ दिनों के लिए मेरा ट्रांसफर हो गया। अभी एक महीने से मैं वहां आया हूं। उन्होंने कहा है कि यहां एक भी ट्राईबल की फैमिली नहीं है, फिर भी मेरे स्कूल में 250-300 आदिवासी छात्र कहां से आए? यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जिन-जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तभी आदिवासियों को न्याय मिलेगा।

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel is permitted to associate with the issue raised by Shri Harishchandra Chavan.

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Hon. Speaker Madam, I request the Government to give necessary direction to all State Governments to fix the salaries of nurses working in the private sector in accordance with the order of the hon. Supreme Court. Having understood the pathetic condition of nurses in the private sector, the hon. Supreme Court issued a directive to the Government of India to revise their pay scale nation-wide. Moreover, I raised this issue on the floor of this august House last year and in response to that, the hon. Minister of Health and Family Welfare informed that all State Governments and the administrations of Union Territories were sent a directive from the Central Government in which the concerned authorities in States and Union Territories were asked to revise pay scales in accordance with directive of the hon. Supreme Court. The hon. Minister also informed on the floor of this august House that the concerned authorities were asked to submit the detailed report by November 2017 regarding the action taken for ensuring the implementation of the revised pay scale. However, it is learnt that most of the State Governments and the administrations of Union Territories have not yet implemented the directive of the hon. Supreme Court and the Central Government. Therefore, the

condition of nurses working in the private sector across the country remains unchanged. Hence, I request the Government to take urgent steps in this regard.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Dr. A. Sampath, Mohammed Faizal, Shri P.K. Biju, Adv. Joice George and Shri Mullappally Ramachandran are permitted to associate with the issue raised by Shri Anto Antony.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 pm.

1303 hours

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

(1400/RSG/RAJ)
1402 hours

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at two minutes past Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1402 hours

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

Re: Setting up of Jawahar Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya in Charaideo district of Assam

SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA (JORHAT): In my Jorhat Lok Sabha constituency one new district has been created by the name of Charaideo. This district is now developing. Charaideo is a district where many ancient monuments of Ahom dynasty are situated. This district is a rural district where maximum people are agriculturists and there is awareness about education and therefore, education should be encouraged there. So, it is very important that there should be a Jawahar Navodya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya which the district deserves.

Ministry of Human Resource Development have not taken any steps to establish Jawahar Navodaya Vidyalaya and Kendriya Vidyalaya in newly created Charaideo district. So, I urge the Minister to kindly establish Jawahar Navodaya Vidyalaya & Kendriya Vidyalaya in Charaideo district in Assam.

(ends)

Re.: Central assistance to Karnataka in the wake of floods and landslides and also announce MSP for agricultural produce

SHRI PRATAP SIMHA (MYSORE): South interior Karnataka, especially KODAGU and MYSORE Districts continue to receive heavy rains leading to flooding of roads and affecting normal life. South interior Karnataka has witnessed excess rainfall over the last 45 days, which is 30-40% higher than last year. Heavy rains flooded several low-lying areas, leading to overflowing rivers and lakes. There were reports of damages to roads and bridges in the Districts causing hardships to commuters. Many places have been marooned due to overflowing rivers and connectivity to parts of Kodagu District has been badly affected due to landslides.

I urge the Government to provide central assistance in the wake of floods and landslides. Several hectares of farmlands primarily comprising of COFFEE, PEPPER, TOBACCO and ARECANUT have been affected in Kodagu and Mysore Districts due to the continuous downpour. I also urge the Centre for MSP or a Support Price Scheme for Coffee, Tobacco and Arecanut for the benefit of farmers who are facing drop in price of their agricultural produce.

(ends.)

Re: Need to regularise the academic calendar in universities of Bihar

श्री जनक राम (गोपालगंज):

Re: Need to increase the frequency of Ranchi - Ernakulam train service

श्री राम टहल चौधरी (राँची):

Re: Regarding construction of Kanker and Keshkal bypass road and Antagarh to Koyalibeda road in Chhattisgarh

श्री विक्रम उसेंडी (कांकेर):

Re: Need to establish an Agriculture University in Giridih, Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा):

Re: Need to appoint specialist doctors in Government Medical College, Ambikapur, Surguja district, Chhattisgarh

श्री कमल भान सिंह मराबी (सरगुजा):

Re: Ambulance services by a private company in Karnataka under the National Health Mission Scheme

SHRI PRALHAD JOSHI (DHARWAD): Under the National Health Mission Scheme, the Government of Karnataka on 14-8-2008 had made MOU with a Secundarabad based organization GVK EMRI (Emergency Management Research Institute) for providing 108 Ambulance services under the Name of 'Arogya Kavacha' for ten years. But during the period from 2015 to 2017 after a detailed investigation by Health Department, Government of Karnataka under took a thorough investigation and audit into the working of GVK EMRI and found shocking misdeeds and irregularities by which hundreds of crores of state exchequer was misappropriated by putting forth false receipts and vouchers. More shocking is the fact that despite the agreement of 2008 coming to end on 13th Oct 2017 by the decision of Government of Karnataka, still the same GVK EMRI in functioning and there is no explanation coming from Govt of Karnataka in the matter.

(ends)

Re: Regarding LPG bottling plant in Ballia parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री भरत सिंह (बलिया):

Re: Ccompulsory enrolment of wards of elected representatives of people and government officials in government schools

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा):

Re.: Need to formulate a comprehensive national security scheme

SHRIMATI POONAM MAHAJAN (NORTH CENTRAL MUMBAI): The Honourable PM outlined his vision for New India leading up to the 75th year of independence in 2022. Nevertheless, India has not yet produced a White Paper either of Defence or Foreign Policy or a periodic strategic defence review.

Hence, it is imperative that Government formulate a comprehensive national security doctrine in response to rapidly changing global environment with the objectives of protecting India's core national interests, articulating strategic thought that is essential for being taken seriously in the international community, inculcate the values of strategic culture, attaining doctrinal clarity and synergy, highlighting geopolitical opportunities & challenges, identifying elements that shape Indian attitude towards perceived threats; use of force; diplomacy; war and acquiring power.

Hence, I request the Union Government to formulate a comprehensive national security doctrine with an intent to exercise comprehensive national power in pursuit of core national interests.

(ends)

Re: Need to provide reservation to students belonging to SC, ST and OBC categories in Aligarh Muslim University

श्री सतीश कुमार गौतम (अलीगढ़):

Re: Jawahar Navodaya Vidyalaya in Kherwara Tehsil headquarters in Udaipur parliamentary constituency, Rajasthan

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर):

Re: Need for improvement in railway infrastructure at Amritsar in Punjab

SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR): I would like raise a matter regarding the pathetic condition of trains running from Amritsar to other parts of country. Premier trains like Shatabdi and Sachkhand are in messy condition with stinking toilets and dirty rakes. Toilets are blocked in all passenger trains due to lack of cleaning and water filling. The condition of the pantry cars in the said trains is unexplainable. There is delay in civil works at Amritsar Railway Station and Cheharta. Commuters are suffering due to this delay of civil work. I took up the issues with railway authorities, but it is still pending. All trains get delayed while reaching Amritsar from other parts of the country due to this delay of old pattern Rail traffic system at Railway Station. The incoming trains and outgoing trains spend maximum time at Platform, so incoming trains are getting late. It is necessary to improve the system like that of New Delhi Railway Station. I request the Hon'ble Railway Minister take necessary steps to improve the train coaches and other facilities.

(ends)

Re: Delhi Police Establishment Board

SHRI S.P. MUDDAHANUME GOWDA (TUMKUR): The Delhi police establishment Board has been constituted as per the order of the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court gave such directions to ensure the morale of honest and efficient officers services should be utilized to maintain peaceful atmosphere in the capital city. But it appears the spirit of the orders of the Hon'ble Supreme court is yet to be implemented to meet the situation.

Hence, I urge the Union Government to see that the Delhi Police Establishment Board acts as per the aspirations of the Supreme Court to boost the morale of the police personnel including the efficient officers.

(ends)

Re: Regarding implementation of smart city project in Ajmer, Rajasthan

डॉ. रघु शर्मा (अजमेर):

Re: Lifting of ban on sea-cucumbers

SHRI A. ANWHAR RAAJHAA (RAMANATHAPURAM): Sea-cucumbers, the brainless sea-animals of the star-fish (Echinoderms) family are found in plenty in and around the coasts of India and world-over living on dirt. Every Sea-cucumber lays lakhs of eggs even without mating. Sea-cucumber population is found at least one thousand per square meter mostly in deep waters and few species in shallow waters. But still even without giving proper thought the Ministry of Environment & Forest has banned catching of Sea-cucumbers through an amendment to the Wild Life Protection Act. Unfortunately and ironically only the Government of India has enlisted Sea-cucumbers among 62rare sea-species. There is no such ban in any of our immediate neighbouring countries like Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka and China. Both the IUCNR - International Union for the Conservation of Natural Resources and our own CMFRI - Central Marine Fisheries Research Institute have categorically stated that Sea-cucumbers are not at all extinct species. In fact they have only suggested regulatory and scientific methods of conservation wherever sea-cucumbers are caught on a large scale.

In the coast of Rameswaram and the surroundings, catching of sea-cucumbers is not done in a routine manner. Instead they are incidentally found among the fish-catches. Separating them completely from the fishes is near impossible in the seas when fishermen concentrate only on fishing. On reaching the shores, fishermen throw away the sea-cucumbers. Such wastes are gathered in small quantity by poor pickers. They would wait for opportune time to sell them to some agents who find medicinal value in them. Even possession of such thrown-away sea-cucumbers by the poor people is treated like a big criminal act. Poachers can be punished but not those accidentally catch or sell the thrown away items. Over enthusiastic Forest-officials in our area harass such poor men. This high-handedness is deplorable.

The only solution for this problem is to lift the irrational ban on catching sea cucumbers. So, I urge upon the Centre to lift this unwise ban on a false premise.

(ends)

Re: Extension of Train Nos. 22153/22154 upto Karur Railway Station in Tamil Nadu

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): The Train Nos. 22153 and 22154 (Egmore to Salem, Salem to Egmore) are running successfully. I have already requested in Parliament about the trains to be extended up to Karur Railway station. At present train connect Salem and Chennai. If both are extended upto Karur, most of the people like students, businessmen, labours of the Karur district will be benefited. Karur district is also very famous for power looms and the trains run through Namakkal District also which is a hub of business like Lorry body building, chicken farms, egg tradings, schools, colleges etc.

The Salem Divisional Railway Manager and myself had visited Karur Railway station for to extension of the lines. The Divisional Railway Manager requested the Karur Municipality to provide water for train cleaning purpose if the trains are extended to Karur Railway station. The Karur Municipality has agreed to it.

I met The Railway General Manager in Chennai and discussed with him the issue. He had forwarded the matter to the Hon'ble Railway Minister. Hence. I request the Hon’ble Railway Minister to take necessary step in this regard.

(ends)

Re: Condition of National Highway No. 53 in Jajpur Parliamentary Constituency of Odisha

SHRIMATI RITA TARAI (JAJPUR): The National Highway no. 53 in the Jajpur Constituency (Odisha) requires urgent repair. The road on the Brahmani bridge between Kabatabandh and Pankapal village is so precarious that it may submerge in the river any time. Similarly, the stretch between Chandikhole and Duburi should be repaired without any delay. Therefore, I request the Government to immediately repair the National Highway no. 53 in the Jajpur Constituency.

(ends)

Re: Need to provide funds to Central Institute of Fisheries Education, Andheri (West), Mumbai

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST): The Central Institute of Fisheries Education, Andheri (West), Mumbai comes under my Mumbai North West constituency. Nearly 133 workers are serving in the Institute for the last 20 years only on a contract basis. In the beginning of the New Year about 20 workers were relieved from their jobs. Then, I paid a visit to the Institute on 12-1-2018 and discussed the matter with the Director and the Vice-Chancellor in my capacity as a local Member of Parliament. I came to know from them that the Institute was in need of 200 permanent workers as on date. For want of sufficient funds, the Institute is forced to hire workers on a contract basis. In fact, the contractor is gaining and hard, honest and sincere workers are losing. Presently 133 workers working in the Institute are local people and majority of them are from fishermen community only. The Institute has, therefore, requested for a financial assistance of Rs. 2.50 crore for regularising these workers.

In view of this situation, I urge upon the Government of India to absorb all the 133 workers on a permanent basis by sanctioning the above amount on a compassionate ground.

(ends)

Re: Need to construct an underpass near Chilbila Junction Railway Station on Allahabad - Faizabad rail route in Pratapgarh parliamentary constituency, Uttar Pradesh

कुँवर हरिवंश सिंह (प्रतापगढ़):

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-THIRD) AMENDMENT BILL – CONTD.

Further amendment to Bill returned by Rajya Sabha

1403 hours

HON. DEPUTY SPEAKER: We are taking up an important Bill now.

The House will take up item No. 20 – hon. Minister.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले, लोक सभा द्वारा यथापारित तथा संशोधन के साथ राज्य सभा द्वारा यथा लौटाए गए विधेयक में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए:

अधिनियमन सूत्र

" कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1, --

"अड़सठवें" के स्थान पर "उनहत्तरवें" प्रतिस्थापित किया जाए।"

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

"That the following further amendment be made in the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha and as returned by Rajya Sabha with amendment:--

ENACTING FORMULA

That at page 1, line 1,--

for "Sixty-eighth" *substitute* "Sixty-ninth""

1403 hours

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Kalyan Banerjee, you may continue now.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, actually I was on my legs when we were discussing the Constitution Amendment Bill on the 3rd January this year. It was because of some disturbance that the House was adjourned and the discussion did not continue.

During the interregnum, the matter was discussed in the Rajya Sabha; the amendments which had been brought by Shri Bhartruhari Mahtab in fact had been accepted by the Rajya Sabha and they have come up for our consideration.

On that day, I very categorically said – and I say that now also – that we welcome this Constitution Amendment. Some of the anxieties have now been taken care by reason of the amendments which have been accepted in the Rajya Sabha.

I will not take much time because another colleague of mine will also speak.

(1405/RK/IND)

I would just like to point out one or two things. Firstly, I really appreciate the amendment. The State Government is not bound to have such consultations. Clause 1(b)(II) says:

"Provided that such consultations shall not be mandatory for a State Government in respect of policy matters affecting socially and educationally backward classes which are included in List II, State List of the 7th Schedule to the Constitution."

Basically, we wanted to say these things. Every consultation with the State Government must be very meaningful and not a mere consultation. It should be a meaningful consultation as that will help both the Centre and the States. Both have an obligation towards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the OBCs. For the purpose of maintaining an equilibrium, support has to be given to those who are lagging behind. So far as the Bill is concerned, it is a nice one and we must try to resolve their problems as quickly as possible.

As per the Constitution, we have the President, the Chairman and other Members. Since it concerns the OBCs, appropriate care should be taken to see that the Chairman and the Vice-Chairman

may be appointed from the OBC. This will be very much helpful as they will be more concerned about their problems.

Sir, through you, I would like to inform the hon. Minister that there has been a decline in the number of scholarships which were used to be given to the OBCs earlier. This number has to be restored. They should be given more scholarships. Our hon. Chief Minister *vide* a letter dated 23rd July, 2016 addressed to the hon. Prime Minister had pointed out the degree of decline in the number and amount of the scholarships given. I would be happy if the hon. Minister will kindly take care of it.

Sir, I would conclude by referring, since it was referred to in the morning also and in fact it is talked over in the whole of the country, to a judgement pronounced - in respect of a matter relating to the Scheduled Caste - diluting the provision for making faster FIR and not granting anticipatory bail. It has been informed by the hon. Home Minister that the Cabinet has taken a decision to bring a Bill before the House. I have one question to ask. The very next morning, the day the Presiding Judge, who has delivered the judgement, retired he got an appointment in the Green Tribunal.

(1410/PS/VB)

It is a matter of surprise that when the vacancies of the hon. Supreme Court Judges are not being filled up, months after months, and when the vacancies of the hon. High Court Judges are not filled up for years and years, that presiding Judge has been given the appointment overnight. We are speaking against the judgements and not against any individual. If anybody has really done something in favour of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs, those who need help and assistance, it is good. That is the constitutional goal also, otherwise, Part-IV of the Constitution of India would be meaningless. The agonies that were there on 3rd January have now been removed. We all welcome this. Let it function.

I wish this Commission should function immediately in the true spirit of the provisions of the Constitution for the betterment of the people belonging to OBC, who deserves help, assistance and everything, either from the Central Government or from the State Government.

Sir, I am concluding because I have another Member to speak.

(ends)

1411 hours

SHRI A. ARUNMOZHITHEVAN (CUDDALORE): Hon. Deputy Speaker, Sir, thank you very much.

It is my privilege to speak about the pioneers of reservation system in India. Thanthai Periyar, Perarignar Anna, Puratchi Thalaivar MGR and Puratchi Thalaivi Amma are the champions of reservation system. The reservation system in Tamil Nadu is much in contrast to the rest of India, not by the nature of reservation, but by its history.

The policy of reservation of seats in educational institutions and in appointments for BC/MBC/SCs/STs has a long history in Tamil Nadu dating back to the year 1921. The extent of reservation has been growing upward constantly and consistently with the needs of the people belonging to backward and most backward classes, who constitute the majority of population and it has now reached the level of 69 per cent.

The issue of social justice has been an integral part of the Dravidian Movement. The Justice Party was established in 1917 as a result of a series of social justice conferences and meetings in the Madras Presidency. Communal division between dominant and

deprived communities began in the Presidency during the late 19th and early 20th centuries, mainly due to caste prejudices and disproportionate representation of dominant communities in government jobs. The Justice Party's foundation marked the culmination of several efforts to establish an organisation to represent the deprived communities in Madras Presidency.

The Justice Party came under the leadership of Periyar E.V. Ramasamy and his Self-Respect Movement. In 1944, Periyar transformed the Justice Party into the Social Organisation Dravidar Kazhagam and withdrew it from electoral politics. The Justice Party's period, in power, is remembered for the introduction of caste-based reservations and educational and religious reforms.

The Self-Respect Movement is a movement with the aim of achieving equal human rights and encouraging backward castes to have a self-respect in a caste-based society that considered them to be at a lower end of the hierarchy. It was founded in 1925 by Periyar E.V. Ramasamy. The movement was extremely influential not just in Tamil Nadu, but also overseas in countries with a large Tamil population, such as Malaysia and Singapore. But, Periyar did not

want to participate in electoral politics and State administrative power.

(1415/RC/PC)

Perarignar Dr. C.N. Annadurai, the mentor of Dr. Puratchi Thalaivar M.G.R wanted to enter into electoral politics and believed that through participating and winning elections, political equations could be changed and social justice could be upheld. So he systematically continued the social justice movement of Periyar and also pioneered his political movement to form Government in 1967.

Following the footprints of Periyar and Perarignar Anna, our mercurial leader Dr. Puratchi Thalaivar MGR founded All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) which owe their origins to the self-respect movement continued to protect the constitutional rights of the backward and the most backward communities by following 50 per cent reservation.

After Puratchi Thalaivar MGR, Puratchi Thalaivi Amma has become the pioneering champion in upholding social justice in Tamil Nadu. She was the first and foremost ruler to provide 69 per cent reservation for the deprived communities in Tamil Nadu. During her golden rule, Amma had fought many social and legal battles to

implement the 69 per cent reservation policy in Tamil Nadu. No wonder she has been praised as the Saviour and Restorer of Social Justice in Tamil Nadu. Her government had justified in the Supreme Court the law providing for 69 per cent quota in employment and educational institutions in the State contending that backward classes constituted 89 per cent of the population.

While insisting for 50 per cent reservation in 'Indra Sawhney' case, the Supreme Court had given some lenience to the States to meet the extraordinary circumstances prevailing in certain parts of the country. The Tamil Nadu government enacted the law providing 69 per cent reservation after taking into consideration the peculiar situation in the State.

The Tamil Nadu Government enacted a legislation, namely, Tamil Nadu Backward Classes, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Bill, 1993 and forwarded it to the Government of India for consideration of the President of India in terms of article 31-C of the Constitution. Accordingly, the President gave his assent to the Bill on 19 July,1994. The Government of Tamil Nadu accordingly notified it as Act No.45 of 1994 on19 July, 1994.

The Tamil Nadu Government had requested the Government of India on 22nd July, 1994 that the aforementioned Tamil Nadu Act 45 of 1994 be included in the Ninth Schedule to the Constitution of India. The Government of India has already supported the provision of the State legislation by giving the President's assent to the Bill and included in the Ninth Schedule to the Constitution of India.

Before I conclude, I wish to suggest some important views which I believe most of the Members in this august house will agree to. The National Commission for Backward Classes shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other members. While appointing the Chairperson and other members to the NCBC, region wise representation should be provided. At least, one member of the commission should be a woman. Any process in the formation and execution of the Commission should be done after proper consultation with the States and on the basis of prior recommendations of the State Governments.

(ends)

(1420/SNB/SPS)

1420 hours

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Hon. Deputy-Speaker, Sir, we are again deliberating on the subject on a Bill which very rightly has come again for consideration of this House.

Sir, last year when the hon. Minister, my friend Shri Thaawar Chand Gehlot ji had introduced this Bill, I had raised certain objections and moved certain amendments. Shri Premachandran had also moved certain amendments. As this is a Constitution (Amendment) Bill, with the brute majority the Treasury Benches has, they did not accept any of our amendments.

What were those recommendations? One was that a woman should also be a member of that Commission. Another amendment was relating to the fact that State Governments have also prepared a list of Backward Classes and यह जो बैकवर्ड क्लास है, यूनियन लिस्ट में एक सेपरेट लिस्ट भी बनती है। It is quite identical in respect of the Scheduled Castes. Say, for instance, in the State of Odisha the list that has been prepared, the people included in that list from amongst them certain Castes fall in the category of OBC in other States. It is not the same throughout the country. There are certain tribes who

are notified as Scheduled Tribes in certain States, but they are not considered tribes in all the States. But this system continued for quite some time and in 1993 a specific notification, a statutory provision was made by way of the constitution of the National Commission for Scheduled Castes. Subsequently, during Atal ji's time another amendment was made to the Constitution to protect the rights of the Scheduled Tribes. What was being done last time was that whatever provisions were there in the earlier Act meant for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes was being repeated for the people belonging to the Other Backward Classes. In that Act, caste was the primary base for providing reservation.

Sir, I would like to mention here in this House that a certain specific provisioning which has been done in the Constitution in this regard and that provision is how to identify those group of people who need protection, who need reservation for furtherance of their living standards and how to make them economically advance in this country. One was the people who have been persistently denied justice because of their caste and who have been facing a lot of problems in the name of untouchability; who have been down-graded because of their poverty to do certain manual work which no human

should do. Those were identified and accordingly they were included in the list of Scheduled Caste and constitutionally they were provided reservation. Similarly, those who were far removed from the society, lived in remote places and reaching such areas was very difficult, those who did not receive any facility and support from the Government were identified to be included in the list of Scheduled Tribes.

(1425/RU/MM)

Accordingly, the list was prepared. Even today, there are certain Castes who demand that in such and such State when they belong to Scheduled Tribes, why not in the other State? In such and such State, their profession is the same and they belong to the Scheduled Castes but not declared as Scheduled Caste in your State. These demands come to the State Government, come to the Union Government but the Government has very little to do.

HON. DEPUTY SPEAKER: In Tamil Nadu also, there are many Castes which are not treated as backward classes. Actually, they belong to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We have represented several times but decision is not yet taken. It is going on like that. As you said, this is not based on economic factor. The

profession they are practicing matters. Only based on that, they are demanding reservation and not based on economic criteria. Therefore, whichever Caste it may be, any State must consider this point. In your State, Naik community may belong to Scheduled Tribe. In Tamil Nadu, it is a backward class. That kind of a thing is there.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): As he said rightly, one community may not be fulfilling the criteria fixed for backward classes or the Scheduled Tribes or the Scheduled Castes in another State. For example, Banjara community is a Scheduled Caste in Karnataka. It is a Scheduled Tribe in Andhra Pradesh but in Maharashtra, they are placed in the list of Other Backward Classes. The situation differs from place to place. One community may be rich in one State and the other community may be poor there. But there are certain communities which are poor everywhere. For example, untouchables are untouchable everywhere.

HON. DEPUTY SPEAKER: What Shri Mahtab says is, even though they are having a different status in different States, economically, profession-wise or caste-wise, they have the same status. That is what he is saying. Therefore, economic criteria must not be taken into consideration. Only profession of the caste must be considered

in different States. There must not be any differentiation in what they are doing in one State and what they are doing in other States. This is what he is insisting upon.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): There is another issue also.

In the same State, if the pronunciation and spelling or the nomenclature is a little different, they are out of the reservation criteria. That is creating a lot of problem in which the Government has little power to correct. They have to depend on the National Register. Only when they make an investigation and give a report, the Minister for Social Justice and Empowerment or the Minister for Tribal Affairs can come to the House for correction. That is another roundabout way.

Therefore, what steps are being taken to make easement? किस तरह से आप गवर्नेंस को सरल करेंगे? कितनी सुविधा से आप करेंगे, यह भी देखना होगा। यह बात भी सोचना बहुत जरूरी है।

I would now come to the amendment that I had moved. Actually, this is a clear example of how wisdom dawns upon with the passage of time. Last time, in 2017, the Government was hell-bent that whatever they have said in the Bill will be passed. It got passed

in the Lok Sabha. It went to Rajya Sabha. Rajya Sabha outrightly deleted Clause 3 which is the basic purpose of the Bill. And they had rejected this Bill in August 2017. Subsequently, the Government again introduced this Bill.

(1430/NKL/SJN)

In last January, there was, of course, some problem when this could not be taken up for consideration in this House. I did not narrate as to what had happened at that time. We were all witness to that. But, today, when this Bill has been in circulation, especially very curiously, this finds place in the Agenda. This is something very unique in the sense that the Bill to be introduced is listed in full form in the Agenda paper, perhaps to remind us that this is what the Government wants to do and this has been continuing for the last one week. Today is Thursday and this has been continuing for the last one week. I was a bit surprised the other day, the first day, Monday, the 23rd July, 2018 that how come my name finds place with the clauses. I tried to find out from the Secretariat and they said that this is the practice. Frankly speaking, I was not aware of it. But, they said that this is the practice. If the Government accepts the amendment of a Member, maybe from Ruling Party; Treasury

Benches or the Opposition Party, then it gets carried as the voice of the House. So, in that respect, the two amendments which I had made was that a woman should also become the Member of the Commission to which the Government has accepted. The other issue on which I had actually raised objection was relating to Article 338 (b) (9), where it was stated: “The Union and every State Government shall consult the Commission on all policy matters, affecting socially and educationally backward classes.” I had objected to the word ‘consult.’ My suggestion was that the State Government can take decision for the benefit of the Other Backward Classes. Why should they have to come to the Central Government or this Commission for the approval? English, being a very funny and peculiar language, the word ‘consultation’ can be extended on both sides. ‘Consultation’ means that yes, I have consulted you. But, consultation is not binding. Whether the opinion of the Government or the State Government has been considered or not, this provision is not there in the Bill. Therefore, my suggestion was that the recommendation of the State Government should be approved by the Commission. But, anyway, they have added a provision which I had also suggested the other day for insertion- “provided that such

consultation shall not be mandatory for a State Government in respect of policy matters affecting Socially and Educationally Backward Classes which are included in the List 2 of the 7th Schedule to the Constitution.” As I understand, in my opinion, this suffices. It is appropriate. To a great extent, the respective State Governments also have a little bit of power to take up this subject and that consultation process also has been extended to a very positive line. Therefore, I need not take much time, Sir. I am in support of the Bill that has been presented today. Our Party is in support of the Bill that has been presented today. But, along with this, I have a question to ask. The hon. Prime Minister has gone around and has pronounced on different public platforms to identify the most Backward Classes or do the OBC sub-categorisation because those who are comparably better off, are taking the advantage of the reservation.

(1435/KSP/BKS)

How can we give benefit to those people who are left behind? और जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, इनको कैसे सुविधा दी जाए। इसके लिए एक कमीशन बना है, उसके दो या तीन एक्सटेंशन भी हो चुके हैं। Justice Rohini is the Chairperson of that commission. इसके बारे में दूसरी जगह कहीं हो न हो, बिहार में काफी अग्रगति की गई है।

My suggestion is that it is necessary because what Kaka Kalelkar mentioned in the early 1950s on Backward Classes and what the Mandal Commission Report said, which came to light after 1989, was relating to specific castes. We have moved far away from Kaka Kalelkar's Report and the Mandal Commission Report. Now, we are more specific and we have to see as to how to identify those who have been denied the benefit and who are actually socially and economically backward, not the creamy layer who are actually taking the maximum benefit of reservation. We have to take the first step forward. You cannot have it in the Scheduled Castes, you cannot have it in the Scheduled Tribes and also have it in the Other Backward Classes. But as this is in the making, let us try, let this Government show courage to try to have it in the Other Backward Classes. Let Justice Rohini's Report come first. As soon as it comes, the nation will discuss on that subject and the Government will also contemplate on that subject. It is necessary. It has nothing to do with politics.

We will be enlightened if the Minister can throw some light on this. With these words, I support the Bill that is before us.

(ends)

HON. DEPUTY SPEAKER: I request hon. Members to be very brief because many Members have given their names to participate in this debate. We have to take up voting at 5 o'clock and we have to finish the debate before that. So, I request all of you to be very brief while speaking.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Mr. Deputy Speaker, this is a very important Bill. It concerns 40 per cent people of this country. But you are restricting the debate to three hours.

HON. DEPUTY SPEAKER: I am just conveying what you have decided in the BAC. Even if you debate for the whole day, I have no objection. But what the BAC decided is that voting will be taken up at 5.00 p.m. As this is a Constitution (Amendment) Bill, whip has been issued to all the Members to be here. That is why I suggested this. But anyhow, we will extend the time, if necessary.

1439 बजे

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष जी, आज एक महत्वपूर्ण बिल 123वां संविधान विधेयक था, उसमें दुरुस्ती करके यह बिल आया है। यह कांस्टीट्यूशन अमैंडमैंट जो 5 अप्रैल, 2017 को हमारे माननीय मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया था, उसमें कुछ अमैंडमैंट्स हुए। सबसे पहले मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। लेकिन स्वागत करते समय कुछ चीजें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसे हमारे भर्तृहरि जी ने अभी कहा कि जो कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। इस बिल में जो भी प्रावधान किए गए हैं, वे स्वागत योग्य हैं। खासकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। In this Bill, it is stated: "summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath, requiring the discovery and production of any document, receiving evidence on affidavits, requisitioning any public record or copy thereof from any court or office, issuing the commissions for the examination of witnesses and documents and any other matter which the President may, by rule, determine". These are the welcome provisions in the Bill.

(1440/KKD/GG)

The first important point is, what Dr. Babasaheb Ambedkar once said, and I quote:

"There are classes, not castes, which suffer from a social and educational backwardness, and the State has the burden of allocating adequate funds to ameliorate their conditions."

अब यह स्थिति है, इसके लिए मैं आपके ध्यान में ला रहा हूँ कि महाराष्ट्र में अब जो आंदोलन शुरू हुआ है, वह मराठों का आंदोलन शुरू हुआ है। हमने इसी सदन में धंगर जाति की बात की थी। अब जैसे इन्होंने स्पैलिंग की बात की है, अंग्रेजों ने इतनी सारी गलतियां कर के रखी हैं। नाम गहलोत है तो स्पैलिंग कुछ अलग लिखी होगी, तो प्रोनाउंसिएशन और अलग हो जाता है। इसी तरह से हमारे यहां धंगर कहा जाता है, उत्तर भारत में उसे धनगड़ कहा जाता है। आज हमारा धंगर वंचित है, बस "ड" की जगह "र" है, इतना ही फर्क है। वह वंचित रहा। हमारा इस कमीशन को लाने का मूल उद्देश्य क्या है? इस संविधान में एस.सी. और एस.एसटी. के लिए प्रावधान किया गया है। ओबीसी के लिए जब बाद में लाया गया तो दोनों में थोड़ा डिफ्रेंस लगता है। दोनों को अमालगमेट कर के एक ही स्टेटस लाना और उसका अमल सही हो रहा है कि नहीं यह देखना है। सर, आप जानते हैं कि हमारे ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण है। सन् 2015 की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा था कि:

"Only less than 12 per cent OBCs are in the jobs. In some Departments, only 6.67 per cent of the OBCs were given employment under this 27 per cent reservation. OBC comprises 41 per cent of India's population. This difference between the proportion of different

communities in higher educational institutions is mainly because of the difference in primary school enrolment."

This is what is happening. It was written:

"It will consist of Chairman, Vice-Chairman and three other Members. Subject to the provisions of any law made on behalf of Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members; and the condition of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Member so appointed, shall be such as the President may, by rule, determine."

Now, the question is, what the hon. Supreme Court has said. It is the Supreme Court Judgment in the *Indra Sawhney Case* that forms the basis of constituting the National Commission for Backward Class. The Judgement says:

"There ought to be a permanent body in the nature of a Commission or a Tribunal to which complaints of wrong inclusion or non-inclusion of groups, classes, sections in the List of Other Backward Classes can be made. The body must be composed of in the experts in the field both official and non-official, and must be vested with the necessary powers to make a proper and effective inquiry."

You have done that. It further says:

> “In the light of this, NCBC Act provided that the Chairman should be a former Judge so that the Commission can adhere to a judicial approach. Member Secretary should be a former Secretary level officer of the Government of India. One Member should be a social scientist and two persons with special knowledge of the socially backward classes. This feature of an expert body, as directed by the Supreme Court, is not provided for in the composition of the NCBC Bill. The composition should replace this feature of an expert body as mandated by the Supreme Court and also develop process, expertise required by the development.”

यह मैंने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपको बताया है, उसकी वजह यह है कि आपने इनको ज्यूडिशरी पॉवर दी है।

(1445/CS/RP)

यह जूडिशियरी पावर एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो पदाधिकारी नियुक्त करने वाले हैं, तो उनके पास इस क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक है। माननीय मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर ध्यान दीजिए कि यह प्रावधान किस तरह से बनाया जा सकता है। आप इस चीज की कोशिश करें।

मैं फिर से एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूँ। तमिलनाडु राज्य ने 69 परसेंट रिजर्वेशन किया है। We appreciate that but what best can be done for other people. आज हमारे मराठा आरक्षण माँग रहे हैं। वे आरक्षण क्यों माँग रहे हैं? अभी आपके पास जो

रिपोर्ट आई है, वहाँ पर बहुत जोर से आरक्षण के लिए आन्दोलन चल रहा है। मैं केन्द्र सरकार से विनती करता हूँ कि आप भी उसमें हस्तक्षेप कीजिए। जितना जल्दी हो सके, उतनी जल्दी उनको न्याय देने की आवश्यकता है। वहाँ पूरा महाराष्ट्र जल रहा है। वे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पिछले दो सालों से इस माँग को लेकर चलते रहे हैं, आन्दोलन करते रहे हैं। सरकार उनको कहती रही कि हम करने वाले हैं, हम करने वाले हैं, लेकिन सरकार कर नहीं रही है। आप इस समस्या का निराकरण कैसे करेंगे? हमारे महाराष्ट्र में धनगर, महादेव कोली, बारा बलुतेदार, धोबी आदि जातियाँ हैं, जो आरक्षण माँगती हैं। जैसे चेयरमैन साहब कह रहे थे कि वे किस तरह का काम करते हैं। आप उनको आरक्षण कैसे देंगे? इसके ऊपर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है, ताकि उनको कुछ समाधान मिले कि हाँ केन्द्र सरकार भी हमारी वेदना को देख रही है और कुछ कदम उठा रही है। मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।

(इति)

1447 hours

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. I request you to allow me to complete my speech. It is because when I was going through the records, in 1990, you were also urging the same thing in this august House and requesting the Chair to give you time. The Opposition Leader was trying to push the things but you were the one who was fighting single handily for adequately discussing the Mandal Commission Report.

This is the story of 25 years, 25 years of waiting. Today, I am happy but also sad that it took 25 years. I must thank, at this juncture, my CM, the leader of my Party, TRS, K. Chandrashekar Rao *garu*. It is because of whom I became MP and because of whom I had the opportunity in the last four years to serve, fight and raise my voice in this august House for providing Constitutional status to the National Commission for Backward Classes.

As you know, the backward classes have a very sad story. When I was looking at the statistics, I came to know that in the year when I was born, in that same year the Kaka Kalelkar Commission was Constituted. Its Report was submitted in 1961 but, unfortunately, the Report was delayed, diluted and denied.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Were you born in 1953?

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): I was born in 1959. The Report was submitted in 1961. It took 19 years. Again, the Mandal Commission was constituted. For 19 years, nobody had bothered about the OBCs. In 1997, the Mandal Commission was Constituted and the Report was submitted in 1980. Again, for the 10 years, this entire august House had totally forgotten the OBCs. Only in 1990, in the month of August, 27 per cent reservation for OBCs was given. Again, as usual, this Lok Sabha and others had not intervened, the Supreme Court had intervened and said that there was a delay. There was a case of Indra Sawhney & Others versus the Union of India. Lot of clauses were put. Then, in 1993, the National Commission for Backward Classes was constituted. I do not understand as to why the then Government – I think, the Congress Government – had not given the NCBC the same powers which were there with the National Commission for Scheduled Castes. The National Commission for Scheduled Castes has already been overburdened. In 25 years, merely, 135 complaints were entertained by NCSC regarding OBCs. वह अपना बच्चा है, लेकिन उसे बगल वाले पाल

रहे हैं। That is the story. That is the pity of the 50 per cent population of this country. I wholeheartedly welcome the steps taken by the present Government. देर आये-दुरूस्त आये। At least, they have brought this Bill to give it a Constitutional Status.

(1450/RCP/RV)

If you go into the history, there are a lot of things. What happened to Shambuka? What happened to Eklavya? We know that history. We are again delaying it somehow, as if that is not enough.

Sir, in 1990 you were there. You were vociferously arguing that a discussion regarding the Mandal Commission has to be taken up under Rule 193. But, I do not know why the party which was sitting there, at that time, said that reservation would not help the poor. Wholesome reservation helps; wholesome development helps. I do not know who had given the feedback to the Opposition Leader at that time. But, when I read about that in the library, it really pained me as to why the Opposition Leader at that time had to take the stand that reservation would not help. Reservation is not for a single person; it has a psychological effect. If I become an MP, it affects

my entire population from which OBCs come. If you are sitting in the Chair, it helps, Sir.

श्री गणेश सिंह (सतना): उनका नाम भी बता दीजिए।…(व्यवधान)

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर): नाम तो मालूम है। I do not want to hurt any party. …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) साहब थे। I do not know why he was fed with that information that reservation would not help the OBCs.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

… (*Interruptions*)

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): OBCs constitute 50 per cent of our population. They are the backbone of the Indian economy. Most of the MSMEs are run by the OBCs. It took 25 years for the Congress Party to include them. It is because, majority of this time, the Party was in power. When I was there in the House on the day the No-Confidence Motion was being discussed, one of the Opposition leaders was saying कि वे गले मिले, प्रधानमंत्री से गले मिले। मुझे लगा कि अगर इन 25 वर्षों में एक बार भी कांग्रेस पार्टी ओबीसी से गले मिलती तो उन्हें हमारे दर्द का पता चलता, हमारी मांगों का पता चलता, हमारे आँसू का पता चलता। मगर, वे गले नहीं मिले। अभी तो एटलिस्ट खड़गे साहब हैं, वे तो हमेशा हमसे गले मिलते हैं। वे तो हमें सपोर्ट करेंगे। यह भी बात करें कि अगर वे हमारी आँखों में आँखें

डालकर देखे होते तो सर्टेन्ली उन्हें पता चलता। उस समय अगर कांग्रेस पार्टी हमारी आँखों में आँखें डालकर देखी होती तो उन्हें हमारी आँखों में दर्द का पता चलता, हमारी आँखों में आँसू का उन्हें पता चलता, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फोक से हूं। For the last 25 years, I am a leading surgeon of my State and also of my country. When I came to this august House and when I saw that it will take 25 years, it pained me. I would request that all the parties should do self-introspection. It is because, 'सबका साथ, सबका विकास' should not be a simple slogan. It should be the *niti* of not only your party but of every party. 'सबका साथ' means we should be with SCs, STs, OBCs, and even with Marathas and Patels. We should feel their pain also. We should address their concerns also.

Regarding reservation, 27 per cent reservation was given 25 years back. What is the representation of OBCs today in the Central Government? It is a mere nine per cent. You know about Tamil Nadu. You are the pioneer of reservation. Periyar and Narayana Guru are icons for us across the country. Today, why is creamy layer there for OBCs? You first fill up 27 per cent reservation posts, then you apply the creamy layer. Then, it will be for the poorest of the poor.

I would like to inform you about a recent incident. DoPT has issued an order that reservation in the universities shall not be given under university scale; it will be only department-wise and no reservation will be applied unless there are minimum 10 seats. What will happen? There will be no reservation for SCs/STs and OBCs. I would appeal that 'सबका साथ, सबका विकास' should be the *niti* of every party.

(1455/SMN/MY)

I have written almost thousand letters to all the MPs. We have met the PM several times. I have met Gehlot Ji many times. He has assured me. प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा। मैं चार साल से इंतजार कर रहा हूं, लेकिन इन्होंने अभी दिलाया है। I was very happy. I would like to suggest some things. With regard to the NCBC Members, I request the Minister that the Members should preferably be from the OBC community. दूसरा कोई उनका दर्द नहीं समझ सकता है। That is one thing.

The NCBC should be able to participate in the overall development and upliftment of the community. I believe in that way. I am the person, who has introduced the Private Members' Bill for

reservation of OBCs in this august House. Tomorrow, it is getting introduced. I believe in that principle.

Our State is the youngest State. We have got one of the best models. In the last 70 years, there were only 23 residential schools for the OBCs. In the last four years, we have got 119 residential schools. Next year, we will have many new residential schools. We have got Rs.1,000 crore for the NCBC. We are distributing 90 lakh sheep to the shepherd community. The Government of India has never distributed it. Our Chief Minister is distributing it in our State.

Apart from that, Rs. 250 crore for Nai Brahmins, a separate budget for modern saloon and a modern *dhobhi ghat* has also been given. In the handloom sector, we have allocated Rs. 1320 crore for the weaving community. It is almost one-fifth of the Central Government's Budget. I would like to suggest that there should be an OBC Ministry. The OBCs constitute 52 per cent of the population. Gehlot Ji is already over-burdened with the SC community. There should be an OBC Ministry. I urge upon the Government to increase the budget because the budget is only Rs. 900 crore. It turns out to be only Rs.11 per person. It is very shameful. I request that the budget should be improved. I request the Government to remove the creamy layer. You know about Shri Jyoti

bhai Phule and Smt. Savitribai Phule. They have worked their entire life for this cause. Do they not deserve Bharat Ratna? All the Members, cutting across party lines, suffered a lot. I request the Government to seriously think of conferring Bharat Ratna on Shri Jyoti bhai Phule and Smt. Savitribai Phule. I also request all the Members to show their support and also constitute a Phule Foundation on the lines of Ambedkar Foundation. Ambedkar had said: “Political power is the master key for the development of all the sections.” What is the population of OBC and what is the representation they have got here? There must be OBC reservation in Assembly and in Parliament. Then only, Ambedkar’s dreams will be fulfilled. I request the Minister to seriously take note of this. What about the Natchiappan Committee? Why did you forget it? Ultimately, for everything, we have got a hurdle. The Natchiappan Committee has recommended reservation in Judiciary. Already more than 35-40 years have passed. He recommended reservation in Judiciary more than 35-40 years back. Why do we not implement it? There is a Roman history. During the Roman times, there were two sections – the common people and the aristocracy. The common people are called fabians and the people of aristocracy are called patricians. The fabians, like the OBCs, fought for reservations. They got reservation but with a condition. The condition is that if reservation is given, if the

candidate is suitable or not, the God has to give the consent. Who will coordinate with the God? The priest will coordinate with the God. Similarly, the courts are taking that approach. Kindly see that reservation in Judiciary be given to SC, ST and also to the OBCs.

We all agree to the women's quota. All the parties agree to the women's quota. What is the problem in having OBC quota in women's quota? What is the problem? 'सबका साथ - सबका विकास' ओबीसी वूमेन को भी कोटा चाहिए।

(1500/MMN/CP)

Before I conclude, there is a saying in Sanskrit *'dhanam moolam idam jagat'*. I think most of you understand it that money is power. This world is run by money power. Ultimately, economic empowerment shall be the fundamental thing for the upliftment of the OBC. I also suggest and demand that there should be economic reservation for the OBCs in line with the SC/ST people. I thank you very much for giving me the opportunity.

(ends)

(1500/MMN/CP)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, just give me one minute time. I want to raise one important point. One delegation of TMC MPs comprising of four Members, Dr. Kakoli Ghosh Dastidar, Shrimati Arpita Ghosh, Shrimati Mamata Bala Thakur along with Shri Sukhendu Sekhar Roy of Rajya Sabha and Dr. Ratna De (Nag) went to Assam.

HON. DEPUTY SPEAKER: What is the matter?

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): They went to Assam to find out the position after the publication of the NRC Register. The Assam police has detained them at Silchar Airport. This is breach of privilege. They are fully interfering with the free movement of MPs. यह गलत है। … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will convey this to the hon. Speaker. She will take care of that.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, you have already raised this matter.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Prof. Saugata Roy, you raised the matter. I will definitely convey this to the Speaker. She will take care of that.

Now, Shri Ram Mohan Naidu

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already told you that I will convey this to the Speaker.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): They are fully interfering with the free movement of MPs.… (*Interruptions*) It is our fundamental right.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. Already Prof. Saugata Roy has raised this issue.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You see, he has already brought it to the notice of the House. I will convey this to the Speaker. Definitely, she will take care of whatever you have said, please.

This is also an important Bill on which discussion is going on. Please try to co-operate.

… (*Interruptions*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, I cannot speak like this. It is very difficult to speak like this. It is an important Bill. I want to give some recommendations. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You have already raised the issue, and I assured all of you.

… (*Interruptions*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, if the House is not in order, how can I speak? अरे कैसे, यह इतना महत्वपूर्ण बिल है। मैं बोलता रहूंगा, वे लिखते रहेंगे। सबको सुनना चाहिए। …(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already conveyed to the Speaker.

… (*Interruptions*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, it is difficult to speak like this. … (*Interruptions*)

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-THIRD AMENDMENT) BILL—Contd.

1504 hours

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Sir, on behalf of our Party and our leader Nara Chandrababu Naidu Garu, we wholeheartedly support this Bill. We had welcomed the Bill when it was brought. Previously also, we supported the Bill, and now once again it is being brought to the Lok Sabha. We once again support the Bill for the establishment of the NCBC and for providing Constitutional status to it.

I have also been in the Standing Committee on Other Backward Classes.

(1505/VR/NK)

So, I have been able to look into the issues that the OBC community has been facing for some time. One of the most important issues that has been pending for a long time, probably for 20 or 30 years, is the demand for this amendment which grants the constitutional status to the OBC Commission. Finally, this has been brought in and we are very happy about it. There is a new hope within the OBC community that whatever injustice has been done for

decades and centuries, this constitutional amendment would give them justice in the future.

Before I start, I would also like to make a point, which hon. Members, Shri Mahtab ji and Shri B.N. Goud ji have also raised just before me. But I want to reiterate some very important points so that they are brought to the notice of the Central Government.

My first point is that there has been no caste-based census till date on which we can look upon and say that this much is the population of OBC people in our country. It has also been a long pending demand from the OBC community. There was a socio-economic census in 2011. But the report of that Census is not in the public domain. That is something which the Central Government should keep in mind while resolving the issues pertaining to OBC communities. We have to have a full idea on how much population of OBC people is there in our country.

Even when other hon. Members were deliberating on this Bill, there was always this idea that the population of OBC people is between 50 to 60 per cent. So, it is still a mystery as to how much

population of OBC people is. That is why I would request the Government that a caste-based census should be done right now.

Sir, we welcome the amendments that have been brought in by the Central Government. There should be a woman member in the Committee. Even if there is a woman in the Commission to express the views of the women, it is also necessary that a woman should be there in the OBC Committee as well. I am saying it because the women are treated differently in different OBC communities. So, it is important that a woman member should be there in the OBC Committee.

Now, I come to the most important point of creamy layer in the BCs. We have seen that the SC/ST Commission does not propose for any creamy layer issue. Sir, the Mandal Commission has proposed that 27 per cent reservation should be given to the OBC community in our country. Even when you are not able to provide that 27 per cent reservation, you are having another additional restriction by putting the creamy layer ceiling. Now, you have increased the limit to Rs.8 lakh. Further there would be a request for Rs.15 lakh. Sir, if you could not implement 27 per cent reservation

for OBC community, why is it necessary to put the creamy layer ceiling in the first place? That is why we request that the whole creamy layer limit for the OBCs should be lifted up. When we would be able to implement the right to reservation for 27 per cent, we can further think about what the creamy layer ceiling should be.

Now, I come to the most important point, which I think the whole House should ponder over. It is about the 50 per cent reservation limit that is there. Even the Government of Tamil Nadu had been through that. Even the Government of Andhra Pradesh is facing this issue. We wanted to extend the Backward Class reservation to the Kapu community. We are not being able to do that because there is a precedent. … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): The Government of Tamil Nadu is not facing this issue. They have already got it up to 69 per cent.

HON. DEPUTY SPEAKER: The Ninth Schedule is already included.

… (*Interruptions*)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): But, that issue is still in the court also. … (*Interruptions*)

(1510/RBN/SK)

Even then the judgment was, 'we are reluctant to say definitely what would be a proper provision to make'. So, they were also not sure whether they should limit the reservation or not. Speaking generally and in a broad way, it was made less than fifty per cent. Exactly how much it would be, would depend upon the relevant prevailing circumstances in each case. The point that I want to make here is that even the Supreme Court is not definite in putting that 50 per cent limit on the reservation that is being given. Due to that each and every State is facing problems. Demographics are not the same. Back in 1992 or during the time of Independence, the number of OBCs was not the same as at this time. We have been adding a lot of other communities into the OBC list. About eighty per cent of the Indian population comes under OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So, how can you limit the reservation to just 50 per cent? When you are giving reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis of population, then why should you restrict it for the OBCs? That is why I want the House and also the Government to think upon this issue of 50 per cent limit. I do not see that the Supreme Court has also definitely said that the

Government has to follow the 50 per cent limit. In Tamil Nadu, you have crossed that limit. You are able to give 69 per cent reservation in Tamil Nadu. But we are not able to give that. We are requesting the Central Government to bring that amendment to Schedule IX. But this should not be the case that every time you want to give some kind of concessions to the OBC community, you have to come to the Central Government. You cannot come to the Central Government every time and say you change Schedule IX, etc.

These kinds of issues are coming up all over the country. It is happening in Maharashtra for reservation for Marathas. Patidars in Gujarat are demanding reservation. So, when so many issues are coming up, there has to be a special discussion on the 50 per cent limit. How did it come into existence? How did anyone decide that there has to be 50 per cent limit, especially when the numbers are against it? That is why I was also pointing out that there should be a caste based census for the OBC community. Once the NCBC is set up, it should look into the issue of catering OBC community status to all the BC communities which have been registered by the States. From the State of Andhra Pradesh many communities have been

proposed to the Central Government saying that they should be included in the OBC list. Right now, when we met the hon. Minister, he said that after the formation of the NCBC this would be taken up. Whatever the State Government is sending for the inclusion into the OBC community, it should be taken up as a priority. For that reason, I agree with the amendment brought by Shri Bhartruhari Mahtab. Belonging to a regional party, we agree with the idea that he has proposed. His amendment is that 'such consultations shall not be mandatory for the State Government in respect of policy matters effecting socially and educationally backward classes.' This is something that even the State Government of Andhra Pradesh agree to. There should not be any meddling with the rights and affairs of the State Government in granting the BC community status.

The NCBC should deal with it in such a way that it should help the States recognise these kinds of underprivileged communities and try to assist them. They should not hinder the process of granting the BC community status by the State Government. That is one of the requests. So, we also support the amendment that is being brought by Shri Mahtab. I would like to reiterate the point made by Dr. Boora

Narsaiah Goud. We also request for the establishment of OBC Ministry also for proper accountability, transparency and for proper implementation of reservation and budgeting that is granted to the OBC. There has to be a separate Ministry so that they can work parallelly with the Government as well as with the Commission so that the strengthening of the OBC community happens across the country.

With these few words, I conclude my remarks. Once again, I would like the House, the Ministry and the Government to think upon the idea of 50 per cent limit. Thank you very much.

(ends)

1514 hours

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Mr. Deputy-Speaker, Sir, thank you. I would like to participate in the discussion on the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill, 2017. We had already discussed this issue earlier in this House. It was sent to the Rajya Sabha. Further, it was sent to the Select Committee.

(1515/SM/MK)

The Select Committee submitted their report in the Rajya Sabha. After that, the Bill has come for passing in the Lok Sabha. Sir, I fully agree with some of the issues that have been raised by other hon. Members.

Sir, as far as India is concerned, the reservation policy is always a very serious and sensitive issue. Unlike other countries, we have a large number of languages, religions, castes and sub-castes. Even during pre-Independence period, there were so many struggles with regard to the SC issue or the reservation issue. Due to these long struggles, the SCs, STs and OBCs have got some benefits in the form of reservation.

In some States, there have been some form of reservations from the pre-Independence period itself. In other States like Gujarat, Maharashtra, Bihar, UP, Punjab and Himachal Pradesh where reservations exist in varying degrees. In States like West Bengal, Orissa, Assam and most of the North Eastern States, such reservations did not exist earlier due to the nature of the historical evolution of the caste pattern. In West Bengal also, major socio-economic changes were brought through prolonged struggles.

Sir, I would like to say that we cannot forget the eminent social reform leaders in various States, for example, Sree Narayana Guru, Ayyankali Chattambi Swami, Poykayil Yohannan, Ayya Vaikundar Swamikal, Vakkom Moulavi, E.V. Ramasamy Naicker. We should discuss about them.

HON. DEPUTY SPEAKER: You should not forget the name of Shri Taravath Madhavan Nair who was the founder of Justice Party and fought for reservation.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Yes Sir, I agree with you.

Sir, actually, we should not forget eminent social reformers either in Kerala or in Tamil Nadu. In Tamil Nadu also, The Periyar

Dravidar Kazhagam and later DMK and AIDMK have done a lot of work. In Kerala, in the time of the first communist Government in 1957, under the leadership of Shri E.M.S. Namboodiripad, there was a committee appointed to study reservation issues and it has become a model for many other States.

Sir, I do not want to go into the details of the background of this issue. Many States have made detailed studies on this issue and appointed so many commissions, such as the Havanur Commission in Karnataka in 1971, Backward Class Commission in Tamil Nadu in 1971, Backward Class Reservation Commission in Kerala in 1971, the Socially and Educationally Backward Class Commission in Gujarat in 1976 and the Backward Classes Commission in Andhra Pradesh in 1970. All these Commissions were meant to study the caste policy and also the reservation policy. We know that there was only the SC/ST Commission and after that it was bifurcated and then the Commission for other Backward Classes was formed. I do not want to go into the details.

Sir, there is a very important issue with regard to the power of the States. Earlier, it was decided that the Centre has to decide the

caste which has to come under OBC community category or others. In case of SC/ST, there is no bar because it is a Constitutional right. As far as OBC community is concerned, there are a number of sections. There may be a community in OBC category in one State but the same community may be in OEC category in other States. I have my own experience.

As far as ST community is concerned, it was decided in Karnataka that the Marathi caste should be under ST category. In Kerala also, the same caste was included under ST category. It was there up to 2002. After that, it was deleted. I have raised this issue in this House. It has taken 10 years to get that benefit of ST category because of the attitude of the bureaucrats and also because of the incorrect reports that had been given.

As far as the States are concerned, they know who are the actual persons, which are the actual communities that have to be included in the list of the OBC. As far as SC and ST category is concerned, there is no bar about it. So, this issue has to be taken very seriously. We should also see that this is not used for political purposes. So, I think when Centre takes up this issue, it should also treat the matter in an appropriate manner.

(1520/AK/RPS)

So, there should be judicial consciousness, otherwise, the spirit of the SC or OBC reservation would be defeated.

Here, I agree with the hon. Member who spoke before me that even 27 per cent is not being implemented completely. I am also one of the Members of that Committee, and when we examined the issue in detail, we could see that in many States the 27 per cent reservation for the OBCs is not implemented. The Central Government has to give strong directions to know as to why such Governments are not implementing it.

As far as some sections are concerned, this reservation is not applicable. For example, take the Departments under our hon. Prime Minister, namely, Science & Research, Scholarships, etc. As far as Kerala is concerned, there is no reservation for OBCs in the Sree Chitra Tirunal Institute. Why are you not giving due importance to the OBCs? Do you think that there is no person in the OBC category to become a doctor or research person? As stated earlier, nearly 67 per cent is the OBC population, but they are not getting their due share as far as education or employment is concerned.

I do agree with this Amendment because Constitutional status has to be given to the OBCs as we have already given this to the SCs and STs. But at the same time, when we think about their population, nearly 67 per cent of the population is there. Why are you hesitating to give the due share as has been given to the other categories? This issue also needs to be answered.

The other issue is that we talk about women, and we say that we are giving protection and promotion to women in all the categories. One of the Committee Members, who later became a Minister, has also been arguing for this issue. Why have you not included a woman as a Member of this Committee? We have Chairman, Vice-Chairman and one eminent person in it. They have to be selected in such a way that they are eminent; they should be socially conscious; and should be aware about all these issues. Their selection should not be done on the basis of politics, and one Member from the very backward community should be included in it. There are many backward communities, but the extreme backward communities are there whom we can see in many places and whose

issues others are unable to know. Even we are not in a position to know about it.

So, one Member should be taken from such an extreme backward community, and one Member should be a woman. We talk about 33 per cent reservation for women, but the Government is not ready to bring that Bill. If you are not ready to bring that Bill, then at least in this Bill you kindly include them. I think that all the Members from the other side also will agree to it.

With these two suggestions, I would like to state that I fully agree with the Amendments that the Government has made. But at the same time, we have a number of legislations and when we implement them whether it would be fruitful. This guarantee the Government has to give here. So, in the selection of the Chairman, Vice-Chairman and Members, member from the very backward communities, and also a woman has to be included in it. Thank you.

(ends)

1524 बजे

श्री नित्यानन्द राय (उजियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले, इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी संकल्पित हैं। पिछड़ों के दर्द को, गरीबों और वंचितों के दर्द को कोई गरीब और पिछड़े का बेटा ही समझ सकता है। इस बात को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साबित किया है। जब लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुमत में है तो पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आज तक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, को संवैधानिक दर्जा मिले। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब इस विधेयक को लोक सभा में लाया गया तो यह लोक सभा से पारित हो गया।

(1525/ASA/SPR)

लेकिन जब राज्य सभा में गया तो कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसी पार्टियां जो अपने को हमेशा कहती हैं कि हम पिछड़ों की पार्टी हैं, पिछड़ों के शुभचिन्तक हैं, हम उनके हितों की बात करते हैं तो आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि राज्य सभा में इस विधेयक को क्यों नहीं पारित होने दिया गया? एक बहाना बनाया गया कि इसमें अल्पसंख्यक समुदाय से भी एक सदस्य बनाया जाए जबकि अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है। उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। हमेशा से कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों के अहित के लिए ही काम किया है, चाहे वह जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव गांधी जी के जमाने से लेकर अभी तक के जमाने की आप इस सदन की कार्यवाही को देखेंगे, कांग्रेसियों की करतूतों को देखेंगे कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ों की विरोधी रही है। चाहे वह नौकरियों में आरक्षण

का मुद्दा हो, चाहे उनको न्याय और अधिकार देने की बात हो, चाहे उनके विकास के लिए जब योजनाएं बनाई जाती हों या जब उसमें बातें आती हैं तो कांग्रेस ने हमेशा पिछड़ों के खिलाफ काम करने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी उस घर को रौशन करने चले हैं, जिस घर में सदियों से अंधेरा है। उस घर को अब रौशन होने से कोई नहीं रोक सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, जब 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ, काका कालेलकर आयोग ने अपनी सिफारिशों को सुपुर्द किया। सिफारिशों में कहा गया कि पिछड़ों के लिए आरक्षण हो, नौकरियों में आरक्षण हो, उनको न्याय मिले, उनको अधिकार मिले, उनके उत्थान, विकास और संरक्षण के लिए उसमें सिफारिशें की गईं जिस देश में पिछड़ों की इतनी बड़ी आबादी है, उस समय के तात्कालिक प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने इन सिफारिशों का पुरजोर विरोध करते हुए इसी सदन में उस आयोग की सिफारिशों को खारिज कर दिया। उन्होंने सिर्फ खारिज ही नहीं किया, उस समय की जितनी भी राज्य सरकारें थीं, उनको पत्र लिखकर कहा कि काका कालेलकर की उन सिफारिशों को मानने की जरूरत नहीं है। मैं उन सिफारिशों को नहीं मानता हूं और एक तरह से उन पिछड़ों को दगा दिया गया। पिछड़ों के साथ अन्याय किया गया। उनके विकास को रोका गया। उसके बाद कांग्रेस ने पिछड़ों के लिए किसी भी आयोग का गठन नहीं किया। जब मोरार जी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी तो वी.पी. सिंह जी के नेतृत्व में मंडल

आयोग का गठन हुआ। मंडल आयोग ने बड़ी बारीकी से पूरे देश में जातियों का शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर सर्वेक्षण किया।

मैं स्पष्ट रूप से इस सदन में बता देना चाहता हूं कि आज मंडल आयोग की सिफारिशों में किसी के साथ बेईमानी नहीं की गई। आज राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जब उठाकर देखेंगे कि जो जातियां आज बिहार में बैकवर्ड में हैं, हो सकता है कि वे जातियां गुजरात में फॉरवर्ड की श्रेणी में आ जाएं। मध्य प्रदेश में अगर वे फॉरवर्ड की श्रेणी में हों तो हो सकता है कि बिहार में जाकर वे बैकवर्ड की श्रेणी में आ जाएं। मैं बिहार का उदाहरण देना चाहता हूं। आज ब्राह्मण समाज से आने वाले गिरी, भट्ट और महापात्र भी बिहार में पिछड़ों की श्रेणी में हैं। आज देश के किसी भी राज्य में जाइए, मैं उतना विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट कहूंगा कि राज्यवार जातियों को जो श्रेणीबद्ध किया गया है, उसके हिसाब से देखेंगे तो पूरे हिन्दुस्तान के पिछड़ों के साथ चाहे वो अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग श्रेणियों में क्यों न हों, उनके साथ मंडल आयोग में न्याय किया गया है।

(1530/RAJ/KMR)

मंडल आयोग की रिपोर्ट सबमिट की गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस ने मंडल आयोग की उस सिफारिश को लागू नहीं किया। जब श्री वी. पी. सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से दिल्ली में सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री मंत्रीमंडल को संभाल रहे थे, उस सयम श्री वी. पी. सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया और केन्द्रीय नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का

प्रावधान लागू किया। कांग्रेस के लोगों द्वारा उस समय लगातार इसका लगातार विरोध किया गया। जिस समय मंडल आयोग की रिपोर्ट सबमिट की गई थी, उसके बाद इसी सदन में उस सिफारिश को लागू करने के लिए तीन बार चर्चा हुई और राजीव गांधी जी इस सदन में तीन घंटे तक मंडल आयोग की सिफारिश लागू न हो, उसका विरोध करते रहे। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि आखिर प्रारंभ से ही पिछड़ों के अहित के लिए आप काम क्यों कर रहे हैं? पिछड़ों ने आपको क्या बिगाड़ा है? क्या उनके दर्द और आंखों के आंसू, क्या उन आंखों से कनखी और मटकी चलाने वाले लोगों में दया और करुणा की बात नहीं लाती है? क्या पिछड़ों के बेटों को यह हक प्राप्त नहीं है कि वह नौकरी प्राप्त कर सकें। उनको जो 27 प्रतिशत का आरक्षण मिला है, वह 11-15 प्रतिशत पर रुक जाता है तो क्या पिछड़े वर्ग के बेटे और बेटियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यह इसलिए रुका हुआ है कि मंडल आयोग मात्र एक मामूली-सा कानूनी निकाय बन कर रह गया है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इसके बारे में सोचा-समझा और कहा कि हम पिछड़े वर्ग को न्याय देंगे और न्याय देने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रास्ता यही है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री जी चाहते हैं कि पिछड़ों को न्याय मिले। मैं पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के फायदों की चर्चा करना चाहता हूं ताकि कांग्रेसियों और उनको सहयोग देने वाले लोगों की आंखें खुले

और इस विधेयक का समर्थन करें, वरना एक-एक पिछड़ा गांव और गलियारे, खेत और खलिहान में, उनको जवाब देने के लिए इंतजार करेगा और जवाब देकर रहेगा।

महोदय, इसे संवैधानिक दर्जा मिलते ही अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जन जाति आयोग के बराबर का दर्जा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को प्राप्त हो जाएगा। आयोग पिछड़े वर्ग के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नति संबंधित सारे कार्यों का निर्वहन करेगा। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 16(4) और 15(4) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाने और न्याय देने में सक्षम होगा। पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अधिकार पर अधिकारियों के द्वारा लापरवाही करने तथा शिथिलता बरते जाने पर उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का प्रावधान होगा। पिछड़े वर्ग पर किए जाने वाले अत्याचार और अपमान की सुनवाई और उस पर न्याय देने का अधिकार उस आयोग को होगा।

(1535/IND/GM)

इससे मंडल आयोग की सिफारिशों को मजबूती प्राप्त होगी। सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार मंडल आयोग के माध्यम से मिला है, उसे भी मजबूती मिलेगी। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बावजूद भी आज हम 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते हैं और पद रिक्त पड़े रहते हैं। इन पदों को भरने में भी अब सहूलियत मिलेगी। पिछड़े वर्गों की जातियों में आज बहुत सारी जातियां ऐसी हैं, जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के बाद भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पातीं, इससे उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

महोदय, अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि –

अंधियारे घर में दीपक जलाने का नाम है नरेन्द्र मोदी,
दुखियों के घर में सुख बरसाने का नाम है नरेन्द्र मोदी,
घर-घर में जिससे दीवाली हो उसका नाम है नरेन्द्र मोदी,
भारत की रखवाली करे उसका नाम है नरेन्द्र मोदी,
पवन से तेज चले उसका नाम है नरेन्द्र मोदी और
जो सीने से दे पत्थर तोड़ उसका नाम है नरेन्द्र मोदी।

आप सबक लीजिए, नहीं तो पिछड़े वर्गों के तूफान में आप पत्ते की तरह इस प्रकार उड़ेंगे कि हिंदुस्तान की धरती पर आपको जगह नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी।

(इति)

1536 hours

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Hon. Deputy Speaker Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this historic legislation pertaining to the National Commission of Backward Classes, the Constitution (One Hundred and Twenty-third Amendment) Bill 2017. This is one of the landmark legislations ever in the history, a long-awaited one. It is actually going to have an impact on millions of lives in the country.

This Bill aims at providing Constitutional status to the NCBC. As per the National Sample Survey Organisation’s survey of 2006, the population of OBCs is 41 per cent. I wholeheartedly congratulate the Union Minister and the Union Government for bringing up this Bill which is long-awaited and which will have a great impact. Though NCBC as a statutory body was created in 1993, it was only vested with limited power and hence could not make a considerable impact. But, by this legislation, the NCBC will cater to the needs of the most vulnerable social and economically backward classes in various States and Union Territories, as may be specified by the hon. President of India in consultation with the Governor of the concerned

State. The National Commission will also have the power to examine complaints pertaining to inclusion or exclusion of groups within the list of backward classes and advise the Central Government in this regard.

As far as the Bill is concerned, I feel that it takes away the authority of the State which can now send the request to the present NCBC which may or may not forward them to the Union Government. But some regional parties in the State have been assuring to include certain castes in the OBC list only to raise the hopes and aspirations of the people of the respective State, particularly that of Andhra Pradesh. I would like to request the hon. Minister to throw some light on the role of the State Governments in inclusion of certain castes in the OBC list. Now that this Bill is going to be passed in the House, I would like to have certain clarifications from the hon. Minister.

In October 2017, the hon. President of India Shri Ramnath Kovind notified a five-member Commission headed by the Delhi High Court's former Chief Justice G. Rohini under Article 340 of Indian Constitution to explore the idea of the OBC sub-categorisation. The previous National Commission for Backward Classes has also

recommended for this Commission and the Standing Committee has also recommended for it. This Commission was supposed to present its report within 12 weeks of its formation but it has not reported even till date. It was also supposed to bring order of the Central List of OBCs by removing repetitions. OBC sub-categorisation has already been implemented by 11 States in the country, in which Andhra Pradesh is also there.

(1540/RSG/VB)

What will be the status of this sub-categorisation? Will the committee proceed with the sub-categorisation report? What will be the effect on the States that have already made sub-categorisation? Will the same continue or will there be a centralised listing? Since caste-wise census is not available in the public domain, I would like to know from the hon. Minister whether caste-wise census will be made available through the National Commission for Backward Classes.

Coming to the creamy layer, the danger of reservation is threefold. Its benefits are by and large snatched away by the top creamy layer of the backward castes or classes, thus keeping the

weakest among the weak always weak and leaving the fortunate layers to consume the whole cake. As far as creamy layer is concerned, the SCs and STs do not have the creamy layer whereas BCs are having the creamy layer, as mentioned by some of my colleagues. I want to bring to the notice of this august House that if my son competes with an economically backward tribal child, automatically my son gets selected but the poor tribal boy or the poor SC boy does not get selected. I feel that the creamy layer which has been existing in SCs and STs as well as BCs is a hurdle to the development of their own caste people as the entire benefit of reservation is being enjoyed by only two per cent of the SCs and STs. I know certain families in Andhra Pradesh and also in the country as a whole where 11 or 12 IAS officers are there in one family itself because they are the candidates who would be selected. I would request the hon. Minister that all the pros and cons of this should be appropriately considered.

To conclude, I would like to draw the attention of this august House to the economically backward class of people who have been deprived of minimum amenities and educational and social support.

They are the most vulnerable; they have been suffering since Independence; and they have been left out of all welfare measures. If one chunk of the population is left out completely, the country's prosperity will be affected. So, they also have to be taken into consideration. Though Gujarat tried to implement ten per cent reservation for the economically backward, it has been stayed by the hon. Supreme Court's order. I request the Union Government to enact a legislation concerning the extremely backward population considering their pathetic state.

Lastly, as per the amendments passed in the Rajya Sabha, the Government agreed to incorporate a woman member in the rules. It is a welcome step. I wish the NCBC will certainly discharge the duties in an effective manner and provide justice to millions of people across India.

I would like to conclude my speech by quoting Adam Smith. He said:

> "No society can surely be flourishing and happy, of which the far greater part of members are poor and miserable."

With this, I support the Bill. Thank you.

(ends)

1543 बजे

श्री ताम्रध्वज साहू (दुर्ग): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग से संबंधित राष्ट्रीय आयोग के गठन का जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है, जिस पर चर्चा चल रही हैं, इसमें मुझे भाग लेने का अवसर आपने दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े वर्ग की जातियाँ हैं, उनको समुचित अधिकार मिले, इसके लिए यह पिछड़ा वर्ग आयोग स्वीकृत हो जाए, तो पिछड़े वर्ग के लोगों में एक विश्वास पैदा होगा। वे सोचेंगे कि हमें भी अपने अधिकार मिले हैं।

इसमें सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है। शायद माननीय मंत्री जी अपने जवाब में कहेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों के विषय में भी कोई चर्चा हो। यह अभी कहा गया और बाहर भी कहा गया। जब यह बिल इस सदन में पेश किया गया, तो पहले वक्ता के रूप में हमारे दल से श्री राजीव सातव जी ने इसमें भाग लिया। हमारे पहले वक्ता ने कहीं पर भी इस आयोग से संबंधित विधेयक के विरोध में बात नहीं की है। लेकिन, उसके बाद बीजेपी बाहर अपने मंचों से प्रचारित करती रही कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वह यह आयोग नहीं बनने दे रही है, इसका विरोध कर रही है। लेकिन, कहीं भी इस प्रकार की बात हमारे दल के द्वारा नहीं कही गयी है। कांग्रेस पूर्णत: इसका समर्थन करती है। कहीं पर भी हम इसके विरोध में नहीं हैं।

मैं राजनीति से हटकर अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन अभी राजनीति की कुछ बातें आयीं, मैं उनका उल्लेख बाद में करूँगा।

महोदय, सौ वर्ग फीट का दस-बाई-दस का एक स्क्रीन है। आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उसमें एससी, एसटी का आरक्षण 22.5 परसेंट है। सौ वर्ग फीट के दस-बाई-दस के स्क्रीन में 22.5 परसेंट एससी, एसटी का आरक्षण है। शेष 78 परसेंट में ओबीसी वर्ग देखता है कि इसमें हमारा स्थान कहाँ पर है।

(1545/PC/RK)

पूरे भारतवर्ष के अलग-अलग प्रदेशों में ओ.बी.सी. की स्थिति अलग-अलग है। यह कहीं 40 परसेंट, 42 परसेंट, 50 परसेंट, 60 परसेंट और कहीं 69 परसेंट है। कुल मिलाकर औसतन ऐसा माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष में ओ.बी.सी. की जनसंख्या 52 परसेंट है। इस 52 परसेंट के आधार पर हमारे एक साथी यहां बहुत अच्छी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी जितनी संख्या है, उसके अनुसार उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित हो। यह काम उनके लिए होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ बातों के संबंध में आग्रह करना चाहूंगा। इस सरकार को आए हुए चार साल हो गए हैं। अभी यह कहा गया कि कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया, बी.जे.पी. ओ.बी.सी. वर्ग का पूरा समर्थन करती है। जब चुनाव होने में आठ माह का समय बचा है, तब इस आयोग के गठन की प्रक्रिया सामने आ रही है। इस सरकार के बनते ही ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या सही

मायनों में यह सरकार ओ.बी.सी. का आरक्षण कर के उनको सुविधाएं देना चाहती है? कहीं ऐसा न हो कि आयोग का गठन तो हो जाए, लेकिन चुनाव तक भाषण का बाहर यह अंश हो जाए कि हमने इसका गठन किया, हमने आयोग बनाया, पर तेज गति से उस पर काम न हो पाए और ओ.बी.सी. को उनको अधिकार न मिल पाए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस दिशा में तत्काल आगे काम बढ़ना चाहिए।

हमारे वरिष्ठ सांसद महताब जी ने यहां कुछ बातें रखी हैं, जैसे अलग-अलग प्रदेशों में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. की अलग-अलग जातियां हैं, इसका निराकरण हो। मैं इस संबंध में एक और शब्द माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा। एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. में अलग-अलग कास्ट्स जो अलग-अलग प्रदेशों में आती हैं, उनका निराकरण हो।

माननीय मंत्री जी, मैं इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कहूंगा। अगर लड़की ओ.बी.सी. की है और लड़का एस.सी., एस.टी. का है या लड़का ओ.बी.सी. का है और लड़की दूसरी कास्ट की है, तो उनकी आने वाली जनरेशन ओ.बी.सी. में आएगी या किसी अन्य कास्ट में आएगी? इसे भी भविष्य में चर्चा का विषय बनना है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस पर भी अपनी बातों में ध्यान दें। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इस आयोग के पारित होने के बाद तत्काल इसका गठन हो। यह सिर्फ चुनावी जुमला बनकर न रहे। ओ.बी.सी. की टोटल प्रॉब्लम्स और डिमाण्ड्स हैं। ओ.बी.सी. की प्रत्येक राज्य में अलग-अलग परिस्थितियां हैं। प्रत्येक राज्य में उनकी आवश्यकताएं भी अलग-अलग हैं और उनकी मांगें भी अलग-अलग हैं। हर राज्य में

ओ.बी.सी. की अलग-अलग कास्ट की अलग-अलग प्रॉब्लम्स और डिमाण्ड्स पर चर्चा हो और सभी क्षेत्रों में उसके अनुसार उनका निराकरण भी हो।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सभी क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों को उनका समुचित अधिकार मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। सभी क्षेत्रों का मतलब - नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में उन्हें उनके अधिकार मिलने चाहिए। वर्तमान में ओ.बी.सी. पीड़ा के दौर से गुजर रहा है। ओ.बी.सी. मूलभूत अधिकारों से वंचित है। अलग-अलग क्षेत्रों में ओ.बी.सी. की अलग-अलग जातियों की ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ चर्चा कर के उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। हम आयोग बनाकर सिर्फ इतने में ही न रहें। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजों, स्कूलों और सभी अलग-अलग विभागों में जो पद रिक्त हैं, उनके लिए इस ढंग से भरने के लिए विज्ञप्ति निकाली जाती है, ताकि आरक्षण का लाभ ओ.बी.सी. को न मिले। भर्ती के लिए दो पद निकाले जाते हैं, जिनसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। अगर दस पद निकालेंगे, तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसलिए, कॉलेजों और महाविद्यालयों में जो लोग शीर्ष पदों पर बैठे हैं, वे दस पद एक साथ नहीं निकालते, क्योंकि उससे ओ.बी.सी. को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। वे सिर्फ दो पद निकालते हैं, जिससे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस दिशा में भी ध्यान दिया जाए। पढ़ाई, नौकरी और व्यवसाय, हर क्षेत्र में पिछड़े वर्ग को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिले, उनका अधिकार सुनिश्चित किया जाए। हम पिछड़े वर्ग के हित की बात करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, इस पर हमने पिछली बार भी चर्चा की थी। इसके लिए अलग से मंत्रालय

का गठन हो। ओ.बी.सी. 52 प्रतिशत का एक बड़ा वर्ग है। हमने 3 परसेंट और 15 परसेंट के वर्ग के लिए एक मंत्रालय बनाया है। यह बहुत अच्छी बात है कि हम उनको आगे ले जा रहे हैं।

(1550/MM/PS)

बड़े वर्ग के लिए भी एक मंत्रालय बने ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके और उनका संवर्द्धन हो सके। क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने की बात कही गयी। मैं आपसे छात्रवृत्ति बढ़ाने की, कोचिंग की व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्था, विदेशों में छात्रों के अध्ययन करने के लिए आपसे आग्रह करना चाहूंगा। वर्ष 2011 में जातिगत जनगणना को लागू किया गया। उसकी जानकारी को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। मेरा आग्रह है कि उसको सार्वजनिक किया जाए कि इस देश में कौन-कौन सी जाति के लोग कितनी संख्या में हैं, उनका कितना प्रतिशत है और उस आधार पर उनको कितना लाभ मिलना चाहिए? मैं प्राइवेट सेक्टर की बात भी माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर में भी 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होना चाहिए। जाति प्रमाणपत्र बनाने की जो कठिनाइयां हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मंडल कमिशन और काका कालेकर कमिशन की बात आयी थी। काका कालेकर कमिशन का गठन कांग्रेस के समय में हुआ था, जिसको ओबीसी का विरोधी बताया जा रहा था। मंडल कमिशन का गठन हुआ, 11 सिफारिशें दी गयीं, जिसमें से तीन लागू हुईं। अभी यह कहा गया कि 27 परसेंट आरक्षण को बीजेपी ने लागू किया। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब पी०वी० नरसिम्हाराव की सरकार बनी थी तो सरकारी

नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी के लिए लागू किया गया था। यह रिकार्डेड है, मेरी तरफ से कही गयी बात नहीं है। मैं नाम सहित दे रहा हूं कि तत्कालीन समाजिक न्याय मंत्री सीताराम केसरी जी ने ओबीसी से आने वाले वी० राजशेखर जी की प्रथम नियुक्ति मंडल कमिशन की अन्य सिफारिशों को लागू करने के लिए की थी।

महोदय, कांग्रेस कभी भी ओबीसी को अधिकार देने के विरोध में नहीं रही है। हमने समय-समय पर काम किया है और आज भी हम इसका समर्थन करते हैं, विरोध नहीं करते हैं। लेकिन आपसे आग्रह है कि चार साल बाद आपके मन में आयोग गठित करने की बात आयी है, चूंकि प्रधान मंत्री ओबीसी का है और चुनाव के समय में यह कहा जाए कि हमने ओबीसी आयोग का गठन किया, लेकिन ओबीसी के लोगों को इन आठ महीनों में अधिकार न मिले, यह नहीं होना चाहिए। यही मांग करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(इति)

1553 बजे

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज गर्व महसूस कर रहा हूं और मैं पहली बार बताऊंगा कि मैं किस जाति का हूं। मेरे बहुत से मित्र नहीं जानते हैं कि मैं किस जाति का हूं?

महोदय, मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसका दूसरा पैरा पढ़ना चाहता हूं जिसमें लिखा है-

"संविधान 123वां संशोधन विधेयक, 2017 द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338ख अंत:स्थापित करके राष्ट्रीय, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव है। उन्हीं कृत्य, जिसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायत सुनने की शक्ति भी है, वाले संविधान निकाय के रूप में उक्त आयोग के गठन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 1993 अनावश्यक हो जाएगा और इसको निरस्त किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के निरसन का प्रस्ताव है।"

महोदय, मैं यह इसलिए पढ़ रहा था, अभी हमारे मित्र साहू जी भाषण दे रहे थे। मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि कांग्रेस के लिए आज ऐसा दिन है कि वे चाहें तो 70 साल में उन्होंने जो अपराध किए हैं, गलतियां नहीं, उन गलतियों को सुधारने और देश के पिछड़ों से क्षमायाचना करके अपना रास्ता तय करने का दिन है। अगर वास्तव में बधाई देनी है, जैसा मैंने कहा कि मैं अपनी जाति का उल्लेख करना चाहता हूं।

(1555/SJN/RC)

मैं नौवीं लोक सभा में इस संसद का सदस्य बना था। उस समय मंडल कमीशन जोर पर था। मेरी आयु बहुत कम थी। मैं सबसे कम उम्र का सांसद हुआ करता था। उस समय दूरदर्शन चलता था। मेरे आखिरी इंटरव्यू के बाद सरकार गिर गई थी। जब मुझसे मेरी जाति के बारे में पूछा गया तो मैंने बताया कि मेरी जाति लोधी है और यह पिछड़ी जाति में आती है। उस समय क्रीमी लेयर की बात न तो सदन में हुई थी और न ही न्यायालय में हुई थी। उस दौरान मेरे जैसे व्यक्ति ने कहा था कि मैं पिछड़ा नहीं हूं बल्कि मेरी जाति पिछड़ी है और उसे न्याय मिलना चाहिए। यह बहस इस बात पर होनी चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से कहूंगा कि यहां पर *... (Not recorded)* के तीन घंटे के भाषण का रिकार्ड है। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है। उसके बाद भी आप लगातार यह करते रहे। इस सदन में जब यह बिल पास हुआ था, तब राज्य सभा से इसे लौटाने का काम किसने किया? अगर साहू जी उस रिकार्ड को पढ़ लेते तो वह हमारी तरफ उंगलियां नहीं उठाते बल्कि प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते कि वास्तव में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है।

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कूटनीति की बहुत सारी परिभाषाएं मैंने पढ़ी हैं, उसमें मैंने यह भी पढ़ा है कि शाही शान से झूठ बोलना कूटनीति है। मुझे इस बात का अफसोस है कि 70 सालों की गलतियों को स्वीकार करने की बजाय कांग्रेस पार्टी के लोग सदन में जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर सही न बोलने का पाप कर रहे हैं। खड़गे जी हम आपसे भी वही बात कहेंगे। अब आपने बोला है, इसलिए मैं यह आपसे भी पूछता हूं कि 22 मई, 2004 से 26 मई, 2014 तक यू.पी.ए. की सरकार थी। जिस

आयोग को आपने बनाया है उसके पास वर्ष 2005 से लेकर वर्ष 2017 तक 6,833 शिकायतें आई हैं। हम अपने खेत में एक झकोना लगा देते हैं, जो बिजूका कहलाता है, उसको देखकर कोई डर जाए तो डर जाए, लेकिन वह कभी भी असरदार नहीं होता है। इन 6,833 शिकायतों में से एक भी शिकायत की सुनवाई नहीं हुई है। एस.सी. आयोग ने सर्वसम्मति से इंकार करते हुए कहा है कि यह हमारा अधिकार नहीं है और हम कोई भी शिकायत नहीं सुनेंगे।

मैं जब पहली बार संसद का सदस्य बना था, तब से लेकर अब तक मेरी जाति लोधी को महाराष्ट्र राज्य में आइडेन्टिफाइड कॉस्ट का दर्जा नहीं दिया गया था। नियम 377 के अधीन जब मैंने इस विषय को उठाया तो मेरी जाति को पहचान मिली। महाराष्ट्र में लोधियों की कभी रियासतें रही होंगी, उसको कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं माना गया। पूरा समाज लगातार चिल्लाता रहा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आई तब पिछड़ी जाति की सूची की सिफारिश की गई, लेकिन तब आयोग को संवौधानिक अधिकार नहीं था। मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैंने उनके सामने भी आवेदन किया था। उन्होंने बड़ी सरलता से यह बात कही थी, लेकिन आयोग पर किसी का निर्देश नहीं चलता है, वह स्वतंत्र निकाय है। इसलिए आज उसको संवैधानिक दर्जा देने की जो ताकत है, उसका अहसास इस सदन को करना होगा। पूरे देश के पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति इस ताकत का अहसास कर रहा है कि आज वह हमें मिलेगा। आज मैं इस बात पर गर्व महसूस करता हूं कि जो देश भर में पिछड़ा वर्ग है, वह वर्ग 70 वर्षों बाद आज की तारीख को याद रखेगा कि कोशिश की गई थी

मोदी सरकार की तरफ से लेकिन तीसरी बार भी कांग्रेस ने उसका समर्थन करने का जज्बा न दिखाकर उसे रोकने कि कोशिश की।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और यह हमेशा कहता हूं कि पिछड़ों की सिर्फ राजनीति हुई, पिछड़ों के हितों का कभी ख्याल नहीं किया गया। आप इस बात से इंकार नहीं कर सकते हैं। आज जिस ढंग से एस.सी. और एस.टी. आयोग के कामकाज हो रहा है। आज अल्पसंख्यक आयोग है। राज्य सभा से यह प्रस्ताव भेजा गया कि वहां पर अल्पसंख्यक का डायरेक्टर होना चाहिए। उसमें एक महिला भी सदस्य हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। यह तय है कि आपने जो काम किया है, उसके लिए इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपनी बात कहनी चाहिए। महाभारत की एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। भगवान कृष्ण जी की जाति के बारे में मैं नहीं बताउंगा। जब युधिष्ठर राजा बने तब उन्होंने दुर्योधन को अपना कोषाध्यक्ष बनाया। सही गलत में मैं नहीं जाउंगा। लेकिन दुर्योधन ने इस कारण से खजाने को लुटाना शुरू कर दिया। लुटाने के पीछे कारण था कि जितनी जल्दी खजाना खाली हो जाएगा, युधिष्ठर के राज का अपयश उतनी जल्दी बढ़ जाएगा। बाद में जब उन्होंने कृष्ण जी से बताया कि मैंने पूरे खुले मन से खजाना लुटाया है।

(1600/BKS/SNB)

कृष्ण ने सिर्फ इतना कहा था कि तुमने पैसा तो लुटाया, लेकिन तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी। कभी-कभार टुकड़ों में आपने देने की कोशिश की। आपने आयोग बनाया, लेकिन आयोग का अधिकार कहां था। साहू जी भाषण कर रहे थे, आप पिछड़ी जाति से आते हैं। आप जवाब दीजिए, मुझे लगता है कि आप उनकी भी बात करिये, इस देश की आजादी के 70 सालों के बाद आज भी जब घुमंतू जातियों को ...(व्यवधान) मै तीन या चार मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, आपको दोबारा घंटी नहीं बजानी पड़ेगी। मैं आपसे यह कहता हूं कि कम से कम ओडिशा जैसे राज्य, जहां के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया, वे जातियां कौन सी थी, क्या कभी आपने निकालकर देखा? आज भी वे ट्राइबल कास्ट के नाम से जुड़ी हुई हैं और उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव होता है। 70 सालों के बाद भी हम उन्हें निकाल नहीं पाए। क्या गुज्जर हमारे लिए डकैत हैं, क्या हमारे लिए अपराधी हैं, क्या लोधी अपने आपमें ऐसी जातियां नहीं है? इतनी सारी जातियां, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ीं, जो पूरी तरह से योद्धा की तरह लड़ीं, उनको अपराधी करार कर दिया गया। उनको कहा गया कि ये क्रिमिनल कास्ट्स हैं। आप उसको ठीक नहीं कर पाए। उसके अलावा वही जातियां हैं, जो छूआछूत से भले ही पीड़ित न हों, लेकिन आर्थिक रूप से बर्बाद हुईं। जो राजा थे, उनके बच्चों के पास एक डिसिमल जमीन नहीं है। आप कैसे इनकार कर सकते हैं। क्या आपको इन बातों और परिस्थितियों का अंदाजा नहीं है? मैंने आपको महाराष्ट्र का उदाहरण दिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं लोधी जाति से हूं, मेरी जाति पिछड़ी है, लेकिन मैं पिछड़ा नहीं हूं। यह हिम्मत जुटाने का काम हम जैसे लोग कर सकते हैं।

लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको न्याय देने का काम होना चाहिए।, अगर हमारे बीच में कोई समस्या आती है, आज 27 परसेंट का आरक्षण है और 11 प्रतिशत से ज्यादा वे सीटें भरी नहीं जाती। हम पर क्रीमी लेयर लादा गया है। अगर हम 27 परसैंट पूरा कर चुके होते और उसके बाद जो सुविधा लेने वाले लोग हैं, अगर उनको वंचित किया जाता तो मैं कहता कि यह हमारे साथ में न्याय है। हमको आपने पहले से हाथ-पैर बांधकर दौड़ाने की कोशिश की है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो 27 प्रतिशत आरक्षण भरने का तरीका है, उसमें हमें पहली कोशिश यह करनी चाहिए कि 27 परसैंट जब एक्सीड कर जाए, उसके बाद आपको कोई गवर्निंग एक्ट लेकर आना चाहिए। रास्ते निकाले जा सकते हैं, लेकिन मैं आज हृदय से सरकार को धन्यवाद देता हूं। मैं एक पिछड़ी जाति का सदस्य होने के नाते आज गर्व महसूस कर रहा हूं कि हम कहीं रोटेशन कास्ट पालिसी की तरफ न जाएं। जैसे कभी लेख पढ़ते हैं कि किसी जाति विशेष में लाभ ही लाभ मिल जाए, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति ऐसी हो कि कम से कम पिछड़ों का अधिकार मिलते समय कोई दुखी न हो, लेकिन पिछड़ों के बीच से भी कोई ऐसा उपेक्षित न हो कि कहीं रोटेशन पालिसी कास्ट की तरफ हमें फिर से सदन में चर्चा करनी पड़े। ऐसी गलतियां न हों, उनको सुधारने के प्रावधान भी इस क्रियान्वयन में होने चाहिए।

इतना कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, साथ ही आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, श्री थावर चंद जी को बधाई देता हूं। आज 70 सालों की गुलामी को दूर करने के निमित्त आप बने हैं, मैं आपका अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1604 बजे

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। संविधान के 123वें संविधान संशोधन का मैं अपनी समाजवादी पार्टी, अपने आदरणीय नेता जी और पार्टी के अध्यक्ष, आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं। इस देश की आजादी में और आजादी के बाद देश के निर्माण में देश के पिछड़ों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उस समय हमारे नेता आदरणीय राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे – 'संसोपाने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ'। इन भावनाओं के साथ, इन नारों के साथ, समाजवादियों के संघर्ष के साथ काका कालेलकर जी की भी रिपोर्ट आई और जब जनता पार्टी का गठन हुआ तो जनता पार्टी के गठन में मंडल आयोग की सिफारिश लागू कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उस समय के समाजवादियों का था। मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 में आई, यह कहने में हमें संकोच नहीं है कि 1980 से 1989 तक वह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रही और 1989 में जब समाजवादियों की सरकार बनी, जो जनता दल के नाम से दल बना, उस दल में मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई। भारतीय जनता पार्टी के साथी उस मंडल आयोग की सिफारिश का बहुत क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथियों को शायद इतिहास अधूरा पता है। उस समय के जनता दल ने जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू की, जिसको लागू कराने में आदरणीय नेता जी, आदरणीय लालू जी, शरद जी और पासवान जी भी उस समय थे।

(1605/GG/RU)

उनका महत्वपूण योगदान था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस सरकार को गिराने का भी काम किया था। इस सच्चाई को आप नकार नहीं सकते है। मुझे संकोच नहीं है, मण्डल विरोधी कह कर, मण्डल के नाम पर सरकार गिराई गई। जहां तक सवाल है कांग्रेस के साथियों का, इस बात को कहने में मुझे संकोच नहीं है कि आपको भी अपनी गलतियों से सीख लेनी पड़ेगी और उनको सुधारना पड़ेगा। जब सन् 2011 की मई में इसी सदन के अंदर पूरे देश की सभी पार्टियों ने मिल कर जातिगत जनगणना पर चर्चा की थी और सहमति दी थी, उस समय की कांग्रेस की सरकार के लोगों ने पिछड़ों के लिए बायोमैट्रिक डाल दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि सन् 2011 तक किस चीज़ को लेकर आपने बायोमेट्रिक लागू किया था। जब पिछड़ों की बात आती है, तब आपने बायोमेट्रिक लागू किया। लेकिन चूंकि आप लोग बहुत विद्वान लोग हैं, बीजेपी के लोग भी आजकल बहुत टैक्निकल लोग हो गए हैं। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश की सरकार को राय दी है कि आज हिंदुस्तान के हर नागरिक को आपने आधार से जोड़ दिया है, डिजिटल इंडिया बनाने का अपने बहुत प्रयास किया है, आपका बहुत समय नहीं लगेगा, एक-दो महीने से ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप आधार का बेस बना कर जातियों की जनगणना कर लो, दो महीनों से ज्यादा समय नहीं लगेगा। सन् 2014 से 2018 आ गई, जातिगत जनगणना आज तक आपने लागू नहीं की है। आपने पांच हजार करोड़ रुपये खर्च किए, अरविंद पनगढ़िया जी के नेतृत्व में एक समिति बना दी और अरविंद पनगढ़िया जी तो वापस अपनी यूनिवर्सिटी में चले

गए। वह समिति आज तक अपनी सिफारिश नहीं दे पाई और भारत सरकार के खजाने का पांच हज़ार करोड़ रुपये ऐसे ही चले गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है।

मेरी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार नहीं हर मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर सुझाव दिया है कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते हैं, साहू जी ने अच्छा फिगर बनाया था, 100 पर्सेंट का, दस बाई दस का बोर्ड बनाया था, मैं अपनी पार्टी और उसके अध्यक्ष जी की ओर से कहना चाहता हूँ कि आप जातीगत जनगणना कर लो, आधार को बेस बना कर-कर लो और जिसकी जितनी भी संख्या है, उसी अनुपात में उसको आरक्षण दे दो, हमें किसी से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें किसी का अधिकार मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों, आप लोग इस बात के लिए भी तैयार नहीं होंगे। हो सकता है कि कांग्रेस के साथी भी तैयार न हो। मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है। आप भी तैयार नहीं होते और आप भी तैयार नहीं होते। जहां तक बहुत सारे वक्ताओं ने चर्चा की है, मैं उन वक्ताओं से अपने आपको जोड़ना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि सन् 1990 में मण्डल आयोग की सिफारिशें आई, आज जब 28 साल बाद हम देश में मण्डल आयोग पर चर्चा कर रहे हैं, उस समय देश के अंदर सेवाओं में केवल 9 फीसदी लोग ही पहुंचे हैं।

उपाध्यक्ष जी, जहां देश में सबसे बड़े कानून बनते हैं, जहां से देश चलता है, वहां पिछड़ों की हालत क्या है? आज मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे जितनी भी वकालत पिछड़ों की कर लें, आज भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में कैबिनेट स्तर के केवल चार मंत्री ही ओबीसी के हैं। जिनकी तादात आप 54 फीसदी

बताते हैं, जिनकी तादात आप 60 फीसदी बताते हैं, उसमें आपने केवल चार लोगों को इस योग्य समझा कि वे भारत सरकार को चला सकें। प्रधान मंत्री कार्यालय, जो कि इस सरकार में प्रभावशाली भी है, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में बता दें कि प्रधान मंत्री ऑफिस में कितने अधिकारी ओबीसी हैं? कैबिनेट सैक्रेटेरिएट में सचिव स्तर के अधिकारी, जिनको नीति बनानी हैं, कार्यक्रम बनाने हैं, कितने अधिकारी ओबीसी के हैं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय न्यायधीशों में कितने पिछड़े वर्ग से हैं, कितने दलित वर्ग से हैं, कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने अनुसूचित जनजाति के हैं? जरा इस बात का भी आप जवाब दे दीजिए। हमारे पास जितने भी आंकड़े हैं, आपने बहुत राज्य गिनाए, आपने तमाम राज्य गिना दिए कि इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। देश के इतने फीसदी हिस्से पर, 70 फीसदी हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री बने बैठे हैं। आज मैं इस मौके पर पूछना चाहता हूँ कि देश यह भी जानना चाहता है कि उन मुख्य मंत्रियों में कितने मुख्य मंत्री आपने ओबीसी के बनाए हैं। देश आज यह भी जानना चाहता है कि कितने गर्वनर लोग … (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): देश के प्रधान मंत्री ओबीसी हैं।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूं) : आप संख्या बताइए? मंत्री जी जवाब में बता देना। आप यह भी बता देना कि कितने गवर्नर आपने बनाए हैं? आप यह भी बता दें कि देश की जो तमाम संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के मुखिया आपने कितने एस.सी., एस.टी. और ओबीसी के बनाए हैं। केवल वोट की नीयत से, केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल

करने के लिए दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की बात की जाएगी तो समाजवादी लोग कम से कम आपकी बात को जनता के सामने बेनकाब करने का भी काम करेंगे।

(1610/CS/NKL)

माननीय मंत्री जी, मैं आपको मान जाऊँगा, आप इस बात का जवाब दे दो और घोषणा कर दो कि अभी तक देश की सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से जितनी संख्या की कमी है, सबसे पहले हम बैकलॉग को भरेंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। मंत्री जी आप ऐसी घोषणा कर दो तो हम आपको समझेंगे। मंत्री जी, आप इस बात की घोषणा कीजिए। आपने बहुत सारी बातें की हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज ग्रुप-थ्री और ग्रुप-फोर की जितनी सरकारी नौकरियाँ हैं, उनमें ज्यादातर आउटसोर्सिंग हो रही है। उस आउटसोर्सिंग में आज तक आपने आरक्षण लागू क्यों नहीं किया है? मंडल आयोग ने इस बात को कहा था कि जो सरकारी बैंकों के माध्यम से लोग प्राइवेट उद्योग लगा रहे हैं, उन प्राइवेट उद्योगों में भी मंडल आयोग की सिफारिश के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। मंत्री जी, आप जवाब दे दो कि आज तक आपने प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों को आरक्षण देने के लिए विवश किया है।

महोदय, इस बात को सुनकर आपको आश्चर्य होगा, हम इस विषय में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आप घंटी बजा देंगे। अगर आप मुझे कुछ समय और दे दें तो आपकी मेहरबानी होगी। आज पूरे हिन्दुस्तान के अंदर 16,600 असिस्टेंट प्रोफेसर्स में से केवल 1,700 असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी के हैं। एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स में तो एक भी ओबीसी नहीं है। अब मैं नियुक्तियों की बात करना चाहता हूँ। 5 मार्च तक जब तक आपका यूजीसी का सर्कुलर नहीं आया, तब तक कोई भी नौकरी नहीं निकाली

गई। 5 मार्च से लेकर अभी हम 5 अगस्त तक भी नहीं पहुँच पाए हैं, मात्र 5 महीने के अंदर आपने हर विश्वविद्यालय के अंदर नौकरी निकालकर उन नौकरियों को भरने का काम भी कर दिया। यह तो समाजवादियों का दोनों सदनों में संघर्ष था, जिसके कारण आपको रोक लगानी पड़ी। चुनाव नजदीक है, आप पिछड़ा विरोधी का तमगा लेकर चुनाव में नहीं जा सकते थे, इसलिए आपने रोक लगाई है।

माननीय मंत्री जी, अभी भी वह समस्या का अधूरा समाधान है। मैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि उस सर्कुलर को अभी तक आपने वापस नहीं लिया है। आपने केवल नौकरियों पर रोक लगाई है। मैं माँग करता हूँ कि आप अपने उस 5 मार्च के सर्कुलर को, जिसे यूजीसी, एचआरडी मिनिस्ट्री ने लागू किया है, आप उसे ठीक कीजिए। जो आपने 13प्वाइंट रोस्टर बनाया है, आप उस रोस्टर को खत्म कीजिए और जो 200प्वाइंट का रोस्टर बना था, 200 पदों का, उस रोस्टर को आप वापस लागू कीजिए। यह मेरी आपसे माँग है।

महोदय, एक नहीं, हर जगह पर आज एक नई परम्परा शुरू हुई है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओबीसी के 54 फीसदी लोग हैं और मुझे तो यह खबर है कि अगर ये रिपोर्ट लागू कर दें, अगर आप रिपोर्ट सार्वजनिक कर दें तो देश के अंदर 64 फीसदी पिछड़े हैं। यह खबर मेरे पास है। यह खबर मुझे अंदर के अधिकारियों ने दी है, यह बात मैं सदन के अंदर कह रहा हूँ। आप इसे लागू करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आप यह उजागर कीजिए कि पिछड़े लोगों की तादाद क्या है?

महोदय, 13रोस्टर की जगह 200 वाला रोस्टर जारी होना चाहिए। एक और नई गंभीर समस्या आ गई है। देश के अंदर आईएएस, आईपीएस अधिकारियों को कैडर

का एलोकेशन यूपीएससी की रैंक के आधार पर होता था। अभी यह सुनने को मिला है कि आपकी रैंक कोई भी आए, जब तक उनका लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में इंटरनल एसेसमेंट नहीं होगा, तब तक उनके कैडर का एलॉटमेंट नहीं होगा। इंटरनल एसेसमेंट कौन लोग करेंगे, किस आधार पर करेंगे, किस सोच से करेंगे, यह मैंने आपसे अपने वक्तव्य में बता दिया है। जिस तरह की हालत कैबिनेट के अंदर अधिकारियों की है, कैबिनेट में बैठे हुए लोगों की है, उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मंडल आयोग की सिफारिश, मंडल का श्रेय लेने की कोशिश न तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करें और न ही हमारे कांग्रेस के साथी करें। कहीं न कहीं आपने भी लंगड़ी मारी है। पटेल जी कह रहे थे कि हाथ बाँधकर दौड़ में शामिल कर रहे हो, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ।

महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्वाइंट कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्रीमी लेयर को या तो आप खत्म कर दीजिए। यदि खत्म नहीं कर सकते हैं तो क्रीमी लेयर रख लीजिए, हम समाजवादियों को आपत्ति नहीं है, लेकिन यह तय कर दो कि क्रीमी लेयर की वजह से जब ओबीसी के पूरे 27 प्रतिशत पद नहीं भरे जाएंगे, कैंडिडेट्स नहीं मिलेंगे तो उन कैंडिडेट्स की भरपाई आप पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स से ही करोगे। आप यह तय कर दें और क्रीमी लेयर लागू करते रहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह क्या तरीका है कि आप क्रीमी लेयर के माध्यम से पिछड़ों को बाहर कर दें और उसके बाद उनकी जगह अपर कास्ट के लोगों को डाल दें और कह दें कि पिछड़ों के अंदर योग्य कैंडिडेट्स नहीं हैं। धन्यवाद।

(इति)

(1615/RV/KSP)

1615 बजे

श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे (भंडारा-गोंदिया): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: okay.

श्री मधुकरराव यशवंतराव कुकडे (भंडारा-गोंदिया): महोदय, सरकार सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग आयोग का यह जो बिल लाई है, मैं इसका समर्थन करता हूं। ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पूरे देश में जातिगत जनगणना नहीं होने से ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिला है। आज महाराष्ट्र में 27 प्रतिशत आरक्षण की जगह सिर्फ 19 प्रतिशत आरक्षण है। उसमें विभिन्न जातियां समाहित की गयी हैं। ओबीसी को जो न्याय मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओबीसी आरक्षण को सरकार खत्म करने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र में मराठा समाज, धनकड़ समाज और मुस्लिम समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। हमारी यह मांग है कि आप उन्हें आरक्षण दीजिए और उन्हें ओबीसी में रखा जाए। ओबीसी आरक्षण को रखा जाए। उसी तरह, गुजरात में पाटीदार समाज, राजस्थान में जाट समाज को भी आरक्षण दीजिए। पर, ओबीसी के आरक्षण को हाथ लगाने की कोशिश सरकार को नहीं करनी चाहिए। आज महाराष्ट्र में ओबीसी विद्यार्थियों को होस्टल की सुविधा नहीं है। ओबीसी समाज महाराष्ट्र के अन्दर मजदूर समाज है और वह छोटे तबके का समाज है। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, उनके रहने के लिए सरकार को ओबीसी विद्यार्थियों के लिए हर जिले में होस्टल्स का निर्माण

करना चाहिए। पूरे भारत में अगर यह आरक्षण होगा तो फिर ओबीसी के बच्चों को उसका फायदा मिलेगा, उन्हें सुविधाएं मिलेंगी।

महोदय, मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि आप एस.सी./एस.टी. के बच्चों को एम.पी.एस.सी. या यू.पी.एस.सी. की परीक्षाओं को पास कराने के लिए कोचिंग क्लासेज चलाते हैं। पर, ओबीसी के बच्चों के लिए पूरे देश में एक भी ऐसी क्लास नहीं चलाई जाती है। इसका मतलब कि ओबीसी समाज को सरकार राष्ट्रीयता में मानने को तैयार नहीं है, ऐसा मेरा अनुमान है।

आज मेडिकल कॉलेजों के अन्दर ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए था, पर पूरे देश में मात्र दो प्रतिशत आरक्षण देकर ओबीसी समाज को मरने देने का और मारने का काम आपने किया है। इस माध्यम से ओबीसी की बात को दबाने का काम सरकार कर रही है। मैं यह भी चाहता हूं कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मेडिकल कॉलेजों में मिले, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को मेडिकल सुविधा मिल सके, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर जिले में नवोदय विद्यालय हैं। नवोदय विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्रों के टैलेन्टेड बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। पर, वहां ऊंची जाति के लोगों के बच्चों का एडमिशन हो जाता है, पर उसमें ओबीसी आरक्षण न मिलने से आज ग्रामीण क्षेत्रों का टैलेन्टेड बच्चा पिछड़ा हुआ है। उनके विकास के लिए अवसर नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओबीसी समाज में जो क्रीमी लेयर की सीमा है, उसे हटा दीजिए। आज ओबीसी समाज पढ़ा-लिखा नहीं है। उसने आर्थिक-सामाजिक रूप

से प्रगति नहीं की है और वह पैसे वाला नहीं है। फिर भी उसमें क्रीमी लेयर की जो सीमा रखी गयी है, इससे ओबीसी के बच्चों को नौकरी में, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा होती हैं। मेरा सरकार और आयोग से अनुरोध है कि यह जो क्रीमी लेयर की सीमा है, इसे पूरी तरह से रद्द कर दी जाए।

महोदय, महाराष्ट्र के अन्दर चार सालों से सरकार ने नौकरियों में भर्ती नहीं की है। इससे ओबीसी समाज को न्याय नहीं मिला है। उन्हें प्रोमोशन नहीं दिया गया है, जिससे महाराष्ट्र के अन्दर ओबीसी के लोगों के साथ एक तरह से अन्याय हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी को आरक्षण बिल्कुल भी नहीं दिया है। यहां तक कि इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। पर, इसके बावजूद भी उसे महाराष्ट्र सरकार नहीं मानती है। हमारे यहां इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्कॉलरशिप्स न मिलने से बच्चों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी है। सरकार ने स्कॉलरशिप्स नहीं दी। उनका कहना है कि केन्द्र सरकार पैसे नहीं देती है, इसलिए हम आपको पैसे नहीं दे पा रहे हैं। अगर ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप्स नहीं मिलेंगी तो उन बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी और इस तरह यह समाज आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा रह जाएगा। इसलिए मेरी मांग है कि उन्हें स्कॉलरशिप्स दी जाए।

सरकार ने एक से चार कक्षा तक, छः से आठ तक, और नौ से दस कक्षा तक के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप्स के पैसे का प्रावधान रखा है, वह बहुत ही कम है। उन बच्चों को हर माह कम से कम पांच सौ रुपये या एक हजार रुपये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसकी जगह पर आपने उन्हें मात्र पचास रुपये या एक सौ रुपये स्कॉलरशिप दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मात्र एक सौ रुपये की स्कॉलरशिप में ओबीसी का बच्चा कक्षा एक से लेकर दस तक कैसे पढ़ेगा? उसके विकास के लिए उन्हें कम से कम दो हजार रुपये या तीन हजार रुपये हर महीने स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जिससे वह पढ़ सके और आगे विकास कर सके।

महोदय, मैं आपसे यह भी मांग करता हूं कि ओबीसी के कल्याण के लिए शासन को निधि की व्यवस्था करनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी का मंत्रालय मुम्बई में बनाया हुआ है। वैसे ही केन्द्र सरकार भी उनके लिए एक मंत्रालय बनाकर ओबीसी के हितों की रक्षा करे। यह मैं आपसे अनुरोध करता हूं। साथ में, मैं यह भी मांग करता हूं कि ओबीसी के हर बच्चे के लिए सरकार सहकार करे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओबीसी विद्यार्थियों को उम्र में और फीस में सहूलियतें दी जाएं। आज ओबीसी के बच्चों को उम्र रहते हुए भी नौकरी नहीं मिलती है। आज चाहे एम.पी.एस.सी. हो, चाहे यू.पी.एस.सी. की परीक्षा हो, उसमें ओबीसी का बच्चा पास नहीं हो सकता।

इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

(1620/MY/KKD)

1620 बजे

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद उन्होंने इसके लिए प्रयास किया है। वर्ष 1953 में काका कालेलकर कमेटी बनी। वर्ष 1993 में कांग्रेस ने एक अन्य कमेटी गठित की। वह कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हुई थी। वर्ष 2012 में उस कमेटी ने सुझाव दिया था, लेकिन आज तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक लाकर पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम किया है। अभी हमारे मित्र साहू जी कह रहे थे कि कांग्रेस इसे वर्ष 1953 में लाई थी, वर्ष 1993 में लाई और वर्ष 2012 में भी लाई; लेकिन उसका क्या हल निकला? जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी इस बिल को लाये तो कहीं न कहीं उसमें भी अडंगा डालने का काम किया गया। आज यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस बिल को चुनाव के वक्त लाया गया है। हमने इस बिल को बहुत पहले लाया, लेकिन तमाम अडंगाओं के बावजूद आज पुन: इसे लोक सभा में पारित कराने के लिए लाया गया है।

महोदय, श्री धर्मेन्द्र यादव जी बोल रहे थे कि पिछड़े वर्गों को 27 परसेंट का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब पीसीएस तथा पुलिस की भर्ती होती है तो निश्चित तौर से वहां किसी जाति विशेष के लोगों की ही भर्ती

होती है। अगर आप इसको देख लें तो एक जाति/वर्ग विशेष के लोगों की ही भर्ती होती है। वहां भी पिछड़ों के साथ अन्याय होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी कमेटी बनाया और पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है, उनको भी लाभ दिलाने का उन्होंने प्रयास किया है। देश में पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हो रहा था, उनके साथ भी घटना होती थी। हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत-सी ऐसी जातियाँ हैं, जिनकी श्रेणी प्रदेश तथा केन्द्र में अलग-अलग है। जब उनके साथ कहीं पर अन्याय होता था, तो कहीं जाने के लिए उनके पास रास्ता नहीं होता था। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके लिए प्रयास किया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक इस सदन में आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदय, मैं स्वयं पिछड़े समाज से आता हूं और पिछड़े समाज के लोगों की समस्या को जानता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा था कि सबका साथ - सबका विकास। आज वह इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। अगर आप देखें तो इस देश में हमारी सरकारी की जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं – चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो; अगर आप आँख उठाकर देखें तो पता चलेगा कि उन योजनाओं का लाभ 70 प्रतिशत से ज्यादा पिछड़े तथा दलित समाज के लोगों को मिल रहा है। मैं कांग्रेस तथा श्री धर्मेन्द्र यादव जी से पूछना चाहता हूं, जो पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हैं, आज उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आज़ादी के 70 साल के बाद भी पिछड़े

समाज के लोग इतने पिछड़े कैसे रह गए? उनके पास गैस सिलेंडर तथा शौचालय की सुविधा भी नहीं थी।

महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक लाये हैं। मैं एक बार पुन: अपनी तथा अपने सभी पिछड़े समाज के नागरिकों की तरफ से प्रधानमंत्री जी तथा श्री गहलोत जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

(इति)

(1625/CP/RP)

1625 बजे

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): महोदय, 123वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में है। आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसे संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है और इस दर्जे को बेहतर ढंग से बनाना हम सब का फर्ज़ और कर्तव्य है। क्यों हम दलित के सवाल पर, आदिवासी के सवाल पर, पिछड़ों और अति पिछड़ों के सवाल पर हजारों साल से बहस चला रहे हैं? क्यों आजादी के बाद हम बहस चला रहे हैं? हमें रोटी क्यों नहीं मिली? हमें हक क्यों नहीं मिला? हमें योग्यता रहते हुए नौकरी क्यों नहीं मिली, रोजगार क्यों नहीं मिला, अवसर क्यों नहीं मिला? …(व्यवधान) डॉ. राममनोहर लोहिया ने उनके लिए विशेष अवसर और विशेष सुविधा की बात कही थी। …(व्यवधान) हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। अगर बाबा साहेब नहीं होते, तो आज दलित, पिछड़ों को हक और न्याय देने वाला कोई माई का लाल नहीं होता। इसके लिए हम बाबा साहेब को धन्यवाद देते हैं। हजारों साल की गुलामी में हमें पेट से भूखा और दिमाग से गुलाम रखा गया। सत्ता, सम्पत्ति, व्यवस्था पर चन्द लोगों का कब्जा रहा। हम सामाजिक न्याय और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े रहे। आज संवैधानिक दर्जा आया है। हम बाद में उस पर चर्चा करेंगे।

मण्डल कमीशन आया, उसके पहले काका कालेलकर कमीशन आया, मुंगेरीलाल कमीशन आया। हम आदरणीय स्वर्गीय देवीलाल जी को याद करते हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को यादव करते हैं। …(व्यवधान) हम श्री शरद यादव

जी को याद करते हैं। ...(व्यवधान) हम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को याद करते हैं। ...(व्यवधान) यहां माननीय रामविलास पासवान जी बैठे हुए हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक थे।...(व्यवधान) इतिहास के पन्नों में अपना चेहरा झांकना चाहिए। ...(व्यवधान) जब मण्डल कमीशन आया, तो कमण्डल किसने उठाया? जब मण्डल आया, तो कमण्डल चला। उस समय आदरणीय लालू जी ने कहा कि अगर सत्ता और कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तो छोड़ेंगे, लेकिन हम मण्डलवादी ताकतों को परास्त करेंगे और अगर जेल में बंद करना पड़ा तो बंद भी किया और मण्डल कमीशन लागू कराने का काम किया। ...(व्यवधान)

आज की तारीख में जातीय जनगणना कराइए। किस जाति का कितना हक है? हमें कुछ नहीं चाहिए। जातीय जनगणना करा दीजिए कि किस जाति की क्या संख्या है, कौन झोपड़ी में रहते हैं, कौन नौकरी करते हैं, कौन रिक्शा चलाने वाले हैं, कौन ठेले वाले हैं, कौन किसान हैं, कौन लगौनी करता है, कौन डगौनी करता है, कौन ओसौनी करता है, कौन परिश्रम करता है? आपको बैठे हुए हंसी आ रही है। क्या कोई खाते-खाते मरेगा और कोई रोते-रोते मरेगा? ...(व्यवधान) ये दो चीजें नहीं चलेंगी।

आज की तारीख में जो 27 प्रतिशत आरक्षण है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। 27 प्रतिशत आरक्षण जो बी.पी. मण्डल जी ने दिया है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कहीं कोई कारण तो नहीं छिपा हुआ है। अगर कोई कारण छिपा होगा, तो वह सामने आएगा। 27 प्रतिशत आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं और इसमें कोई नई व्यवस्था करके किसी को इनक्लूड करने की साजिश नहीं होनी चाहिए। इस बात को कहना हमारे लिए जरूरी है। विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर

में, एम्स में, आईएएस में, आईपीएस में आज जनरल कोटे में हमारे लोगों को डाल दिया जाता है। हम नौकरी जनरल कोटे में करना चाहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने गालियां सहने का काम किया।

(1630/NK/RCP)

स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जी ने गोलियां खाने का काम किया। जैसे वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम बना था लेकिन उसकी नियमावली वर्ष 1976 में बनी थी। कहीं ऐसा न हो कि इसका भी यही हाल हो जाए, आप अधिनियम बना दीजिए और नियमावली बनाते-बनाते लंबा समय लगा दीजिए। तमिलनाडु और कनार्टक में पचास प्रतिशत से अधिक रिजर्वेशन हुआ है। महात्मा फुले और बी.पी.मंडल जी के नाम पर सार्वजनिक रूप से छुट्टी घोषित की जाए। संविधान बचाओ और जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बचाओ। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी और महात्मा महात्मा फुले को भारत रत्न की उपाधि दी जाए। आज संवैधानिक दर्जा का बिल लाया गया है, इस बिल से पिछड़ों और गरीबों का हक नहीं मारा जाएगा, उनको जरूर न्याय मिलेगा।

(इति)

1631 बजे

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब): उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज बिल को संवैधानिक दर्जा देने के लिए यह बिल आया है। मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज के दिन को ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है। पिछड़े वर्ग के लोगों को आजादी से लेकर आज तक उनके पिछड़ेपन और मजबूरी का मजाक उड़ाया गया है। उनको लॉलीपॉप दिखा कर वोट लेते रहे लेकिन जब इंसाफ देने की बात होती थी तो उनको पीछे रखा जाता था। आज बैकवार्ड क्लॉस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। इसे वही दे सकता है जिसने खुद इस पीड़ा को झेला है। उसी को दर्द होता है, जिसने पीड़ा देखी होती है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी अगर संविधान के निर्माता न होते, तो हो सकता था कि एससी/एसटी के लोगों को जो थोड़ी-बहुत रिजर्वेशन या सहूलियतें मिल पायीं, वह भी न मिल पातीं। उन्होंने दर्द देखा था। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी न होते तो इस कमीशन को संवैधानिक दर्जा न मिलता। आज बहत ही महान और गौरव का दिन है। वर्ष 1953 से जब काका कालेलकर ने कमेटी की अध्यक्षता की, उन्होंने केवल जाति को आधार बनाकर संसद को रिकोमेन्डेशन की। उसके बाद वर्ष1987 में मंडल कमीशन आया। वर्ष 1998 में रिपोर्ट दी और 27 परसेंट रिजर्वेशन का प्रावधान रखा। इंदिरा साहनी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने के बाद वर्ष 1993 में कमीशन बना, वह रिकोमेन्डेशन ही रह जाती क्योंकि इसमें कोई अधिकार नहीं था। संवैधानिक दर्जा न होने के कारण जो होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। यह देश की त्रासदी है।

हमारे संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का सोचना था कि आजादी के संग्राम में देशभक्त भगत सिंह जैसे महान सुरमाओं ने कहा था कि देश की आजादी किसी काम की नहीं होगी जब तक आर्थिक बराबरी नहीं होगी। आर्थिक बराबरी के लिए सारे प्रावधान बनाने की कोशिश की गई, कमीशन बनाए गए, मगर प्रैक्टिकल में वह नहीं हो पाया, जो होना चाहिए था। इसलिए मैं समझता हूं कि इसे संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत है। मैं अपनी पार्टी की ओर से इसका पूरा समर्थन करता हूं। आज जब इस बिल पर चर्चा हो रही है, जब हाऊस में जातिवाद की चर्चा होती है और देश के सामने जातिवाद की बात आती है, तब कई सवाल खड़े हो जाते हैं।

(1635/SK/SMN)

मैं इस बिल से हटकर एक बात कहना चाहता हूं। यहां हर पार्टी के नेता अपनी बात कहते हैं, हर पार्टी के नेता अपना सुझाव देते हैं, यह सच है कि जो कहा गया वह किया नहीं गया। आज भी देश के बहुत से लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, रहने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने को रोटी नहीं है। जो लोग घर बनाते हैं, उनको सड़क पर सोना पड़ता है, जो लोग खेतों में काम करते हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। इस चिंता में देश गुजर रहा है।

1635 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

मैं यही कहना चाहता हूं कि हम अपने देश के संविधान निर्माताओं के लक्ष्य को अगर ईमानदारी से पूरा करना चाहते हैं, यदि आजादी के संग्राम में शहीद लोगों की इच्छा पूरी करना चाहते हैं और देश में आर्थिक बराबरी लाना चाहते हैं तो जातिवाद

खत्म करना होगा। इसमें सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात कही है, मैं समझता हूं कि इसमें इकोनामिकली बैकवर्ड क्लास की बात भी करनी चाहिए।

70 वर्षों से अब तक रिजर्वेशन की बात कही गई है। मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कमीशन बनना चाहिए जो बताए कि 70 वर्षों में कितना फायदा मिला है। इसके साथ यह भी देखे कि जिन्हें फायदा मिलना चाहिए था, वे कैसे वंचित रह गए? इसे देखने के लिए एक कमीशन बनना चाहिए।

अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब है। हम अपने देश की संस्कृति में देखें कि यहां का क्या इतिहास है। जब देश के बहुत से लोगों को बर्तन को हाथ लगाने की आज्ञा नहीं थी, उस समय श्री आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी एक बर्तन में ने सब जातियों के लोगों को अमृत छकाया था, खाना खिलाया था और इस तरह से जातिवाद खत्म करने का संदेश दिया था।

मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियों को अपने देश में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करने के लिए जातिवाद खत्म करके बराबरी का संकल्प लेकर देश को आगे ले जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्लोगन है – सबका साथ, सबका विकास, इसे सही मायने में लागू करने की जरूरत है। (इति)

1637 बजे

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन पहली बार 14 अगस्त, 1993 को हुआ था। गठन के उपरांत आज तक इस आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। हमारे देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोग बहुत ही आशा के साथ देखते रहे कि इस आयोग को कब संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। इस देश में 50 साल शासन करने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने समय-समय पर आयोगों का गठन किया। काका कालेलकर आयोग बना, इसके बाद मंडल कमीशन बना। इस तरह से कमीशन बनाकर पिछड़ों को लालसा देते रहे। पिछड़ा वर्ग हमेशा ठगी का शिकार होता रहा, इसे न्यायिक दर्जा नहीं मिल पाया। समाज में पिछड़े वर्ग के ऐसे लोग हैं जिनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कहीं पर तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी बदतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे संवैधानिक दर्जा देने के लिए जनवरी में पहल की। इससे पहले वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

(1640/MK/MMN)

मैं कांग्रेस पार्टी के अपने साथियों से पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, आप वर्ष 2014 तक सत्ता में रहे, लेकिन आपने उसको संवैधानिक दर्जा क्यों नहीं दिया? जब वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनी, तो देश के यशस्वी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कैबिनेट में लाकर इसे संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया।

बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जब जनवरी में यह बिला आया, तो पूरे हाउस ने एक साथ इसका समर्थन किया। लेकिन आप लोगों ने राज्य सभा में जिस दोहरे चरित्र का प्रदर्शन किया, उसी का परिणाम है कि आज इस हाउस में पुन: यह बिल आया है।

अभी श्री साहू जी कह रहे थे कि हमें शंका है कि आठ महीने में केवल राजनीतिक लाभ के लिए इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात कहते-कहते वोट माँगने का विषय हो जाए। इसलिए मैं श्री साहू जी को कहना चाहता हूँ कि यदि जनवरी में इस बिल को पारित करके इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया होता, तो अब तक करोड़ों बैकवर्ड लोगों को इसका लाभ मिल गया होता, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं। आपने उसे आठ महीने तक रोककर रखा। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति के तहत इस बिल को इस सदन में रखकर आज करोड़ों पिछड़ों को लाभ देने का काम किया गया है। आज देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोग टेलीविज़न के सामने बैठे हैं कि आज वह ऐतिहासिक दिन आने वाला है, जब हमारे समाज के पीड़ित लोग, जिनको हम वह दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, जिनको न्याय नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे लोग लोक सभा की ओर देख रहे हैं कि कब यह बिल पास होगा और उनको लाभ मिलेगा।

मैं बहुत लम्बा समय नहीं लूँगा। समय कम है, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब ये बिल लाये, तो यहाँ पर तमाम चर्चाएँ हुईं। श्री धर्मेन्द्र जी बहुत गंभीरता से बोल रहे थे। मैं उनकी बातें सुन

रहा था। मैं उनकी तमाम बातों से सहमत भी हूँ। आप चले थे, अभी श्री पंकज जी ने एक विषय रखा था, उस विषय को शायद आप नहीं सुन पाए होंगे। उस डिबेट को निकालकर आप देख लीजिएगा। आजादी के पहले भी वर्ष 1902 में कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहूजी महाराज ने भी आरक्षण की आवश्यकता को समझा और उन्होंने वर्ष 1902 में कोल्हापुर एस्टेट में आरक्षण लागू किया। उन्होंने कहा कि ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको आरक्षण की आवश्यकता है। 23 मार्च, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री जी जब इस बिल को कैबिनेट में लाए, तो यहाँ पर हमारे साथियों ने मेज थपथपाकर उसका स्वागत किया था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज यह बिल दुबारा क्यों आया? इस विषय को पिछड़े वर्ग के लोग जानते हैं। हम कांग्रेस के साथियों से कहना चाहते हैं कि हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। पिछड़ा वर्ग अब समझदार हो गया है। वह समझदारी से वोट करना जानता है। इसने वर्ष 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रचण्ड बहुमत दिया और उसके बाद वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक जीत देकर एक यशस्वी सरकार दी है।

मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्रिमीलेयर का विषय है, 27 परसेंट आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिला है। जबकि अभी सर्विस में मात्र 10 से 11 प्रतिशत लोग ही हैं। क्रिमीलेयर का विषय श्री प्रह्लाद पटेल जी ने भी रखा। जब 27 प्रतिशत आरक्षण पूरा हो जाए, उसके बाद क्रिमीलेयर का विषय आना चाहिए। अभी यह आरक्षण पूरा नहीं है, तो क्रिमीलेयर का विषय क्यों आया? मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा, इन्होंने क्रिमीलेयर की सीमा को भी बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने 6 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये की सीमा करने का काम किया। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब आप कम्पलीट कीजिए।

(1645/RPS/VR)

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): अध्यक्ष जी, एक बिन्दु और है। क्रीमी लेयर का विषय खत्म हो गया। …(व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाने का काम किया है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप किसी की बात का जवाब मत दो। Nothing else will go on record.

…(व्यवधान)…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

माननीय अध्यक्ष : उनकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है, आप अपनी बात कहिए। उनको चिल्लाने दो, आदत है, क्या करेंगे।

…(व्यवधान)…(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।)

श्री राजेश वर्मा (सीतापुर): बैकवर्ड क्लास के लिए जो नेशनल कमीशन बना, मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं और सम्मानित मंत्री श्री गहलोत जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने दोबारा यह बिल लाकर करोड़ों पिछड़े लोगों को न्याय देने का विषय यहां रखा है। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में चार लाइनें व्यक्त करना चाहता हूं :

“कर्मशील ईमानदार पीएम का वंदन करता हूं,
उनके माथे सवा अरब जनता का चंदन करता हूं।
है पिछड़ा आयोग बनाया, हक दिलवाया पिछड़ों को,
हर पिछड़े की ओर से मैं पीएम का अभिनन्दन करता हूं।”

बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

1646 बजे

श्री राम कुमार शर्मा (सीतामढ़ी): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनन्दन करता हूं कि एक पिछड़े का बेटा होने के नाते आज उन्होंने करोड़ों पिछड़ों को हक दिलवाने के लिए इस संविधान संशोधन विधेयक को लाने का काम किया है और आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम कि या है। एक कहावत है :

"जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई।"

जो पिछड़ों के दर्द को नहीं समझता था, वह कभी पिछड़ों के हक की बात, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात और उनको सहूलियत देने की बात कैसे कर सकता था? आज यहां बैठे हुए और 55 साल से लगातार सरकार में रहने वाले लोग जब वोट देने का समय आता था, पिछड़े वर्गों के बारे में आयोग बनाने का काम करते थे, लेकिन जब पिछड़ों के हक की बात आती थी तो आयोग की सिफारिशों को उचित सम्मानित ढंग से लागू करने का काम नहीं करते थे। वे ही लोग आज देश में प्रचार करते हैं कि संविधान को बचाना है, पिछड़ा आयोग के माध्यम से पिछड़ों के हक की समाप्ति की बात नरेन्द्र मोदी करते हैं। वे ही लोग आज इस प्रकार का दुष्प्रचार देश में करते हैं। मै ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है, देश के करोड़ों पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में दिवाली रोशन है कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसने वास्तव में पिछड़ों को हक दिलाने के लिए यह आयोग

बनाने का काम किया है। इस आयोग के माध्यम से पिछड़ों के हक और हुकूक की रक्षा होगी और निश्चित रूप से उनको जो हक चाहिए, जो संविधान में वर्णित है, वह प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार का ध्यान मैं इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि आज 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के बावजूद सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 12 प्रतिशत है। इसका कारण है कि क्रीमी लेयर का रोड़ा लगाकर 27 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को पूरा नहीं करने दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और क्रीमी लेयर की सीमा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ताकि पिछड़े वर्गों को जो 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, उसे सही ढंग से लागू किया जा सके। मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में सुनिश्चित किया जाए और इस बात को लेकर कई प्रकार की अनिश्चितताएं हैं कि सामान्य वर्ग में स्थान पाने वाले ओबीसी बच्चे की गणना ओबीसी कोटे में की जाती है। इस कारण से 27 प्रतिशत आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को भी सरकारी संस्थाओं में पूरा नहीं किया जा सका है। यह मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो सामाजिक जनगणना की बात है, उसे निश्चित रूप से सरकार को कराना चाहिए और पिछड़ों के हक के लिए निश्चित रूप से उसे सदन के पटल पर लाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का अपनी ओर से एवं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

1650 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

हमारे देश में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, महिला आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग जैसे तमाम आयोग हैं, लेकिन सारे आयोगों में एक पिछड़ा वर्ग आयोग ही ऐसा है, जिसके पास संवैधानिक शक्तियों का सदैव अभाव रहा है।

(1650/ASA/RBN)

कई वर्षों तक लगातार पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग निरन्तर उठती रही। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। लेकिन जब इस देश के अंदर प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई तो सरकार ने यह बीड़ा उठाया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम पूरा किया जाए। मैं विपक्ष के एक माननीय सदस्य को सुन रही थी। उनके वक्तव्य में मुझे काफी व्याकुलता दिखी। वह बार-बार क्रेडिट की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि क्रेडिट आप मत लो। क्रेडिट हमको मिलना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसी क्रेडिट के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नहीं कर रही है, बल्कि पिछड़ी जातियों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से यह बिल लेकर आई है। …(व्यवधान) सुनिये। सुनने का भी धैर्य रखिये।

माननीय अध्यक्ष महोदया, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल (123वां अमेंडमेंट) बिल लोक सभा में 5 अप्रैल 2017 को प्रस्तुत किया गया और 10 अप्रैल को पारित किया गया। राज्य सभा में जाने के बाद विपक्ष के कुछ साथियों की यह मंशा रही कि इस बिल को लटका दिया जाए और तब यह बिल सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया। सलेक्ट कमेटी की अनुशंसा आने के बाद इसे पुन: राज्य सभा से पारित करवाकर आज लोक सभा में पेश किया गया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि जो विषय उस दौरान उठाये गये, वे इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जिनके कारण इस बिल को लटकाया जाए। चूंकि बहुत सारे साथी ये नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल पारित किया जाए। इसलिए ऐसा इस मंशा के तहत किया गया। ऐसे तमाम विषय जैसे कि राज्य में जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, उनके अधिकारों का क्या होगा? जो राज्यों के अंदर पिछड़ा वर्ग की सूची होती है, इस बिल के पास होने के बाद उसका स्टेटस क्या होगा? राज्यपाल से राष्ट्रपति मशविरा लेंगे तो राज्य सरकारों से मशविरा लिया जाएगा या नहीं, ऐसे तमाम विषयों को उठाया गया। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि मंडल कमीशन में जो 11 इंडीकेटर्स दिये गये हैं, उनके आधार पर ही जो सेन्ट्रल ओबीसी लिस्ट है, उसमें किसी भी जाति को शामिल किया जाएगा या उससे बाहर किया जाएगा। चूंकि यह बिल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है, इसलिए राज्यों के पिछड़ा वर्ग आयोगों की शक्तियों और अधिकारों पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार का स्पष्ट मत है कि जब इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, तो जितने भी तमाम सामाजिक-आर्थिक विकास के कार्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए किये

जाते हैं, उनकी बेहतर निगरानी संभव होगी। आज ऐसे तमाम सरकारी विभाग हैं जहां ओबीसी के नोडल अधिकारी तक नियुक्त नहीं हो पाये हैं।

यह चिन्ता का विषय है कि ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की दशा देखने लायक है। शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था का पालन नहीं हो पा रहा है। सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की नियुक्ति में जो 27 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है, उसके अनुपालन में भी समस्या आ रही है। हमारे लोक तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तम्भ जो न्यायपालिका है, विशेषकर जो हमारी उच्च न्यायपालिका और उच्चतम न्यायपालिका है, उसमें भी ओबीसी और एससीएसटी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। जातीय जनगणना 2011 के आंकड़े जारी न होने के कारण आज यह स्पष्ट नहीं है कि ओबीसी की संख्या कितनी है? सबसे बड़ी बात यह है कि ओबीसी की जितनी आबादी है, जो 60 प्रतिशत के लगभग है, लेकिन उन्हें आरक्षण केवल 27 प्रतिशत मुहैया कराया जाता है और वह भी पूरी तरीके से लागू नहीं है। इन तमाम विषयों और समस्याओं का अगर हमें समाधान करना है तो हमें एक मजबूत फोरम की आवश्यकता है और वह फोरम इस आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद ही मिलेगा और यह काम हमारी सरकार करने जा रही है। माननीय राष्ट्रपति जी से मशविरा लेने का जहां तक प्रश्न उठाया गया था, उस पर भी मैं कहना चाहती हूं कि इसका तात्पर्य यह कतई नहीं है कि राज्य सरकारों से इसमें कंसलटेशन नहीं किया जाएगा। Clause 1 of Articles 154 and 163 makes it clear by saying, ‘the Governor shall act on the advice of Council of Ministers and shall

exercise his authority either directly or indirectly through the Office of respective State Governments.'

व्यावहारिकता में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि राज्य सरकारों से कंसलटेशन नहीं किया जाए या उन्हें उसके बाहर रखा जाए। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि पूरे देश की पिछड़ी जातियों के लिए आज उनके लिए ऐतिहासिक दिन है। मैं स्वयं पिछड़ी जाति में जन्मी हूं। मुझे भी इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह बिल पारित हो और मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया। बात तो पिछड़ों की बहुतों ने की लेकिन इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का बिल कोई लेकर नहीं आया। लाने का काम सिर्फ प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसलिए मैं उनको अपनी पार्टी अपना दल की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं और माननीय मंत्री जी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं।

(इति)

(1655/RAJ/SM)

1655 बजे

श्री राम टहल चौधरी (राँची): अध्यक्ष महोदया, आज पिछड़े वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बिल आया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश के गरीब एवं पिछड़ों के मसीहा प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। आज 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। हम सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश के प्रधान मंत्री, आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के कारण पिछड़े वर्गों के आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है और पिछड़ों के साथ न्याय हुआ है। इसलिए मैं सभी पिछड़े वर्गों और अपनी ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं। देश के अन्य पिछड़े वर्गों के सर्वांगिण विकास के लिए प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार सदैव कटिबद्ध रही है। सदन के पूर्व सत्र के दौरान पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय आयोग विधेयक को पास किया गया था। जब इसे लोक सभा में विचार-विमर्श के लिए रखा गया था, तो विपक्ष पर्दे के पीछे यह विधेयक पास न हो सके, इसके लिए हथकंडे अपना रही थी। राज्य सभा द्वारा इस विधेयक को लौटाने के बाद, वर्तमान सरकार ने इसमें नौ से ज्यादा प्रस्ताव दिए हैं, जो पिछड़े वर्ग के विकास की दिशा में मजबूती प्रदान करते हैं। देश में 50 प्रतिशत से अधिक पिछड़े वर्ग हैं, उनकी ओर से मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं। इस सरकार ने देश के अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए बड़े उत्साह से काम किए हैं। अन्य पिछड़े वर्गों को सुरक्षा देने वाले आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने हेतु, राज्य सभा के अनुरोध पर यह सदन पुनर्विचार कर रहा है। यह इस बात का सबूत है कि सरकार

पिछड़े वर्गों के विकास के लिए बढ़-चढ़ कर काम कर रही है। देश में अन्य पिछड़े वर्ग के लोग 50 प्रतिशत से अधिक हैं, हालांकि कई संस्थाएं 52 प्रतिशत का भी दावा करती हैं। 31 दिसम्बर, 1913 के अनुसार देश के रोजगार कार्यालयों, पिछड़े वर्ग के बेरोजगार स्नातकों की संख्या 14.27 लाख थी। यह जनसंख्या और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि रोजगार केन्द्रों में सभी लोग नाम दर्ज नहीं कराते हैं। सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत के अलावा अन्य पिछड़े के एनजीओ के माध्यम से सहायता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के वित्त एवं विकास निगम उद्योग हेतु ऋण देना, इसके अलावा उनके शिक्षा विकास में कई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती रही है। साथ ही, सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा में अध्ययन हेतु विदेशों में जाने के लिए ऋण-ब्याज में सब्सिडी दिए जाने हेतु, डॉ. अम्बेडकर योजना चलाई है। यह वर्ग अधिकतर भारत के परंपरावादी कामकाज में कार्यरत है। यह आवश्यकता है कि उनका कौशल विकास किया जाए और आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए। साथ ही, ओबीसी की जनसंख्या के हिसाब से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत छ: एवं सात कर्मियों की एक ही यूनिट है। इसके लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि ओबीसी के लिए अलग से ओबीसी कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाए एवं यह आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की तर्ज पर बनाई जाए। साथ ही साथ, सदन के माधम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे गृह राज्य झारखंड में ओबीसी वर्ग के युवाओं को ओबीसी का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कई कठिनाइयां आ रही है। ओबीसी प्रमाण-पत्र जारी करने में कई महीने लग जाते हैं। झारखंड प्रदेश में ओबीसी को प्रमाण पत्र का हर साल नवीकरण किए जाने का नियम बना हुआ है। इसके कारण युवाओं को हर साल ओबीसी का प्रमाण पत्र नवीकरण कराना पड़ता है। ओबीसी के छात्रों को छात्रवृति के लिए हर साल प्रमाण पत्र का नवीकरण कराना पड़ता है।

(1700/IND/AK)

पिछड़ा वर्ग आयोग के राष्ट्रीय आयोग बनने के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की तरह संवैधानिक अधिकार होंगे, जिसके लिए माननीय राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेंगे। आयोग अपनी प्रक्रिया द्वारा संबंधित लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए काम करेगा। उसे ओबीसी के कल्याण तथा आरक्षण संबंधी मोनिटरिंग करने का अधिकार होगा।

महोदया, जब झारखंड बिहार का हिस्सा था, तब 27 परसेंट ओबीसी का आरक्षण था। झारखंड बनने के बाद उसे 14 परसेंट कर दिया गया है। इसमें पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को, जिसमें अति पिछड़े वर्ग का 18 परसेंट आरक्षण था, जबकि वहां पचास परसेंट से ज्यादा इनकी आबादी है। वहां अधिकारी पिछड़े वर्ग के सर्टीफिकेट का हर साल नवीनीकरण करते हैं। उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि जाति बदलती नहीं है। वहां जेपीएससी में बीडीओ, सीओ आदि की उम्र सामान्य जाति से अधिक रखी जाती है ताकि वे उसमें भाग न ले सकें। इसमें भी सुधार की जरूरत है। छोटा नागपुर की कुडमीज जाति 1950 तक आदिवासी सूची में थी, उसके बाद उन्हें किसी षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे और उन्हें पहले की तरह का ही दर्जा दिया जाना चाहिए।

(इति)

1702 बजे

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे 123वें संविधान संशोधन विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया है। आज सरकार बहुत जरूरी कदम उठाने जा रही है और लगभग ढाई साल से यह बिल पेंडिंग पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था कि एनसीबीसी बनाई जाए। उस समय एनसीएससी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह एनसीबीसी के कार्य को देखने का काम करे। मैं सरकार के इस कदम की सराहना करता हूं कि आज सरकार जागी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आज जब आप यह कदम उठा रहे हैं, तो आपको इसकी असली जरूरत का भी पता होगा। मंत्री जी से जब पूछा गया कि क्या आपके पास बैकवर्ड क्लासेज और अदर बैकवर्ड क्लासेज का कोई डेटा उपलब्ध है, तो मंत्री जी ने इसी सदन में 31 जुलाई, 2018 को जवाब दिया कि

> "No data regarding socially and economically backward classes is available. The Registrar General of India has intimated that it conducts decadal population Census, wherein data is collected on all persons living in India".

जब मंत्री जी के पास डेटा उपलब्ध नहीं है, तो आने वाले समय में इस आयोग की क्या कार्यकारी रहेगी, इस बारे में विचार-विमर्श करने का काम कीजिए। आप जो एनसीबीसी बनाने जा रहे हैं, उसके पास कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है। जब हम उन्हें डेटा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं और एनसीबीसी एक्शन लेती है, जब कम्प्लेनेंट द्वारा डेटा उपलब्ध कराया जाता है। इसका असर यह देखने को मिलता है कि देश में कई

बैकवर्ड क्लासेज और अदर बैकवर्ड क्लासेज में कई ऐसी जातियां हैं जो एक प्रदेश में तो बैकवर्ड या अदर बैकवर्ड क्लास में आती है, लेकिन दूसरे प्रदेश में नहीं आती हैं। क्या देश में समानता लाने का काम किया जाएगा? आज महाराष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा है। हमने आंध्र प्रदेश में आंदोलन देखा था। हमने वेस्ट बंगाल के उत्तरी पार्ट में आंदोलन देखा था। मंत्री जी हरियाणा से है, वर्ष 2016 में उन्होंने हरियाणा के भी हालात देखे होंगे, जहां आज के दिन भी अपने अधिकारों के लिए निकले बच्चों के ऊपर आपने सीबीआई की तलवारें लटका रखी हैं। आधे लोग कोर्ट के धक्के खा रहे हैं और आधे जेलों में सड़ हैं। जब हम कमीशन बनाने की बात करते हैं तो सरकार को जरूर विचार करना चाहिए कि उस कमीशन के अंदर इस बिल की डेफिनेशन कहती है कि

> "Backward classes are those, which are not represented equally in Centre and State."

जब हम देश की बात कर रहे हैं तो हमें इन्हें समानता से रिप्रेजेंटेशन देने की भी बात करनी चाहिए। हम एनसीबीसी बनाने की बात कर रहे हैं। उन्हें सिविल कोर्ट्स के बराबर के अधिकार देने का काम करें। जब एनसीएससी की बात कही जाती है, पावर्स ज्यादा हो जाती हैं फिर उन पावर्स को हम धीरे-धीरे लिमिटाइज करने का काम करते हैं। इस संविधान संशोधन के बाद जब अथॉरिटी देने का काम करेंगे, तो उन्हें इस विचार से दीजिएगा कि रोजगार के अधिकार के लिए भी युवा अपनी बात को रखने का काम कर पाएं। सरकार द्वारा निरंतर प्रदेशों से सूची बना कर केंद्र को भेज दी गई कि इन

जातियों को भी हम रिप्रेजेंटेशन दें। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने कल ही फैसला लेने की बात कही है कि हम केंद्र को लिखेंगे कि “मराठा” को भी बैकवर्ड जाति में रखा जाए। हरियाणा ने छह जातियों - जाट, बिश्नोई, रोड़, त्यागी आदि जातियों को बैकवर्ड जातियों में रखने की बात कही है। आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि कापू जाति इसकी मांग कर रहे हैं। सरकार को भी इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि इस कमीशन को यह ताकत दी जाए कि वह समानता के तौर पर सारी जातियों को प्रॉपर प्रेजेंटेशन इस कमीशन के माध्यम से बैकवर्ड क्लासेज में दे। अगर हमें और कानूनी प्रावधान लेकर आने हैं, जिसके अंदर शायद हमें इसका स्ट्रक्चर बढ़ा करना पड़े और 27 परसेंट से ज्यादा बढ़ाना पड़े, तो यह सदन जरूर इसी तरह आपके साथ खड़ा रहेगा। आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं।

(इति)

(1705/vb/rsg)

1705 बजे

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे अति महत्त्वपूर्ण संविधान (123वाँ) संशोधन विधेयक, 2017 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं अपनी पार्टी जनता दल (यू), अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तथा अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ।

सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की कई धाराओं में संशोधन कर रही है और एक नया अनुच्छेद 338(ख) को इसमें जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव है।

पिछड़ा वर्ग आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। कोई भी सरकार हो, इसमें अनुचित छेड़छाड़ घातक सिद्ध होगी। अत: पिछड़ों को आरक्षण से रोकना या बाधा पहुँचाना कोई नहीं चाहेगा।

माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से आते हैं और वे पिछड़ों में अति पिछड़े वर्ग, जो आरक्षण का समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं, के लिए विशेष ध्यान देने जा रहे हैं। यह एक सराहनीय कदम है।

पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की शुरुआत हमारे जननायक नेता श्री कर्पूरी ठाकुर जी की देन है। बिहार में सर्वप्रथम पिछड़ों को आरक्षण, जिस मुंगेरी लाल आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था, उसका गठन वर्ष 1971 में कर्पूरी ठाकुर सरकार ने ही किया

था। वर्ष 1978 में जब बिहार की कर्पूरी ठाकुर सरकार ने राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए 26 प्रतिशत आरक्षण लागू किया, तो उसके प्रति कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था। कांग्रेस ने स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद वर्ष 1950 के दशक में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ों की हालत पर विचार के लिए काका कालेलकर आयोग का गठन जरूर किया, लेकिन जब इस आयोग ने पिछड़ों के लिए नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की, तो नेहरू जी की सरकार ने यह कहते हुए उसे खारिज़ कर दिया था कि खुद कालेलकर की इसमें विपरीत टिप्पणियाँ हैं।

इसके बाद प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को यह चिट्ठी भी लिखी कि मैं जाति के आधार पर आरक्षण के खिलाफ हूँ। यह चिट्ठी संविधान के अनुच्छेद 340 की मंशा के खिलाफ थी। कांग्रेस का ओबीसी आरक्षण विरोधी रुख ऐसे हावी था कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में जब-जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो पिछड़े वर्गों को मुख्यमंत्री पद पर नहीं बिठाया गया, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं सौंपी गई।

अगर कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे बढ़ाया होता, तो ओबीसी वर्ग का अधिक कल्याण होता और आज जो पिछड़ापन है, वह नहीं होता। ओबीसी आरक्षण लागू हुए 25 वर्ष हो गये हैं परन्तु केन्द्रीय सेवाओं में इस कोटे की महज 11 फीसदी सीटें ही भर पाई हैं।

बात यहीं नहीं रुकी। कांग्रेस ने काका कालेलकर आयोग के बाद कोई आयोग भी नहीं बनाया। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गठित पहली जनता पार्टी की सरकार ने

वी.पी. मंडल के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। इस आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे कभी लागू नहीं किया।

(1710/PC/KMR)

इस आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी उसे लागू नहीं किया। जबकि मंडल आयोग पर कांग्रेस शासन में संसद में तीन बार चर्चाएं हुईं, लेकिन हर बार यही कहा गया कि आयोग को लागू नहीं किया जा सकता।

माननीय अध्यक्ष : अब आप कंप्लीट कीजिए।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : इसके बाद वर्ष 1990 में वी.पी. सिंह की जनता दल की सरकार ने केंद्र सेवा की नौकरियों में 27 फीसदी आरक्षण लागू किया, तब भी …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) इस आरक्षण के खिलाफ लोक सभा में तीन घंटे तक बोले और समूची मण्डल रिपोर्ट को खारिज करने की कोशिश की। कुछ लोगों का कहना है कि सितम्बर, 1990 में जब कांग्रेस कार्य समिति की साझा बैठक हुई, तो वहां भी …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) ओ.बी.सी. के विरोध में थे। अत: यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी ओ.बी.सी. विरोधी है।

माननीय अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदया, मुझे दो मिनट दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : अब दो मिनट का समय नहीं, आप दो वाक्य में अपनी बात कंप्लीट कीजिए।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : अध्यक्ष महोदया, अनुसूचित जाति/जनजाति को बैकलॉग का लाभ दिया जा रहा है। उसी प्रकार ओ.बी.सी. को भी बैकलॉग का लाभ मिलना

चाहिए, हम यह मांग करते हैं। पदोन्नति में जिस प्रकार अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण का लाभ मिलता है, उसी प्रकार ओ.बी.सी. को भी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। पिछड़ी जातियों में 60 फीसदी जातियां ऐसी हैं, जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अनुसूचित जाति/जनजाति से भी दयनीय है। उसके लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : रोड़मल नागर जी।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया) : महोदया, इस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए, ताकि पिछड़े समाज के योग्य एवं दक्ष व्यक्ति इससे वंचित न रहें। मैं अंत में आदरणीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।

(इति)

1718 बजे

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, आपने एक बहुत ही लोक महत्व के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदया, आज इस समय पूरे देश भर में हजारों लाखों ही नहीं, करोड़ों दबे, कुचले सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोग आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देने के लिए खड़े हैं। समाज के छोटे-छोटे पिछड़े गरीब जैसे अहिर, गुर्जर, दांगी, सोधिया, धाकड़, लोधी, किरार, कुम्हार, राठौर, पटेल, पाटीदार, कुर्मी, पवार, दर्जी, नाई और ऐसी कई जातियां अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर आशन्वित खड़ी हैं। महोदया, देश की 52 प्रतिशत से ज्यादा आबादी के पिछड़े वर्ग आयोग को पहली बार संवैधानिक दर्जा देने के लिए मैं सरकार के प्रयासों को धन्यवाद देता हूं। इसके बाद पिछड़े वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा, उससे गरीब, मजदूर, किसान, खोमचे, ठेला, पान और चाय वाले आदि गरीब लोग, जो गरीबी एवं अशिक्षा में अपना सामाजिक जीवन यापन करते हैं, ऐसी देश की आधी से ज्यादा आबादी के जीवन में उत्साह और खुशहाली की चमक आएगी।

महोदया, संविधान के 123वां संशोधन विधेयक द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, सिविल न्यायालय के अधिकार और पिछड़े वर्ग की समस्याएं सुनने का अधिकार दिया जा रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह एक स्थाई आयोग है। हमें यह देखने में आया हे कि कई संस्थानों में शिक्षा एवं रोजगार हेतु पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा जो 27 प्रतिशत आरक्षण लागू है, उन्हें उसका भी

पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा था। गठित किए जा रहे आयोग के हस्तक्षेप/कार्यवाही द्वारा उक्त स्थिति में निश्चित ही सुधार होगा।

महोदया, इस विधेयक द्वारा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। केंद्रीय सूची में पिछड़ी जाति के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग या जाति को सम्मिलित करने और अगर वर्तमान सूची में है, तो उसे बाहर करने की प्रक्रिया में पहली बार संसद को प्रमुख भूमिका में रखा गया है। संसद को निर्णायक भूमिका में रखने का यह कदम अत्यंत साहसिक है। इसके द्वारा आरक्षण में सम्मिलित विभिन्न वर्ग एवं इससे प्राप्त लाभों पर सजीव चर्चा संभव हो सकेगी।

महोदया, वर्तमान में आरक्षण का लाभ उचित वग/वंचित वर्ग के लोग नहीं ले पाते हैं। आरक्षण वर्गीकरण से अति पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को सही न्याय मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़) : महोदया, इस आयोग के गठन से मेरी समझ में आर्थिक आधार पर आरक्षण के विचार की दिशा को भी बल मिलेगा तथा देश के समस्त वंचित नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

मैं यह आशा करता हूं कि आयोग अपने उद्देश्यों में संपूर्ण सफलता प्राप्त करेगा तथा देश के नागरिकों को सशक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।

"राष्ट्र शक्ति के रूप को देखो, अब हो रहा सवेरा है,

चलो जलाएं दीप वहां, जहां अभी भी अंधेरा है।''

इसके साथ ही मैं इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर।

(1715/MM/GM)

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Hon. Speaker Madam, this Bill is a good move. But at the same time, certain anxieties will have to be addressed properly. My first point is that currently the Bill specifies that the National Commission for Backward Castes will have five Members but the eligibility criteria for these five Members has not been specified. Similarly, the Select Committee also had a discussion and they have also suggested that the socially and educationally backward classes are to be given due representation in this. The National Commission also recommended that out of five Members, one should be a woman.

Another important thing which I would like to add is that there is an effort to encroach upon the rights of the States. While identifying the backward classes, it should be mandatory to accept the recommendations of the States. Now, States are having that power. It should not be taken away and that is the most important thing because only the State Government knows the ground realities, regional imbalance and all kinds of things.

I would like to raise one more point. We have to be very conscious on this. There is a demand going on in different parts of

India to enter into this list. I would like to say that we should not give backdoor entry to this kind of political pressure. It should be on the basis of merit. Vote bank politics should not be played in this.

I would like to add one more thing. We are all talking about backwardness. There are many Commissions, recommendations of Sachar Committee and many other Committees. Unfortunately, the situation of backward classes has gone from bad to worse. We have to consider that also. Similarly, with regard to Socio-economic Caste Census 2011, what happened to that? I would like to say that the recommendations are there, findings are there; but what about the implementation? So, what I am saying is that there should be an action plan on the basis of Socio-economic Caste Census 2011.

I have to say one more thing with regard to reservation. There is a move to curb the reservation. We are all talking about affirmative action. Affirmative action is only reservation. I would like to appeal that reservation should continue unhampered. With these words, I conclude.

(ends)

1718 बजे

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदया, मैं भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज एक ऐतिहासिक कदम हम उठाने जा रहे हैं। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक किसी ने भी ओबीसी कमिशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने के खिलाफ बातें नहीं कही हैं। मैं किसी प्रकार के क्रिटीसीज़म में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। मैं चाहता हूं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारा काम हो। सभी साथियों ने काका कालेकर कमिशन के बारे में कहा है। काका कालेकर कमिशन बना, लेकिन उसकी रिपोर्ट को डस्टबिन में फेंक दिया गया। वर्ष 1978 में मुरारजी भाई की जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। हम लोग उस समय में थे। उन्होंने वी०पी० मण्डल की अध्यक्षता में कमेटी बनायी, जिसका नाम मण्डल कमिशन रखा गया। मण्डल कमिशन ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश कर दी। हम लोग जिस समाज से आते हैं और मैंने हमेशा कहा है कि जब तक दलित की बात पिछड़ा नहीं करेगा, पिछड़ी जाति की बात ऊंची जाति का नहीं करेगा, ऊंची जाति की बात पिछड़ी जाति का नहीं करेगा, हिन्दू की बात मुसलमान नहीं करेगा, मुसलमान की बात हिन्दू नहीं करेगा तब तक देश एक नहीं हो सकता है।

(1720/SJN/RSG)

हम लोगों ने उस मामले को उठाया था। जैसे मुलायम सिंह यादव जी और लालू जी ने कहा था, यह सबसे खुशी की बात थी कि मधु दंडवते जी यहां थे, मामा बालेश्वर दयाल जी थे, एस.एम. जोशी जी थे, ये सारे के सारे ऊंची जाति के लोग थे। हम सब लोगों ने मिलकर इसी सदन में मंडल कमीशन के संबंध में 14 घंटे की डिबेट करायी थी। उस समय बलराम जाखड़ जी स्पीकर के पद पर थे। उस समय हम लोग बहुत यंग थे। थोड़ा-बहुत तीखा भाषण होता था। उसका नतीजा यह हुआ कि मंडल कमीशन ने पूरे देश में एक आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया। करीब-करीब सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने मंडल कमीशन लागू हो, इसके लिए समर्थन देना शुरू किया। 19 वर्षों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट धूल चाटती रही। जब वर्ष 1989 में वी. पी. सिंह जी की सरकार बनी, उस समय मेरे पास कल्याण मंत्रालय था और कल्याण मंत्रालय में उस समय छः विभाग एस.सी., एस.टी, बी.सी., माइनोरिटी, वूमैन, चिल्ड्रेन और लेबर थे। वी. पी. सिंह जी की सरकार को मात्र एक साल का ही समय मिला था। उसके बाद हम लोगों ने एक-एक करके काम करना शुरू किया था। एक बार पार्लियामेंट में मुझसे कहा गया कि रामविलास जी आप इतना फास्ट क्यों चल रहे हैं। उस पर मैंने कहा था कि हम कोई फाइव डेज मैच खेलने के लिए नहीं आए हैं। यह टेस्ट मैच नहीं है, वन डे मैच है और वन डे मैच में हम विकेट बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन रन बनाएंगे, फिर चाहे विकेट भले ही गिर जाए। साल भर में विकेट मंडल कमीशन में आकर गिर गयी। बाबा साहब अंबेडकर ने जो किया वही काम आज मोदी जी भी कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एस.सी., एस.टी. से शुरू किया और उसके बाद मंडल

कमीशन लागू हुआ। तब हमने देखा कि पूरे देश में तहलका मच गया। अभी हमारे कुछ साथियों ने जातियों की बात की है। काका कालेलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 2900 जातियों को पिछड़ी जाति और मंडल कमीशन ने 3900 जातियों को पिछड़ी जाति कहा था। यह मामला तब सुप्रीम कोर्ट में गया। हमें यह नहीं कहना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स में एक से एक अच्छे लोग हैं। हमारे सेक्रेट्री थे, यहां उनका नाम नहीं लेना चाहिए, आप एक्सपंज करेंगे कि नहीं करेंगे, पी.एस. कृष्णनन जी थे, वह जाति के ब्राह्मण थे और अभी भी हैं। वह हमारे सेक्रेट्री थे, शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड्स और माइनोरिटी के लिए डेडिकेटेड थे। सोलीसोराब जी सॉलिसीटर जनरल थे, वे एक दिन मेरे निवास 12, जनपथ में आए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा- क्या? उन्होंने कहा- यह मंडल कमीशन तो अन-कांस्टीट्यूशनल हो जाएगा। हमने कहा- क्यों? उन्होंने बोला कि काका कालेलकर कमीशन ने 29 सौ जातियों के बारे में कहा है और मंडल कमीशन ने 39 सौ जातियों के बारे में कहा है तो, कोर्ट कहेगी कि एक कमिशन 29 जातियों के बारे में कहता है और दूसरा कमीशन 39 सौ जातियों के बारे में कहता है, इसलिए तीसरा कमीशन बनाओ। हमने कहा कि हम लोगों ने इसमें एक नया रास्ता निकाला है। जिस स्टेट में बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट है और जो मंडल कमीशन में है, तो जो कॉमन लिस्ट रहेगी, उन्हीं को हम पिछड़ी जाति में रख रहे हैं। शेष जातियों के लिए कमीशन बनाएंगे।

अभी हमारे एक साथी ने कहा, जैसे यादव है, यह बिहार में बैकवर्ड में था, उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड में था, हरियाणा में बैकवर्ड में नहीं था, इसलिए इसे मंडल में नहीं जोड़ा गया।

अभी हमारे एक साथी ने ब्राह्मण के संबंध में भी कहा। मंडल कमिशन में आप देखेंगे, काफी ब्राह्मण हैं- कर्नाटक में स्नामिका, दयबा, बुरूजवि और केरल में राजपुरुषार्थक ब्राह्मण, तमिलनाडु में बेसवन ब्राह्मण, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मराति ब्राह्मण है। इस प्रकार से, जो सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स हैं, उनका एक पैरामीटर बनाया गया है।

(1725/BKS/RK)

उसके मुताबिक मंडल कमीशन कोर्ट में जायज हो गया। मंडल कमीशन बनने के बाद क्या हुआ कि लोग कोर्ट में चले गए। 2 नवम्बर, 1992 को कोर्ट ने जजमैंट दिया और जजमैंट में कोर्ट ने एक तरफ कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं रहेगा और दूसरा उन्होंने कहा कि ओबीसी कमीशन बनाओ। कोर्ट के आदेश के मुताबिक संविधान की धारा 340 के अंतर्गत 14 अगस्त,1993 को ओबीसी कमीशन बनाया गया। कमीशन तो बन गया, लेकिन बिना दांत का कमीशन बना। उसके पास कोई अधिकार नहीं दिया गया। हम इस सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, यह हकीकत की बात है कि जब मोदी जी की सरकार आई है तो मोदी जी की सरकार ने संविधान में उनको संवैधानिक अधिकार मिले, इसके लिए पहल की। पार्लियामैंट में कांस्टीट्यूशन अमैंडमैंट के लिए बिल आया। वह बिल यहां से राज्य सभा में चला गया और वहां यह बिल पास नहीं हुआ। एक तरफ जहां उन्होंने बैकवर्ड क्लासेज कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कदम उठाया, वहीं अति पिछड़ा, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड्स हैं, ऐसी बहुत सारी जातियां हैं, जैसा अभी हमारे साथी ने कहा – नाई, तेली, तमोली, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, मल्लाह, निषाद, बिंद, बनिया, चौरसिया, तकमा, तांती, कानू, धानुक, पाल और

चंद्रवंशी आदि ऐसी हजारों जातियां हैं, इनका कोई रिप्रजेन्टेशन नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज का कमीशन बनाने का काम किया है। आज हमें इस बात की खुशी है कि इस पर बिल आएगा। इसी संसद में होम मिनिस्टर ने कहा है कि जो एस.सी., एस.टी. प्रिवेंशन एट्रोसिटीज बिल है, हम इसी पार्लियामैंट के सैशन में आएगा और हम सब लोग मिलकर उसे पास करने का काम करेंगे।

अभी सवेरे हमारे खड़गे साहब बहुत एजिटेटिड थे। हम कभी गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग एक परिवार के समान हैं। पोलिटिक्स में भले ही अलग-अलग हों। मैंने परसों भी इनको कहा था कि आप हमें बताइए कि यहां पूरे दिन नो-कांफिडेंस मोशन पर बहस हुई, क्यों नहीं राहुल जी ने इस बारे में एक शब्द बोला, क्यों नहीं आपने कहा कि एस.सी., एस.टी. प्रिवेंशन …(व्यवधान) हां, आपने बोला। इन्होंने रेफरेंस दिया। …(व्यवधान) आप बैठिए।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, आप कम्पलीट करिए।

…(<u>व्यवधान</u>)

श्री रामविलास पासवान: आप प्रेसीडेंट के यहां चले गए, लेकिन जो आपका सॉवरेन हाउस है, वहां आप यह बात उठाते नहीं हैं, इसका क्या मतलब है? इसलिए मैंने कहा …(व्यवधान) वह सुरेश जी हैं, सुरेश जी ने जीरो ऑवर में जरूर उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके उठाने से क्या होता है। जब तक नेता नहीं बोलता है, तब तक उसमें धार नहीं आती है। …(व्यवधान) लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वह बिल भी आने वाला है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो अपोजीशन का हमला होता था कि मोदी सरकार दलित विरोधी है, मोदी सरकार पिछड़ा विरोधी है, मोदी सरकार

अल्पसंख्यक विरोधी है। लेकिन यह जो दलित एक्ट है, यह जो ओबीसी और बैकवर्ड क्लासेज का मामला है, यह एक्सपोज करता है और इनको कहने का कोई अधिकार नहीं है, इनको हमको नहीं कहना चाहिए। यह जो मिडिल क्लास जाधव, कुर्मी, कोइरी, जाट, मराठा, पटेल, लिंगायत, वोकेलिंगा, गौड़ा आदि जातियां हैं। ये सारी मिडिल क्लास की जातियां हमेशा से कांग्रेस से अलग रही हैं। क्योंकि कांग्रेस ने कभी बैकवर्ड क्लासेज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बैकवर्ड क्लासेज पर यदि सबसे पहले किसी नेता ने ध्यान दिया तो उसका नाम डा.राम मनोहर लोहिया था।

(1730/PS/GG)

हम लोग बाबा साहब अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया जी के शिष्य हैं। मैं बस खत्म कर रहा हूँ। मैंने उस दिन कहा था, हम लोग आज से नहीं हैं। सन् 1979 में संयुक्त सोश्यलिस्ट पार्टी में एमएलए बने थे, 50 साल पहले एमएलए बने थे और उस समय मैंने यहां नारा दिया था, हम लोग नारा लगाते थे कि

> " संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात। ऊंची जात का क्या पहचान? गिटपिट बोले करे न काम। छोटी जात का क्या पहचान? करे काम और सहे अपमान। अंग्रेज यहां से चले गये अंग्रेजी को भी जाना है। अंग्रेजी में काम न होगा, फिर से देश गुलाम न होगा। राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो सन्तान। बिड़ला या गरीब का बेटा सबकी शिक्षा एक समान। करखनिया दामों की कीमत आने खर्च द्वारा हो। अन्न की दाम की घटती-बढ़ती, आने शेर के भीतर हो। महांगाई को जो नहीं रोके वह सरकार निकम्मी। जो सरकार निकम्मी है, वह सरकार बदलनी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत। जीना है तो मरना सीखो। यह नारा हम लगाते थे। "

आज नरेन्द्र मोदी जी, एक गरीब का बेटा, एक अति पिछड़ी जाति का बेटा समाज के लिए और हर वर्ग के लिए काम कर रहा है और वे इस बिल को लाये हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग इसको एक ध्वनि से पास करें, फिर हमको पता नहीं यह बिल राज्य सभा में जायेगा या नहीं अथवा क्या होगा, लेकिन यहाँ से सब लोग पास करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ।

(इति)

1732 बजे

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद): मैडम, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मैडम, इस बिल की ताईद करता हूँ और इस बात की ताईद करता हूँ कि कौमी बैकवर्ड क्लास कमीशन को आईनी मौकख दिया जा रहा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 338 (बी) को अमेंड किया जा रहा है। मेरा आपके जरिए से हुकुमत से मुतालबा है कि जिस तरह से कौमी एस.सी. कमीशन और कौमी ट्राइबल कमीशन को, उसमें लिखा गया था कि To participate and advise on the planning process of socio-economic development of the Scheduled Castes. मगर जब हम इसमें देखेंगे कि जब एन.सी.बी.सी. में आता है तो पार्टिसिपेट लव्ज निकाल दिया गया और लिखा गया To advise on the socio-economic development of the socially backward classes. तो यह डाइलूशन है। मैं चाहूँगा कि हुकूमत इसका नोट ले।

दूसरी अहम बात मैडम मैं आपके जरिये से बताना चाह रहा हूँ। अभी हम राम विलास पासवान साहब को सुने। क्या इस मुल्क में वक्त नहीं आया है कि इस मुल्क की 90 फीसदी आबादी मुसलमान, दलित, शेड्यूल ट्राइब, क्रिश्चियन और ओ.बी.सी. 90 फीसदी आबादी को 50 फीसदी में आप लोग क्यों रख रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आइन्दा सियासी जिन्दगी में कभी भी किसी भी सियासी जमात को 280 सीट आने वाली नहीं है। मैं राम विलास पासवान साहब और इस हुकूमत को यह कहना चाहूँगा कि आप हिम्मत करिए और हिम्मत करके इन्दिरा साहनी का जो जजमेंट है

आप उसका कॉन्स्टीट्यूशनल अमेंडमेंट कराइये, 90 प्रतिशत रिजर्वेशन करिये, ताकि सब उसमें शामिल हो जायें।

मैडम, तीसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत तेलंगाना ने पिछले दो साल से मुसलमानों का रिजर्वेशन का रिजोल्यूशन असेम्बली में पास किया। कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने रिपोर्ट दी, तेलंगाना बी.सी. कमीशन ने रिपोर्ट दी। आप उसको रोक कर क्यों रखे हुए हैं? हर इंडीकेटर में जैसे तालीम में, क्रेडिट में, हैल्थ में, एम्पलॉयमेंट में मुसलमान पीछे है। आप उसको क्यों रोक कर बैठे हैं। आप उसको लाइये, असेप्ट कीजिए और तेलंगाना के मुसलमानों को दीजिए। …(व्यवधान)

मैडम, चौथी और आखिरी बात यह है कि आज हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में मराठे, गुजरात में पटेल, राजस्थान में गुज्जर और हरियाणा में जाट आरक्षण की बात करते हैं। अरे भाई कोई मुसलमान की तो बात करो। मैं खत्म कर रहा हूँ कि इम्पिरिकल एविडेंस यह है कि अगर महाराष्ट्र में मराठों को आरक्षण मिलेगा तो मुसलमानों को मिलना चाहिए। गुजरात में पटेल को मिलेगा तो मुसलमान को मिलना चाहिए। आखिरी बात यह है कि बिहार में जो सुरजापुरी बिरादरी है, पिछले चार साल से एप्लिकेशन पेंडिंग है। सुरजापुरी बिरादरी सीमांचल में सबसे पसमांदा है। इसको आप शामिल करिए। पासवान साहब, हिम्मत कीजिए, 90 फीसदी करवाइए। आपकी फिर मैजोरिटी आने वाली नहीं है। या तो आप यहां बैठेंगे या फिर बाहर बैठेंगे।

शुक्रिया।

(इति)

{For Persian script of the speech
made by the hon. Member,
Shri Asaduddin Owaisi in Urdu
please see the Supplement. (PP 504A to 504B)}

(1735/RC/CS)

1735 hours

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, I fully support amendments moved by the Government as well as the amendment moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the amendments made by the Rajya Sabha to the Constitution (one hundred and twenty-third Amendment) Bill. Madam, I am seeking a little bonus time just to establish a point.

HON. SPEAKER: I am not giving any bonus time.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam, this is the first time when the Government has adopted my amendment. I would like to place it on record the impact of the amendment which has been adopted by the Government. Just now Mr. Owaisi has stated that amendment and it has a very good impact.

Madam, this is the first time in the legislative history of Indian Parliament that the Government is moving an alternative amendment to the amendment carried out by the Council, *i.e.,* the Upper House, the Rajya Sabha. According to my information and knowledge, it has never happened in the Indian legislative history.

Madam, you may kindly see in this case that the Lok Sabha had passed 123rd Constitution (Amendment) Bill, 2017 and transmitted it to the Rajya Sabha for their concurrence. The Rajya Sabha passed the Bill with an amendment and returned it to the Lok Sabha. What is the amendment that the Rajya Sabha has made? They had deleted clause 3. What is clause 3? Clause 3 is the heart and soul of the Bill which talks about constitution of the National Commission for OBCs, its powers and functions. I cannot understand the rationale or the legislative wisdom of the elders in deleting clause 3 and returning it to the Lok Sabha.

Now the Government has come up with an alternate amendment to the amendment made by the Rajya Sabha under clause (2) of Rule 100 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. Madam, I may be permitted to just read Rule 100(2) regarding alternative amendment. According to my information, this is the first time in the history of Indian Parliament that the Government is moving an alternative amendment. Rule 100(2) says:

> "An amendment relevant to the subject matter of an amendment made by the Council may be moved, but no further amendment shall be moved to the Bill unless it is consequential upon, or an alternative to an amendment made by the Council."

Madam, this is not a consequential amendment. This is an alternative amendment. The heading of the amendment is also 'Alternative Amendment'. So, I fully support it. It is an alternative amendment because they have accepted two amendments. One amendment is amendment made by Shri Bhartruhari Mahtab and another amendment made by me at the time of consideration of the Bill earlier. Mr. Owaisi has just now spoken about that amendment. It is regarding the powers of the National Commission. Formerly, the National Commission was having the power to advice in the socio-economic development of the Other Backward Classes. But when the words 'to participate' were incorporated, the ambit and powers of this National Commission has been widened. For which, I am thankful to the Government.

Another amendment is regarding the Governor. You have accepted one portion. Under article 342A also, the Governor comes. In the other case, you have put in the words 'State Government' but here the word 'Governor' has not been changed with 'State Government'. That has to be done. This amendment has been moved by Shri Bhartruhari Mahtab this time also. That has to be considered. That is my suggestion.

I fully support the Constitution (Amendment) Bill and the amendments made by the hon. Minister as well as hon. Member.

(ends)

1739 बजे

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर) : महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनन्दन करता हूँ।

महोदया, जिस प्रकार से पूरे सदन के लोगों ने एकमत होकर इस बिल के समर्थन में बात कही है, निश्चित रूप से यह बिल पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कारगर साबित होगा। खासकर इस बहुसंख्यक समाज में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, यह उनके लिए ज्यादा कारगर साबित होगा।

महोदया, इस बिल के प्रावधान 338 (ख) में यह कहा गया है कि जो लोग शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं और उनके अधिकारों का हनन होता है, उनके संरक्षण के लिए यह बिल कारगर होगा। अभी हमारे विपक्ष के कुछ साथियों ने कहा कि हमने इस बिल का समर्थन किया है और पूर्व में भी हमने इसके लिए प्रयास किये थे। मैं एक बात से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि 6 सितम्बर, 1990 के दिन नियम 193 के तहत इस सदन में आरक्षण और मंडल आयोग के संबंध में चर्चा हुई थी।

(1740/RV/SNB)

उस दिन हमारे इस सदन के नेता भी रहे और उस समय विपक्ष के नेता भी रहे - ...(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) उन्होंने इस पर सवा तीन घंटे बहस की, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया।...(व्यवधान) यह रिकॉर्ड में है, इसलिए मैं बोल रहा हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नाम मत लीजिए, 'विपक्ष के नेता' कहिए।

…(व्यवधान)

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): उनकी पार्टी के लोगों ने ही उनका विरोध करना शुरू किया, जिसमें …(कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।) भी थे। उन्होंने इसका विरोध किया और अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप नाम क्यों लेते हैं? आप अपनी बात कहें।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): मैडम, विपक्ष के लोगों ने पिछड़े वर्ग के समाज को रोकने का काम किया है और ये भिन्न-भिन्न प्रकार के तर्क दे रहे हैं। साथ ही साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां जनगणना के विषय में भी चर्चा चली। अलग-अलग तरह से यह चर्चा चली कि कोई 40 प्रतिशत है, कोई 52 प्रतिशत है, तो कोई 39 प्रतिशत है। इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2011 की जनगणना को सार्वजनिक किया जाए, ताकि वास्तविक जनसंख्या का पता चल सके कि इस देश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की कितनी संख्या है।

महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

(इति)

1741 hours

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Hon. Madam Speaker, thank you for giving me the opportunity to participate in the Constitution (One hundred and Twenty-third Amendment) Bill. My party supports this Bill.

All the other matters have already been made. I would like to raise certain issues related to the State of Sikkim. In the history of Sikkim, the merger of the State happened after a referendum in which 98 per cent of people of Sikkim voted for joining with the Indian Union. The State of Sikkim became the 22nd State of India.

I would like to state the situation before the merger of the State with the Union of India. All the communities had reservation in the State Assembly and also all the communities of the State were on an equal footing. But after merger, the *Bhutia* and the *Lepcha* communities got the tribal status in the year 1978. In 2003, the *Limbu* and the *Tamang* communities also got tribal status after they were removed from the status of being in the OBC category.

What I would like to state here and which I have already brought to the notice of the Government is that they need reservation in the

State Assembly. I would also like to flag that since we were at a status of equality before merger, the same status has to be restored and that can happen only if the entire State is made into a tribal State.

(ends)

1743 बजे

श्री बीरेन्द्र कुमार चौधरी (झंझारपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आज आपने मुझे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलने की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

महोदया, आज का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। भाई नरेन्द्र मोदी जी ने जो यह साहसिक कदम उठाया है, उसके लिए मैं उन्हें कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।

महोदया, पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ-साथ इसमें अति पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया जा रहा है, इसके लिए भी मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं आसन से आग्रह करता हूं कि जनगणना के आधार पर जातीय जनगणना हो और वर्ष 2011 में जो जनगणना की गयी थी, उसे सार्वजनिक रूप से सर्वविदित किया जाए, जिससे यह सभी की पहचान में आ जाएगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है और उसके आधार पर निश्चित रूप से आरक्षण की व्यवस्था की जाए।

पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की आबादी इस देश में लगभग 65 प्रतिशत है, लेकिन उन्हें आरक्षण मात्र 27 प्रतिशत दिया जा रहा है। इस 27 प्रतिशत आरक्षण का भी लाभ अभी तक भारत सरकार की नौकरियों में, भारत सरकार के उपक्रमों में नहीं दिया गया है और अभी तक यह मात्र 9 से दस प्रतिशत लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिल पाया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बैकलॉग के आधार पर पिछड़े वर्ग के सभी कोटे को भरा जाए और जनगणना के अनुसार इसे सार्वजनिक करके निश्चित रूप से

पिछड़े वर्गों की सभी जातियों को एकमुश्त निकाल कर उन्हें भी इसमें भागीदार बनने का काम किया जाए।

आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का नारा है - 'सबका साथ, सबका विकास।' इसी का परिणाम है कि करोड़ों परिवारों में आज होली के दिन जैसी खुशी मनाई जा रही है। पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्गों के लोगों ने ऐसा कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पिछले पचास वर्षों तक जो सरकारें थीं, उन्होंने कभी पिछड़े वर्गों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज नरेन्द्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग के वंचित और शोषित समाज को ऊपर उठाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं।

(इति)

(1745/RU/MY)

1745 hours

*SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): Thank you Hon. Speaker Madam, for giving me the opportunity to speak on the Constitution 123rd Amendment Bill 2017. As I have already given notice, I am now speaking in Bengali. Madam, it is very disheartening that even after 71 years of independence, we are discussing phrases like ‘backward and ‘under privileged’. Even then, I take the floor to support this bill which is associated with the backward classes and I would like to say a few things about it. I request Hon. Minister to kindly incorporate these points in the bill. Firstly, due to paucity of time, I am not reading out the bill, but it has been mentioned here that the Chairman of the Commission will be either an Hon. Judge of the High Court or of the Supreme Court. Now if that particular judge does not belong to the OBC category then this bill will be rendered meaningless. This is because, when any member of the SC ST community becomes wealthy, he no longer introduces himself as SC or ST. If the Hon. Judge is not from the OBC community, he will never be able to perform his duties as the Chairman successfully and satisfactorily. I request Hon. Minister to

---

* Original in Bengali

select a judge from the OBC community only. Today we can see that the dreams of Dr. Babasaheb Ambedkar have not been fulfilled entirely. Whatever he desired through the framing of the Indian constitution has not been realized. The recommendations of the Mandal Commission have not been implemented fully. Thus, we are still carrying the unfulfilled dreams of Dr. Ambedkar on our shoulders.

Secondly, Madam, as many Hon. Members have mentioned that in various states, the SCs, STs and OBCs are all in separate categories. I urge upon the Minister to go for a centralized SC-ST quota regime. This is very important.

Thirdly, one fellow member of mine was saying that if this amendment bill could have been passed in the month of January, then by now most of the work would have been completed. So, I want to know from the Minister that how many posts reserved for SC-STs are still lying vacant in this country? Needless to mention that along with OBC posts, numerous SC-ST category posts have not been filled up even today. The situation is very grim. So, Hon. Minister, let us try to implement the policies with right earnest.

I had many more things to say, but due to paucity to time, I rest my speech here. Thank you, Madam.

(ends)

1747 बजे

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदया, मैं संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017 तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब तथा गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी संजीदगी से इस बिल का अध्ययन करके सदन में पेश किया है।

मैडम, यहाँ बहुत से सदस्यों ने अपनी बात रखी है और मेरा नबंर बाद में आया है। मेरा निवेदन है कि आप मुझे सिर्फ दो मिनट बोलने का मौका दें। सभी लोगों ने काका कालेलकर कमेटी का जिक्र किया है। उस टाइम नाना साहेब ने उनको कमीशन बनाने के लिए तय किया था। उन्होंने वर्ष 1955 में रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा था कि 21 सौ जातियाँ इस प्रकार की हैं, जो ओबीसी के अंदर आती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि इन 21 सौ जातियों में से 869 जातियाँ अति पिछड़ा वर्ग में आती हैं। वर्ष 1955 में पेश हुई उस रिपोर्ट को नाना साहेब ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। आपने कहा था कि किसी का नाम नहीं लेना है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं।

मैडम, उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने के बाद वर्ष 1990 में मंडल आयोग आया। उस समय वी.पी. सिंह जी की सरकार थी। उस समय मंडल आयोग लागू हुआ था। आडवाणी जी के प्रयास और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रही थी। उनको मंदिर के इश्यू पर कहा था कि अगर आप भारत के बहुसंख्यक समाज का अपमान करेंगे तो यह सरकार चलने वाली नहीं है। उसके बाद वह सरकार गिर गई

थी। उन्होंने वर्ष 1993 में एक लॉलीपॉप देने का काम कर दिया और एक मंत्रालय ने कमेटी बनाकर कहा कि आप ओबीसी वर्ग के लोगों की समस्या को सुनेगें।

(1750/CP/NKL)

लेकिन उन समस्याओं का निवारण करने का अधिकार आपका नहीं है। सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसलिए कहा है कि सब समुदाय के लोगों ने वोट देकर उन्हें प्रधान मंत्री बनाया कि सबका विकास होना चाहिए।

मैडम, मैं उत्तर प्रदेश में पार्टी की तरफ से सहप्रभारी था। मैं वहां की आपको जातियां गिनवाऊंगा। अभी मेरे से पूर्व धर्मेन्द्र जी बोल रहे थे, बड़ी लम्बी-लम्बी छोड़ रहे थे। विकास एक परिवार का हुआ है, ओबीसी समाज का नहीं हुआ है। केवल एक परिवार का विकास हुआ है। मेरा एक सवाल है कि धीमर, केवट, कुम्हार, प्रजापति, गोला, लोधी किसान, बिन्द, निषाद, कश्यप, मल्लाह, तुराह, मांझी, मछरा, मौर्य, शाक्य, सैनी, माली काछी, मुराव, कुशवाहा, धोबी, राजभर, नाई, पाल, गड़रिया, बघेल, धनगर, विश्वकर्मा, बढ़ई, लोहार, भूर्जी, खड़कवंशी, खंगार, चौरसिया, पनवाड़ी, तमोली, तेली, जयसवाल, हलवाई, शिवहरे, गुर्जर, लोनिया, चौहान, चिकवा, दर्जी, गिरी, बंजारा, बैरागी, बारी, मनिहार, कठेरा, लखेरा, सपेरा, ताम्रकार, पटवा, यादव, जाट, साहू, आदि जातियों का उत्तर प्रदेश के अन्दर क्या हुआ है? यह बहुत सेंसेटिव विषय है। मैं एक उदाहरण देने के बाद इतना ही बताना चाहूंगा कि इस कांग्रेस ने और समाजवाद के नाम पर एक नारा दिया था। …(व्यवधान) जो नारा दिया था, वह बड़ा स्पष्ट था। समाजवादियों की तरफ से नारा आया था। समाजवादियों के नारे में सम्पूर्ण क्रांति की बात की गई थी। सम्पूर्ण क्रांति में बिहार में 15 वर्ष तक मुख्य मंत्री रहने वाले

उपज गए। सम्पूर्ण क्रांति में एक दलित की बेटी उपज गई। किसका विकास हुआ? केवल एक परिवार का विकास हुआ, लेकिन बिहार के पिछड़ा वर्ग का विकास नहीं हुआ है।

मैं क्रीमी लेअर के बारे में कहना चाहता हूं। मैं गुर्जर समाज से आता हूं। हिमाचल के अंदर शांता कुमार जी जब मुख्य मंत्री थे, तब वहां के गुर्जरों को आरक्षण मिला। उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी जब मुख्य मंत्री थे, तब वहां गुर्जरों को आरक्षण मिला। जम्मू-कश्मीर के अंदर वहां की पूर्व मुख्य मंत्री ने भी कहा है कि वह वफादार जाति है। उनको अगर आरक्षण मिला वीपी सिंह की सरकार में, तो अटल बिहार वाजपेयी जी और आडवाणी जी के आग्रह पर वह डेलीगेशन मिला था। उस समय मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता था। मैं कटारिया जी को आडवाणी जी के घर पर लेकर गया। वहां के गुर्जरों को अगर आरक्षण मिला, तो उस टाइम में मिला। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं। ये दुहाई देते हैं, उस समाज के उत्थान की बात करते हैं, गरीबी हटाओ, देश बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं। …(व्यवधान) इनकी स्थिति ऐसी रही है कि जो जेल में पूर्व मुख्य मंत्री हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। …(व्यवधान) रेलवे के अंदर ऐसी स्थिति रही है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए। …(व्यवधान)

…(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैडम, मैं तीस सेकेंड में समाप्त कर रहा हूं। जो इनकी जाति के लोग हैं, ये ओबीसी के नाम पर रोटियां सेंकते रहे। …(व्यवधान)

(इति)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। देवगौडा जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

1754 hours

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Hon. Speaker, while extending my full support to this Constitution Amendment Bill, I want two-three points to be clarified by the Government. A larger Bench of the Supreme Court has given the decision that reservation should not exceed more than 50 per cent. While accepting this Constitution Amendment Bill, I have heard the speeches of my other colleagues. There were questions like whether we can provide reservation exceeding 50 per cent to cover up all those Communities who have been neglected either by the Mandal Commission or the subsequent decision by the Central Government or the State Governments, and whether we are in a position to provide reservation to all other communities by exceeding 50 per cent, against the decision made by the Larger Bench of the Supreme Court.

You should not go beyond 50 per cent. We have also taken several decisions in Karnataka within the ambit of 50 per cent. Even the Muslim minorities also have been given the reservation.

(1755/KSP/NK)

Till today, no Government has raised any objection in Karnataka. It is not the question of our own Government. Subsequent to our Government, even the BJP was also in power there. They have not raised any objection. So, the reservation, which we have given to the Muslim minorities, still continues there. Now, to cover many other communities like nomadic tribes, we have to take some decision. Under which category will they come?

We have given reservation to the extent of 15 per cent to the Scheduled Castes and 7 ½ per cent to the Scheduled Tribes. In the remaining 27 per cent, can we be able to cover all the other communities? In Karnataka, we have taken all these communities, made several compartments and we tried to provide reservation to even the nomadic tribes.

As you are giving powers to the National Commission for Backward Classes, I have no problem. The Jat community demanded reservation. I gave reservation to them by recognising them as one of the Backward Classes. But successive Governments in Uttar Pradesh and other States have not taken that into consideration. The Supreme Court struck it down. In Rajasthan, the

Jat community was suffering very badly in eight districts. So, I appointed a Commission. Some posts in the Commission were vacant when I took charge as Prime Minister in 1996. That Commission studied the social, educational and economical backwardness of the Jat community in Rajasthan and it gave their recommendations to the State Government. That was subsequently cleared by the Union Government and an Act was passed.

These are the only three points I wanted to make. I would like the Government to clarify as to whether we can give reservation by exceeding the limit of 50 per cent so as to ensure that all communities are covered. This is the clarification I would like to have.

(ends)

1755 बजे

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सभी लोग अत्यंत पिछड़ा और ओबीसी के अधिकार के लिए जो बिल लाया गया है, उसके समर्थन में खड़े हैं। मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। निजी क्षेत्र में कॉमन एजुकेशन और हेल्थ को समाज के कमजोर तबकों के लिए आप क्यों नहीं कम्पलसरी करते? इसके साथ-साथ देश में जातियों की भागीदारी है। अब कहा जा रहा है कि जनगणना के मुताबिक 64 परसेंट हो गया है लेकिन उसे सामने नहीं लाया गया है। जनगणना को सामने लाना चाहिए। पता नहीं क्यों जनगणना के ऊपर इस कदर हायतौबा मची हुई है। हिन्दुस्तान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विपन्न और कमजोर हैं। उनकी जनगणना को सामने लाने में देर नहीं करनी चाहिए। जनगणना के आधार पर आर्थिक, सामजिक और शैक्षिक रूप से उनकी जितनी जनसंख्या है उसमें आरक्षण का बंटवारा कर दीजिए। आरक्षण पर राजनीति होती है। बिहार में 34 सालों से और उत्तर प्रदेश में भी लंबे समय से स्टेट्स में पिछड़े और दलितों की सरकारें रही है। उन्होंने क्या निजी क्षेत्रों में पचास प्रतिशत आरक्षण दिया? माननीय मायावती जी भी सरकार में रहीं, मुलायम सिंह यादव जी भी सरकार में रहें, लालू यादव जी भी रहें और नीतिश कुमार जी भी सरकार में हैं, इनको आरक्षण देने से किसने रोका? किसी ने नहीं रोका कि आप निजी क्षेत्रों में आरक्षण न दीजिए। आप नहीं दे पाए। आप बात तो करते हैं, कई आयोग पहले भी बने हैं, फिर आयोग बना रहे हैं। आप जब तक एजुकेशन नहीं देंगे तो आरक्षण लागू किस पर होगा? वर्ष 2015 में 1078 सफल उम्मीदवारों में से

334 पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों ने सफलता अर्जित की, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक की आज जो स्थिति है। क्रिमीलेयर की ओर से तीर चलाया, 314 पिछड़ी जाति के चयनित अभ्यर्थियों के पंख उड़ गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आरक्षित वर्ग के लिए 100 में से 100 नम्बर ले आए, लेकिन 60 प्रतिशत पिछडों का चुना जाएगा। नौ हजार पांच सौ से अधिक सीटों पर कुल 68 पिछड़े ही चुने गए।

(1800/SK/KKD)

पत्रकारिता में चले जाइए, लॉ में चले जाइए। इस देश में कितने एससी, एसटी मुख्यमंत्री हैं? आप किसी भी मंत्रालय में देख लीजिए कि कितने दलित मंत्री हैं, कितने पिछड़े वर्ग से हैं?

माननीय अध्यक्ष: अपनी बात खत्म करें।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): मेरा आग्रह है कि इस देश में जितनी जनसंख्या है, उतने मुख्यमंत्री तय कर दीजिए।

(इति)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, अपनी बात शुरु करें, इससे पहले मैं सदन से कहना चाहती हूं कि छ: बज गए हैं, अगर माननीय सदस्यों की सहमति हो तो इस बिल के कम्पलीट होने तक समय बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य: सहमति है।

(1800/SK/KKD)

1801 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): माननीय अध्यक्ष जी, हम संविधान के 123वें संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में लगभग 32 माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं, सुझावों के साथ अपने विचार भी रखे हैं और कुछ समस्याओं की चर्चा भी की है। अगर माननीय अध्यक्ष की अनुमति होगी तो मैं सभी बातों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा।

माननीय अध्यक्ष: जहां आवश्यक हो, वहां उत्तर दीजिए।

श्री थावर चंद गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक पहला वाक्य कहा था – नरेन्द्र मोदी की सरकार पिछड़े और गरीब वर्ग के प्रति समर्पित होगी। उन्होंने जो कहा वह करके दिखाया। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। इन चार सालों में सरकार ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं।

मैं अपने विभाग से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का विषय वर्ष 1980 के बाद लगातार चलता रहा है। कई बार कमीशन बने, कमीशन ने राय भी दी, बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को निर्देशित किया कि जितनी जल्दी हो, ओबीसी कमीशन बनाया जाए, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो। पिछले सालों में तो यह नहीं हो पाया परंतु

नरेन्द्र मोदी जी ने संकल्प लिया था कि उनकी सरकार ओबीसी कमीशन बनाएगी और इसे संवैधानिक दर्जा देगी।

हमने वर्ष 2017 **में** यह बिल हमने प्रस्तुत किया और सदन ने इसे पारित किया। यहां जो बिल पारित हुआ था, यहां जिन लोगों ने समर्थन किया था, उन्हीं लोगों के कुछ मित्रों ने कुछ कारण बताकर असहमति व्यक्त की थी इसलिए हम कुछ संशोधनों के साथ इसे लेकर आए हैं। हमारा दृढ़ संकल्प था कि ओबीसी कमीशन को कांस्टीट्युशनल स्टेटस देंगे। हम इस संकल्प को पूरा करने के लिए फिर से बिल लेकर आए हैं।

घुमन्तु जाति के बड़ी संख्या में लोग हैं जो न एससी में आते हैं, न एसटी में आते हैं और न ही ओबीसी में आते हैं। ये लोग कुछ राज्यों में एससी में आते हैं, कुछ राज्यों में एसटी में आते हैं और कुछ में ओबीसी में आते हैं। इतना ही नहीं एक ही राज्य में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग जाति समूह में भी आते हैं। इसका निर्णय करने की दृष्टि से दादा इदाते की अध्यक्षता में घुमन्तु आयोग बनाया गया था। घुमन्तु आयोग ने तीन साल परिश्रम करके, देश भर में भ्रमण करके इन जातियों की पहचान की, इन जातियों का अनुसंधान किया और अपना प्रतिवेदन दिया। उस प्रतिवेदन को हमने राज्य सरकारों, मंत्रालय और आम लोगों की राय जानने के लिए प्रचारित किया। जब यह जानकारी आ जाएगी तो हम घुमन्तु जाति के हित संरक्षण के लिए अच्छा कानून बनाने का प्रयास करेंगे।

(1805/MK/RP)

इस बीच में हमने उनको एस.सी./एस.टी और ओ.बी.सी. को जो सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे स्कॉलरशिप आदि तो वह देने के लिए नियम बनाया है, कानून बनाया है और उसका लाभ भी उनको मिल रहा है। लम्बे समय से पिछड़े वर्ग में आने वाली जातियों का श्रेणीकरण करने के लिए आयोग बनाने की मांग उठती रही है। नरेन्द्र मोदी जी ने साहसिक निर्णय लिया और एक आयोग बनाया। दिल्ली प्रदेश के उच्च न्यायालय की चीफ़ जस्टिस रहीं, रोहिणी मैडम को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने उस पर विचार-विमर्श किया है और उनका प्रतिवेदन अभी अपेक्षित है। 40 दिन की अवधि और बढ़ायी गयी है। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनका प्रतिवेदन आने के बाद भी हम उस पर सक्रिय कार्रवाई करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी-से-जल्दी श्रेणीकरण किया जाए, ताकि इन वर्गों के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वह न हो। हम उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करें। प्रमोशन में आरक्षण वाले विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। हमने रिव्यू पिटिशन लगायी और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सरकार के प्रयास और निवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया और प्रमोशन में आरक्षण संबंधी आदेश फिर से जारी हुए। डी.ओ.पी.टी. डिपार्टमेंट ने भी प्रमोशन में आरक्षण देने की कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिया है। हमने राज्यों को भी एडवाइजरी जारी की है कि राज्य भी इस विषय पर कार्रवाई करे। इसके साथ-साथ एट्रोसिटीज एक्ट की बात है।...(व्यवधान) रंजन जी आप मेरी बात सुनिए। हमने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति-जनजाति निवारण अधिनियम बनाया। उसी समय से यह मांग की जा रही थी कि यह अधिनियम सक्षम नहीं है। बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो

इस एक्ट की श्रेणी में नहीं आते हैं। अपराधियों को दंड नहीं मिलता है और पीड़ित परिवार को न्याय और राहत नहीं मिलती है। नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया तथा एट्रोसिटीज एक्ट को और सशक्त करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसकी कुछ धाराओं पर अंकुश लगाया। हमने रिव्यू पिटिशन लगायी। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। उसी दौरान जैसे मैंने कहा कि उन्होंने संकल्प लिया था कि गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। यह एट्रोसिटीज एक्ट जो हमने बनाया है, वह एज़ ईट इज जारी रहे, इसके लिए कल ही कैबिनेट ने निर्णय लिया है। उस निर्णय की जानकारी भारत के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने आज सदन में हम सब लोगों को उपलब्ध करायी है। बहुत सारे विषय हैं। सौहार्दपूर्ण चर्चाएं हुई हैं, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि कटुता का वातावरण बने। परन्तु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, पिछली सरकार के दौरान उनको अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज़ घोषित करके एस.सी./एस.टी और ओ.बी.सीज़ से संबंधित जो आरक्षण का प्रावधान वहां था, उसको समाप्त कर दिया। इस सरकार ने निर्णय लिया है और निर्णय लेकर सुप्रिम कोर्ट में हम अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। यहां भी अनुसूचित जाति, जनजाति और ओ.बी.सी. वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने में हमको सफलता मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, यह तो हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो संकल्प लिया और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की थी, उसके कुछ उदाहरण, नमूने

प्रस्तुत किए। अब मैं सीधे-सीधे संविधान 123 वां संशोधन विधेयक जो ओ.बी.सी. कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने के संबंध में है, उस विषय में आना चाहता हूं।

(1810/RPS/RCP)

उस पर पहले इस सदन में चर्चा हुई थी। दो संशोधन, जिनमें से एक प्रेमचन्द्रन जी का था और दूसरा संशोधन भर्तृहरि महताब साहब का था। एक संशोधन यह था कि इस आयोग में जो सदस्य होंगे, उनमें एक महिला सदस्य भी होगी। उस संशोधन को हमने इसलिए स्वीकार नहीं किया था कि एससी कमीशन और एसटी कमीशन, जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, एवं अन्य कमीशन्स हैं, उनमें भी सदस्यों के बारे में इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि उसमें एक महिला सदस्य होगी। हमने उस समय आश्वासन दिया था कि हम जब रूल्स बनाएंगे तो इसमें अनिवार्य रूप से एक महिला सदस्य होगी। इस प्रकार का आश्वासन हमने दिया था। यहां पर उस आश्वासन को स्वीकार किया गया था, परन्तु राज्य सभा में जब यह विषय गया तो एक संशोधन आया कि महिला भी सदस्य होगी और एक सदस्य धर्म आधारित होगा। मैं उसका नाम यहां नहीं लेना चाहता हूं। वह चीज गैर-संवैधानिक थी, इसलिए हमने स्वीकार नहीं किया था। वहां खण्ड-3 को विलोपित करने का निर्णय हो गया, वोटिंग हुई और उसके बाद निर्णय हो गया। हम फिर से वैकल्पिक प्रावधान करके आए हैं। खण्ड-3 इस विधेयक का हृदय है, उसकी जान है, उसके बिना इस विधेयक के पारित होने का कोई अर्थ नहीं होगा। इस खण्ड में उसके कारोबार, अधिकार, कर्त्तव्य और सदस्यों की संख्या का उल्लेख है। अगर कोई कानून बन जाए, उसको क्या करना है, उसके अधिकार

क्या हैं और उसके कर्त्तव्य क्या हैं, अगर इसी का उल्लेख न हो तो उस कानून का कोई अर्थ नहीं होता है। उसमें कौन सदस्य होगा, कितने लोग होंगे, अध्यक्ष होगा। …(व्यवधान) इस प्रकार के प्रावधान के बिना उस कानून का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए राज्य सभा ने जिस खण्ड-3 को विलोपित किया था, उसको फिर से लेकर आए हैं। खण्ड-3 में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के अलावा, आयोग के विभिन्न कार्यों का प्रावधान दर्शाया गया है। खण्ड-3 के विलोपन से विधेयक का समग्र उद्देश्य समाप्त हो जाता है। …(व्यवधान) एक निरसन विधेयक भी हमने यहां प्रस्तुत किया था। वह विधेयक यहां से पास हो गया था, लेकिन वहां उस पर चर्चा ही नहीं हो सकी, क्योंकि मूल विधेयक पर चर्चा के दौरान ही ऐसी परिस्थितियां बन गईं। दूसरी बात जो राज्य सभा में सामने आई थी। …(व्यवधान)

खड़गे साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप मुझे सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। सर, ऐसा मत कीजिए। मुझ 'गरीबदास' की बात भी सुन लीजिए। सर, सुन लो। …(व्यवधान) सर, ऐसा क्यों कर रहे हो। …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैं आपकी बात सुनना चाहता था।…(व्यवधान) लेकिन आपने कहा कि मैं किसी कंट्रोवर्सीज में नहीं जाना चाहता हूं, अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। …(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: सर, मैंने कब कहा कि मैं खत्म करना चाहता हूं? …(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): अभी आपको मंत्री जी बोलकर गए कि प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, स्पीच कंटीन्यू रखिए। …(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: सर, मैंने यह नहीं कहा कि मैं खत्म करना चाहता हूं। मैंने यह कहा कि मैं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में व्यवधान बनना नहीं चाहता हूं, परन्तु मैं उन सब मुद्दों का जवाब दूंगा। आप शान्ति से, धैर्य से सुनें। …(व्यवधान) मुझसे पहले आप भी इस मंत्रालय के मंत्री रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यह काम क्यों नहीं किया था, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं ऐसी छेड़छाड़ करना नहीं चाहता हूं। …(व्यवधान) सर, आप थे। …(व्यवधान) आपकी दस साल सरकार रही।…(व्यवधान) उन दस वर्षों में आपने कुछ नहीं किया।…(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): हम तीन महीने में आर्डिनेंस लाए थे। …(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत: सर, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए।…(व्यवधान) मैं इस सभा के विचारार्थ विधेयक में वैकल्पिक खण्ड-3 लाना चाहता हूं, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा इसके परामर्शी कार्य के अतिरिक्त, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में उसकी भागीदारी करने का प्रावधान है।

(1815/ASA/SMN)

जो प्रेमचन्द्रन जी और भर्तृहरि महताब जी ने एक संशोधन यहां दिया था, उसी आशय का संशोधन हमने दो जगह प्रावधानित किया है। विधेयक में जहां पहले राज्यों के मामले में राज्यपाल से परामर्श करने का प्रावधान था, वहां इस वैकल्पिक संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा संबंधित राज्य के संबंध में रिपोर्ट पर कार्रवाई करने

की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को सीधा शामिल करने का भी प्रावधान किया गया है। अब इस सदन में जो संशोधन आये थे, उनको हमने इसमें समाहित कर लिया है। जो विधेयक राज्य सभा से संशोधित होकर आया है, उस पर अब किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं इन तीनों विकल्पों की बात बता चुका हूं। इन तीनों संशोधनों के साथ अब यह विधेयक अत्यधिक सक्षम और संवैधानिक दायरे में आ रहा है। इसको संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद यह आयोग सशक्त होगा और इनकी समस्याओं का समाधान आयोग के माध्यम से होने लगेगा।

माननीय सदस्यों ने जो विचार-विमर्श किया है और जो सुझाव दिये हैं, मैं यह मानता हूं कि उसमें 80 प्रतिशत समस्याओं का समाधान आयोग के गठन के कारण होने लगेगा। आयोग के बिना इन समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं था, जैसे उदाहरण के लिए कुछ मामले ऐसे आए कि साहब, इस प्रदेश में तीन जिलों में अमुक जातियां अमुक कैटेगरी में हैं। बाकी और किसी में हैं। किसी में एस.सी. में हैं, किसी में एस.टी. में हैं, किसी में ओ.बी.सी. में हैं। अनेक राज्यों के मामले में इस प्रकार की स्थिति है। अब किसी जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ने या घटाने की एक प्रक्रिया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस प्रक्रिया के बारे में जानना चाहा था। मैं जानकारी देना चाहता हूं …(व्यवधान) जयप्रकाश जी,…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the Minister's Speech.

…(Interruptions)… (Not recorded)

श्री थावर चंद गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदया, अनेक माननीय सदस्यों ने अपने अपने राज्य की समस्या बताई है और यह कहा कि यह जाति इसमें आनी चाहिए, तो उसकी नियम-प्रक्रिया की जानकारी देना मैं आवश्यक समझता हूं। अगर किसी जाति को एस.सी. में लेना है तो राज्य सरकार प्रस्ताव करेगी कि यह प्रावधान है। राज्य सरकार के प्रस्ताव जब हमारे पास प्राप्त होंगे तो हम रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास उस प्रस्ताव पर राय के लिए भेजेंगे। अगर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ओके रिपोर्ट देगा, सही ठहरायेगा और रिकमेंड करेगा कि हां, इस जाति को अनुसूचित जाति में ले लिया जाए। तब फिर हम अनुसूचित जाति आयोग के पास उसको भेजेंगे और फिर आयोग भी अगर यस करेगा तो हम कैबिनेट में उसको ले जाएंगे, बिल बनाएंगे, कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। अगर कैबिनेट स्वीकृति देगा तो फिर हम संसद के समक्ष आएंगे। संसद के निर्णय से वह जाति उसमें सम्मिलित होगी कि नहीं, ऐसा निर्णय होगा। ठीक इसी प्रकार से एस.टी. के लिए भी है। अगर कोई राज्य किसी जाति को एस.टी. में सम्मिलित करना चाहता है तो वही प्रक्रिया है कि वह हमारे पास रिकमेंडेशंस के साथ प्रस्ताव भेजेंगे। हम आर.जी.आई. को भेजेंगे। आर.जी.आई. ओके करेगा तो एसटी कमीशन के पास भेजेंगे। एसटी कमीशन ओके करेगा तो फिर हम बिल बनाएंगे और उस बिल को संसद में प्रस्तुत करेंगे। संसद की सहमति से उस पर निर्णय होगा।

इसी प्रकार से बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि ग्रेमैटिकल कारणों से, उच्चारण के कारणों से, कौमा-मात्रा के कारण से, उसी जाति का होने के बाद उनको उस जाति का लाभ नहीं मिलता है।

(1820/RAJ/MMN)

उसके लिए भी वही प्रक्रिया है, राज्य सरकार उसमें संशोधन के लिए, सुधार के लिए, हमारे मंत्रालय के पास या एसटी का वह है तो एसटी मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजेंगी और उस प्रस्ताव को हम उसी प्रक्रिया से आरजीआई के पास भेजेंगे। फिर संबंधित आयोग के पास भेजेंगे और अगर सभी से ओके रिपोर्ट मिलेगी तो हम सरकार के पास आएंगे। सरकार विधेयक तैयार करेगी, संसद में वह आएगा और उस पर निर्णय होगा। अगर किसी राज्य में इस प्रकार की समस्या है तो मेरा अनुरोध है कि वह राज्य सरकार के माध्यम से इस प्रकार के प्रस्ताव भिजवाए। हम प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई करके सदन के सामने आएंगे। अभी तक ओबीसी को केन्द्रीय सूची में मिलाने के लिए आयोग नहीं होने के कारण अत्यधिक कठिनाई हो रही है। हमारे पास अनेक राज्यों के ऐसे प्रस्ताव आने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो आयोग बना है, वह आर्टिकल 340 के आधार पर बना है। उस आयोग के पास विषय विशेष के लिए ही अधिकार होता है। जिस विषय को लेकर आयोग गठित किया जाता है, वह उस परिधि में ही विचार-विमर्श करके अपनी राय दे सकता है। परन्तु, यह आयोग 338(डी) में जो बनने वाला है, उसको इस प्रकार की प्रक्रिया पर राय देने का अधिकार होगा और राज्य सरकार उस आयोग के पास सीधे भी प्रस्ताव भेज सकेगी या हमारे माध्यम से भी प्रस्ताव भेज सकेगी। आयोग को उसके अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण, उसकी प्रक्रिया का निर्धारण संवैधानिक आधार पर करने का अधिकार होगा।

इसलिए आयोग गठित होने के बाद ही, जितनी समस्याएं बताई गई हैं, उनमें से 80 प्रतिशत से अधिक समस्याओं का समाधान हो पाएगा।

कल्याण बनर्जी साहब ने भी इस आशय के कुछ सुझाव दिए थे। मैंने उनमें से बहुत सारी बातों का जवाब दे दिया है। अनेक माननीय सदस्यों ने छात्रवृत्ति के बारे में कहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने छात्रवृत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की है बल्कि हम ने उसमें और बढ़ोतरी की है। हॉस्टल और स्कूल की जो पहले निर्धारित दरें थीं, हम ने उसमें बढ़ोतरी की है। केवल इतना ही बल्कि हमने इनकम लिमिट भी बढ़ाई है।

मैं अच्छे सौहाद्रपूर्ण वातावरण में कहीं व्यवधान नहीं खड़ा करना चाहता हूं। आपके समय में ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की इनकम लिमिट 44 हजार रुपये थी। आज की तारीख में, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हम ने उसे ढाई लाख रुपये की है। इनकम लिमिट ढाई लाख रुपये होने के कारण छात्रों की संख्या बढ़ी है और हम ने छात्रवृत्ति में भी वृद्धि की है। एससी वर्ग में 98 हजार रुपये ग्रामीण क्षेत्र वालों की इनकम लिमिट थी, वह शहरी क्षेत्र में यह एक लाख बीस हजार रुपये थी। हम ने दोनों श्रेणियों में इनकम लिमिट ढाई लाख रुपये की है। हम ने छात्रावास और स्कूल्स में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति में वृद्धि की है।

हम ने छ: प्रकार की छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ओवरसीज स्कॉलरशीप, जो विदेश जा कर पढ़ते हैं, ये तीन छात्रवृत्तियां हैं। फेलोशीप योजना पहले से थी, हम ने उसमें बढ़ोतरी

की है। अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, डिग्री हासिल करने की पढ़ाई करना चाहता है तो उसको भी हम 30-60 लाख रुपये देते हैं। ओबीसी वालों को विदेश में जाकर पढ़ने के लिए ब्याज सब्सिडी देते हैं और एससी वर्ग वालों को पूरा पैसा देते हैं। इसके साथ ही साथ, हम शिक्षा के उन्नयन के लिए भी आर्थिक सहायता देते हैं। अगर कोई कोचिंग लेना चाहता है तो हम फ्री कोचिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। कोचिंग सेन्टर्स वालों को, वहां जितने छात्र पढ़ते हैं, उनको पैसा भी देने का काम करते हैं। हम ने प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से ढाई हजार गांवों को बीस-बीस लाख रुपये की आर्थिक सहायता देकर, इन वर्गों के क्षेत्रों में अच्छा काम करने के लिए, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता दी है। हम ने 21 राज्यों में वह देने का निर्णय लिया है।

(1825/VR/IND)

इसमें भी वृद्धि करके 24 राज्यों में देने का काम कर रहे हैं। हमने जो ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, यह उसकी संक्षिप्त जानकारी है। हम अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग और सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम चलाते हैं। इन चार वित्त विकास निगमों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण देते हैं। हमने करीब डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों को कौशल प्रशिक्षण दिया है और 12 लाख से ज्यादा लोगों को वित्त विकास निगमों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। कौशल प्रशिक्षण के दौरान हम मानदेय भी देते हैं और ब्याज की दर भी चार और पांच प्रतिशत वार्षिक है। ये निर्णय पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले क्यों नहीं किए गए? अम्बेडकर प्रतिष्ठान के

माध्यम से हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को चिकित्सा सुविधा भी देते हैं। किडनी, कैंसर, हार्ट, ब्रेन और स्पाइनल इंजरी की बीमारी के लिए हम सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। इंटर कास्ट मैरिज में भी हम ढाई लाख रुपये के आस-पास प्रोत्साहन राशि देते हैं। यदि मैं सभी योजनाओं का उल्लेख करना चाहूं, तो दो घंटे में भी बात पूरी नहीं होगी। चार साल की उपलब्धियां चार घंटे में बताई जा सकें, ऐसा भी प्रयास किया जा सकता है। …(व्यवधान) जब उपाध्यक्ष जी आसन पर बैठे थे, तब उन्होंने भी कुछ विषयों की चर्चा की थी। हालांकि उस विषय से संबंधित जानकारी मैंने दे दी है। कौन-सी जाति एससी या एसटी में लानी है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसकी विस्तृत जानकारी मैंने दे दी है। खड़गे साहब ने भी विषय उठाया था। मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से वे संतुष्ट होंगे। भर्तृहरि महताब जी ने भी सुझाव दिए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं क्योंकि उन्हें उत्कृष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला है। आपने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने जो महिला सदस्य की बात कही है, उसके लिए मैंने पहले ही बताया है कि एससी, एसटी आयोग में या अन्य आयोग में जो शब्दावली लिखी हुई है, वही शब्दावली इस एक्ट में भी है और मैंने आपको पिछली बार भी आश्वस्त किया था कि जब हम नियम बनाएंगे, तो हम अनिवार्य करेंगे कि एक महिला सदस्य जरूर हो। इस प्रकार का आश्वासन पहले भी दिया था और आज भी दे रहा हूं कि जब हम रूल बनाएंगे, तो महिला को सदस्य बनाने का प्रावधान उसमें करेंगे। इसके साथ ही साथ दो संशोधन प्रेमचंद्रन जी ने और आपने प्रस्तुत किए थे और अभी भी आपने कहा था। वे संशोधन हमने ऑलरेडी कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि अब

आपको इस विधेयक में किसी प्रकार की असहमति का कारण नहीं होगा। बहुत-से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिए हैं, मैं उन्हें आश्वस्त कर सकता हूं कि उन सुझावों पर हम नियमानुसार संवैधानिक प्रावधान के दायरे में विचार-विमर्श करेंगे और आवश्यकतानुसार निर्णय करेंगे।

महोदया, मैं अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान में 123वां संशोधन, जो राज्य सभा द्वारा संशोधित है, उसे पारित किया जाए।

(इति)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, when a pleader does not have a case, he prolongs his brief before the court for such a long time so that the judge will get tired and say जो भी हो, कर लीजिए। इसी तरह हमारे तथागत जी कह रहे हैं कि हम सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं, आप इतना लम्बा भाषण क्यों दे रहे हैं? मंत्री जी इतना लम्बा भाषण क्यों दे रहे हैं, यह बात थावर चंद जी, जो हमारे अति प्रिय मित्र हैं, उन्हें मालूम है।

(1830/RBN/VB)

I think Shri Premachandran will also agree. The woman member of that Commission can be put forth in the rules. But we have raised another point also. The AIADMK Members had vociferously put forth the reservation clause not only now but also much earlier saying that States should have the power to determine. It is because this is something which has evolved during the course of time. I had explained it with regard to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes earlier and also while participating in the Bill today. The respective States should identify their own OBC themselves. They do not have to come to the Commission. If there is some change they do not have to come to Parliament, which is the actual essence of this Bill.

There was a proviso, which has been circulated for the last ten days, since 23rd of last month. It says, 'provided that such consultation shall not be mandatory for a State Government'. This is the only thing that I am insisting upon that why should you force the State and tie its hands? This is my request. You have made certain provisions in the Bill. That is welcome. But make it clear that it would not be mandatory for the State. That is what I want to request. I will wait for the Minister to give a constructive reply.

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, यह जो आयोग बनेगा, वह केन्द्रीय सूची से संबंधित निर्णय करेगा। जैसे राज्य और केन्द्र की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कॉमन लिस्ट होती है, वैसे इसमें नहीं है। इसमें केन्द्र की सूची अलग बनती है और राज्यों की सूची अलग बनती है। राज्यों की सूची बनाने का काम राज्यों के आयोग द्वारा निर्णय लेकर बनाया जाता है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): आप क्लॉज़ 3 का सब-क्लॉज 9 पढ़ लें।

श्री थावर चंद गहलोत: अगर कोई राज्य सरकार उस राज्य की किसी जाति को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित कराने का प्रस्ताव करती है, तो उस संबंध में, यह आयोग राय देगा अन्यथा जो स्टेट लिस्ट है, उसके बारे में न तो इस आयोग की राय बाध्यकारी होगी और न ही आयोग उस पर विचार करेगा। मेरी अपनी मान्यता के हिसाब से मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि केन्द्रीय आयोग की रिपोर्ट, राज्य से संबंधित विषयों के

लिए बाध्यकारी नहीं होगी, इस प्रकार का प्रावधान इसमें है। आप आश्वस्त रहें और इस बिल का समर्थन कीजिए।

HON. SPEAKER: Hon. Members, as you are aware, hon. Minister has moved an amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha and also further amendments regarding change of year from 2017 to 2018 and change of year of Republic in the Enacting Formula. I may inform you that in case the House adopts the alternative amendment, the original amendment made by Rajya Sabha would stand substituted by the alternative amendment. As such, the original amendment made by Rajya Sabha shall not be proposed for vote of the House. Hon. Members, the alternative amendment seeks to insert a new clause 3 in the Bill by making certain changes in the original clause 3.

In this regard, I would like to invite your attention to Direction 31, which provides that 'when an amendment for insertion of a new clause in a Bill is adopted by the House, the Speaker shall put the question that the new clause be added to the Bill'. Therefore, in case the alternative amendment is adopted by the House, I shall also propose the new clause 3 to the vote of the House. Since we are to

consider a Constitution (Amendment) Bill, I shall propose the motion for adoption of alternative amendment, adoption of new clause 3, adoption of further amendments for change of year and year of Republic and the motion for passing of the Bill to the vote of the House by division through special majority as required under article 368 of the Constitution.

(1835/SM/PC)

Keeping in view the spirit of the Rule 156, amendments moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the alternative amendment moved by the Hon'ble Minister shall be decided by simple majority.

Let the lobbies be cleared…

ANNOUNCEMENT RE: OPERATION OF AUTOMATIC VOTE RECORDING SYSTEM

HON. SPEAKER: Now, the Secretary General to inform about the procedure of operating of Automatic Vote Recording machine.

(1840/AK/MM)

SECRETARY-GENERAL: Kind attention of the hon. Members is invited to the following points in the operation of the Automatic Vote Recording System: -

1. Before a Division starts, every hon. Member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only.

2. When the hon. Speaker says “Now Division”, the Secretary-General will activate the voting button whereupon “RED BULBS” above display boards on both sides of hon. Speaker’s Chair will glow and a GONG sound will be heard simultaneously.

3. For Voting, hon. Members may please press the following two buttons simultaneously “ONLY” after the sound of the GONG

and I repeat only after the sound of the GONG.

Red “VOTE” button in front of every hon. Member on the Head phone plate

and

any one of the following buttons fixed on the top of desk of seat’

Ayes	:	Green Colour
Noes	:	Red Colour
Abstain	:	Yellow Colour

4. It is essential to keep both the buttons pressed till another GONG is heard and the Red BULBS above plasma display are “OFF”.

5. Hon. Members may please note that their votes will not be registered:

    1. If buttons are kept pressed before the first GONG.
    2. Both buttons are not kept simultaneously pressed till second GONG.

6. Hon. Members can actually “SEE” their vote on display boards installed on either side of Hon’ble Speaker’s Chair.

7. In case vote is not registered, they may call for voting through slips.

Thank you.

HON. SPEAKER: I shall now put the Amendments printed in the List of Business moved by Shri Bhartruhari Mahtab to the alternative amendment to the vote of the House.

The question is :

"(i) that in the amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha, page 1, in the proposed new article 338B, after clause (2),--

insert "Provided that at least one from amongst the Chairperson, Vice Chairperson and three other members shall be a woman";

(ii) that in the amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha, page 3, in the proposed new article 338B, after clause (9),--

insert "Provided that such consultation shall not be mandatory for a State Government in respect of policy matters affecting socially and educationally backward classes, which are included in List II–State List of the Seventh Schedule to the Constitution."

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, I want Division.

The Lok Sabha divided:

(1845/SPR/SJN)

HON. SPEAKER: Subject to correction, the result of the Division is:
Ayes: 84
Noes: 302

The amendment was put and negatived.

Now, the Lobbies are already cleared. I shall now put the amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha in the Bill, as passed by Lok Sabha, to the vote of the House.

The question is:

CLAUSE 3

That at pages 2 and 3, clause 3 be deleted."

ALSO further consideration of -

(A) the following amendments moved by Shri Thaawarchand Gehlot on 3rd January, 2018, namely:-

(i) That for the amendment "That at pages 2 and 3, clause 3 be deleted" made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, the following amendment

alternative to the amendment made by Rajya Sabha, be substituted:-

That at pages 2 and 3, the following be inserted,-

Insertion of new article 338B.

'3. After article 338A of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:–

National Commission for Backward Classes.

"338B. (1) There shall be a Commission for the socially and educationally backward classes to be known as the National Commission for Backward Classes.

(2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President may by rule determine.

(3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the

President by warrant under his hand and seal.

(4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure.

(5) It shall be the duty of the Commission–

(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the socially and educationally backward classes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;

(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the socially and educationally backward classes;

(c) to participate and advise on the socio-economic development of the socially and educationally backward classes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(e) to make in such reports the recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the socially and educationally backward classes; and

(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the socially and educationally backward classes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.

(6) The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(7) Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the State Government which shall cause it to be laid

before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(8) The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other matter which the President may, by rule, determine.

CLAUSE 1

That at page 1, line 3,-

for "2017" *substitute* "2018"

The Lok Sabha divided:

(1850/KMR/BKS)

HON. SPEAKER: Subject to further correction, the result of the Division is -

Ayes: 393

Noes: Nil

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha is adopted.

New Clause 3

HON. SPEAKER: The Lobbies are already clear. I shall now put new clause 3 inserted by the alternative amendment to the vote of the House.

The question is:

That at pages 2 and 3, clause 3 be deleted."

ALSO further consideration of -

(A) the following amendments moved by Shri Thaawarchand Gehlot on 3rd January, 2018, namely:-

(i) That for the amendment "That at pages 2 and 3, clause 3 be deleted" made by Rajya Sabha in the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha, the following amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha, be substituted:-

That at pages 2 and 3, the following be inserted,-

Insertion of new article 338B.

'3. After article 338A of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:–

National Commission for Backward Classes.

"338B. (1) There shall be a Commission for the socially and educationally backward classes to be known as the National Commission for Backward Classes.

(2) Subject to the provisions of any law made in this behalf by Parliament, the Commission shall consist of a Chairperson, Vice-Chairperson and three other Members and the conditions of service and tenure of office of the Chairperson, Vice-Chairperson and other Members so appointed shall be such as the President may by rule determine.

(3) The Chairperson, Vice-Chairperson and other Members of the Commission shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.

(4) The Commission shall have the power to regulate its own procedure.

(5) It shall be the duty of the Commission–

(a) to investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the socially and educationally backward classes under this Constitution or under any other law for the time being in force or under any order of the Government and to evaluate the working of such safeguards;

(b) to inquire into specific complaints with respect to the deprivation of rights and safeguards of the socially and educationally backward classes;

(c) to participate and advise on the socio-economic development of the socially and educationally backward classes and to evaluate the progress of their development under the Union and any State;

(d) to present to the President, annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(e) to make in such reports the recommendations as to the measures that should be taken by the Union or any State for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the socially and educationally backward classes; and

(f) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the socially and educationally backward classes as the President may, subject to the provisions of any law made by Parliament, by rule specify.

(6) The President shall cause all such reports to be laid before each House of Parliament along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the Union and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(7) Where any such report, or any part thereof, relates to any matter with which any State Government is concerned, a copy of such report shall be forwarded to the State Government which shall cause it to be laid before the Legislature of the State along with a memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on the recommendations relating to the State and the reasons for the non-acceptance, if any, of any of such recommendations.

(8) The Commission shall, while investigating any matter referred to in sub-clause (a) or inquiring into any complaint referred to in sub-clause (b) of clause (5), have all the powers of a civil court trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other matter which the President may, by rule, determine.

(9) The Union and every State Government shall consult the Commission on all major policy matters affecting socially and educationally backward classes.'".

(ii) That the following further amendment be made in the Bill further to amend the Constitution of India, as passed by Lok Sabha and as returned by Rajya Sabha with amendment:-

The Lok Sabha divided:

HON. SPEAKER: Subject to correction, the result of the Division is-

Ayes: 405

Noes: Nil

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting.

The motion was adopted.

New clause 3 was added to the Bill.

Clause 1 and Enacting Formula

HON. SPEAKER: I shall now put the further amendments on clause 1 and Enacting formula moved by hon. Minister regarding change of year and year of Republic together to the vote of the House, in which case the result of division shall apply to both the amendments.

The question is:

CLAUSE 1

That at page 1, line 3,-

for "2017" *substitute* "2018"

ENACTING FORMULA

That at page 1, line 1,-

for " Sixty-eighth" *substitute* "Sixty-ninth"

The Lok Sabha divided`:

(1855/GM/GG)

HON. SPEAKER: Subject to correction, the result of the Division is-

Ayes:	394
Noes:	NIL

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The motion was adopted.
Clause 1 and the Enacting Formula, as amended, were added to the Bill

HON. SPEAKER: The Minister may now move that the Bill, as amended by the amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha and the further amendments be passed.

श्री थावर चंद गहलोत : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:-

> " संविधान के 123वां संशोधन विधेयक, 2017 राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन के अनुकल्पी संशोधन तथा और संशोधन, द्वारा यथासंशोधित, पारित किया जाए। "

HON. SPEAKER: The question is:

> "That the Bill, as amended by the amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha and the further amendments be passed."

The Lok Sabha divided:

HON. SPEAKER: Subject to correction, the result of the Division is-

Ayes: 406

Noes : NIL

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

The Bill, as amended by the amendment alternative to the amendment made by Rajya Sabha and the further amendments is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of article 368 of the Constitution.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now the lobbies may be opened.

(1900/RSG/CS)

The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on Friday, the 3rd August, 2018.

1900 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 3, 2018/Shravana 12, 1940 (Saka).